राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का छियालीसवां दिवस [संख्या : 24

शुक्रवार

11 मई, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि के वितरण में भेदभाव

553. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) एवं **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केन्द्र सरकार ने राजस्थान ग्रामीण विकास के लिए कौन-कौनसी योजनाएं कब-कब प्रारम्भ की हैं? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 के लिए उक्त विभिन्न योजनाओं के तहत पृथक-पृथक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उक्त स्वीकृत राशि को व्यय करने के क्या कोई निश्चित आधार हैं? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के लिए आबंटित राशि को ग्रामीण विकास के बजाय अन्य मदों पर व्यय कर दिया गया है या किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रकार की आबंटित राशि को राज्य सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से खर्च कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त पूर्ण राशि व्यय नहीं करने के क्या कारण हैं व शेष राशि की अगले वित्तीय वर्ष में वैधानिक रूप से क्या स्थिति होगी?

(6) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए आबंटित राशि में से वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 में जिला, जयपुर के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों यथा दूदू, फागी, चौमूं, जमुवारामगढ़, आमेर एवं बस्सी के लिए पृथक-पृथक कुल कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्र के अनुसार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कम राशि व्यय की गई है? यदि हां तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) राजस्थान राज्य के ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर अवलोकनीय है।

(श्री सी. पी. जोशी)

(2) वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण तथा राशि के उपयोग के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/दिशा निर्देशों का योजनावार विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित संबंधित योजना के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) वर्ष 2000-2001 में केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि का सभी योजनाओं में इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग किया जाना सम्भावित है। मरू विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चार वर्षीय योजनाएं हैं, जिनमें अवशेष राशि का उपयोग अगले वर्ष में किये जाने का प्रावधान है तथा शेष अन्य योजनाओं में भी अवशेष राशि रहने पर उसका उपयोग योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप अगले वर्ष में किये जाने का प्रावधान है।

(6) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत जयपुर जिले के उक्त विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान विधान सभा क्षेत्रवार एवं योजनावार कुल स्वीकृत कार्यों, स्वीकृत राशि एवं कुल व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "स" में संबंधित योजना के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है।

(7) जी, नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने खण्ड (2) में बताया है उसमें राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से जो राशि मिली है, उसमें से कितनी-कितनी राशि खर्च हुई, मदवार बताने की कृपा करें? खण्ड (5) में आपने जवाब में बताया है, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में आबंटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, यह बताया जाए कि इसी वित्तीय वर्ष से क्या तात्पर्य है? क्या 2000-2001 की राशि को 2001-2002 में खर्च किया जाएगा, यह बताने का कष्ट करें? तीसरा, खण्ड (2) में आपने बताया है कि राशि अन्य किसी मद में खर्च नहीं की गई है, जबकि आपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च किया है राशि को। खण्ड (4) के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि सुनिश्चित रोजगार योजना में जो राशि आबंटित की गई है उसमें भारी भेदभाव किया गया है। यह राशि एक्शन प्लान एवं जिला परिषद् एवं पंचायत समिति की साधारण सभा द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए थी, जबकि मनमर्जी करके आपने कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको इस राशि का आबंटन किया है, ऐसा क्यों?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ पाया माननीय विधायक ने अपने क्षेत्र के संबंध में प्रश्न किया, वहीं से तात्पर्य होगा....

श्री कन्हैया लाल : पूरे राजस्थान का पूछा है, साहब, लास्ट मे पूछा है वह तो जयपुर जिले का।

श्री सी. पी. जोशी : पूरे राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का। 1.4.2000 तक अलग-अलग योजनाओं में निम्न राशि ओपनिंग बैलेंस के रूप में है। एस.जी.एस.वाई 13.81 करोड़ रुपये, जे.जे.एस.वाई 9.69 करोड़ रुपये, सी.सी.एस. 0.54 करोड़ रुपये, ई.ए.एस. 17.82 करोड़, ई.ए.एस. डब्ल्यू. एस. 26.95 करोड़, डी.डी.पी. 43.61 करोड़, डी.पी.ए.पी. 10.6 करोड़, डी.आर.डी.ए. 1.01 करोड़, पी.एम.जी.वाई. 0.87 करोड़, आई.ए.वाई. 4.5 करोड़, आई.ए.वाई. अपग्रेडेड 0.94 करोड़ रुपये, टोटल 130.34 करोड़ रुपये। जो इनके अलावा स्कीम हैं—बायोगैस में 2.6 करोड़, बोंडेड लेबर में 0.5, एम.पी. फण्ड में 66.87 करोड़, बी.ए.डी. में 26.19 करोड़ टोटल 96.21 करोड़ रुपये। Total opening balance on 1.4.2001 is 226.55 crores.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। इसकी स्थिति स्पष्ट जब होगी, मंत्रीजी, इसका बेस ईयर 1999-2000 ले लेते हैं। 1998-99 में चेंज आफ गवर्नमेंट है, दो सरकारों ने अलग-अलग फंक्शन किया है और 2000-2001 के फीगर्स आपके पास सम्भवतया अपडेट उपलब्ध नहीं हों। 1999-2000 में जो राशि आबंटित की गई उसका उल्लेख आपने अपने उत्तर में किया है। अब कितनी राशि आपने उसमें उठाई और मैचिंग ग्रांट में एक्चुअली कितना खर्च किया, एक सवाल? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने कितनी राशि का प्रस्तुत किया, दूसरा सवाल? और कितनी राशि अवशेष रही? अब उसको कैरी फोरवर्ड आपने 2000-2001 में किया उसका किस प्रकार से उपयोग किया, तीसरी बात? 1998-99 में कितनी राशि पिछले साल से आई थी? वह आपने इन योजनाओं में खर्च की या और किसी में उपयोग की? इनको बताने की कृपा करें आप।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में बैलेंस 1.4.2000 को 597.45 करोड़ रुपये था, सैंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिला 282.87 करोड़ रुपये, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था 74.40 करोड़। दोनों को मिलाकर 357.27 करोड़ रुपये 1998-99 में मिले उसके पहले जो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था उस ईयर में, वह मिलाकर टोटल अमाउंट है 954.72 करोड़ रुपये। उस 954.72 करोड़ को यदि हम आधार मानें तो हमने 1998-99 में 43.64 प्रतिशत अवेलेबल फण्ड का उपयोग किया। और यदि हम स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट के 1998-99 को आधार मानें तो जो पैसा हमें अवेलेबल था, 116.61 प्रतिशत का हमने उपयोग किया है। यू.सी. सब्मिट नहीं करने के कारण 67.46 करोड़ रुपये का डिडक्शन हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1999-2000 का बता दें।

श्री सी. पी. जोशी : I am coming to this. Then year 1999-2000 the opening balance available was Rs. 279.65 crore.

भारत सरकार से हमें पैसा मिला 269 करोड़ रुपये, स्टेट गवर्नमेंट का मैचिंग था 86.52 करोड़ रुपये। स्टेट गवर्नमेंट और

(श्री सी. पी. जोशी)

सैंट्रल गवर्नमेंट के कारण पैसा 1998-99 और 1999-2000 में हमें 355.52 करोड़ रुपये मिला। और ओपनिंग बैलेंस को आधार मानें तो हमारे पास अवेलेबल था 635.17 करोड़ रुपये, खर्च हमने किया है 361.58 करोड़ रुपये। टोटल अवेलेबल बैलेंस और कैश को मिलाकर 56.93 प्रतिशत और उस साल को आधार मानें तो 101.70 प्रतिशत। उस समय 1999-2000 में जो डिडक्शन हुआ राजस्थान में, वह 4.94 करोड़ रुपये only and that too because in the month or March, 2001 we got 32.95 crores in the month of March. जो हमें पैनल्टी लगी, जो पैसा हमें भारत सरकार से मिला वह मार्च में मिला। तो हमें 4.94 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगी 1999-2000 में In the year 2000-2001. बैलेंस जो बचा हमारे पास पिछले सालों का मिलाकर 250.79 करोड़ रुपये, भारत सरकार से पैसा मिला 274.55 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट का मैचिंग ग्रांट है 75.89 करोड़ रुपये। टोटल अवेलेबल मनी आन करंट ईयर में थी 350.44 करोड़ रुपये और बैलेंस को यदि हम मिला दें, 601. 23 करोड़ रुपये। इसके अगेंस्ट में एक्सपेंडीचर किया है 470.88 करोड़ रुपये। यह टोटल अवेलेबल उस करंट ईयर के पैसे का 78.32 प्रतिशत है बैलेंस मिलाकर और करंट का 134.37 प्रतिशत है। 2000-2001 में भी 13.79 करोड़ रुपये का डिडक्शन होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने 56 प्रतिशत पैसा खर्च करना बताया है 1999-2000 के अंदर और मुख्य कारण उसका यह बताया है कि आपको एलोकेशन हुआ मार्च के अंदर।

श्री सी. पी. जोशी : 56.93 बैलेंस को मिलाकर। करंट ईयर का जो पैसा था उसका 101.70 प्रतिशत। मैं आपके हिसाब से कहता हूं, 1998-99 में जो यू.सीज पैंडिंग थीं वे थीं 999.15 करोड़ रुपये। जब हम सत्ता में आये थे तब 999.15 करोड़ रुपये की यू.सीज बाकी थीं। एडवांस उस ईयर में था 499.13 करोड़ रुपये। इसलिए टोटल पैंडिंग जो यू.सीज थीं वे थीं 1498.28 करोड़ रुपये। हम सत्ता में आये थे तब ये यू.सीज पैंडिंग थीं। उस यू.सी. के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट करने के बाद 2000-2001 में आज यू.सीज पैंडिंग हैं 562.99 करोड़ रुपये। एडवांस इसमें है 435.79 करोड़ रुपये। टोटल पैंडिंग है 998.78 करोड़ रुपये और यू.सी. एडजस्ट हुई हैं वर्ष 2000-2001 में 787.49 करोड़ रुपये की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि आपके पास जो बचत है उसके कैरी ओवर करने के लिए, नैक्स्ट ईयर के लिए किस -किस योजना के संबंध में सेन्टर ने गाइड लाइन दी हुई है?

श्री सी. पी. जोशी : आप स्वयं जानते हैं, डी.पी.ए.पी. वाटर शेड के कार्यक्रम, इन के अन्दर चार साल का कार्यक्रम है इसलिए मनी कैरीआउट होती है चार साल के अन्तर्गत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी की नहीं है न? कैरी ओवर करने की व्यवस्था किन-किन में है? आपने बताया वह सही है कि जो स्कीम चार वर्ष के लिए, तीन वर्ष के लिए आती हैं, उनमें कैरी ओवर करने की व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। ऐसी स्कीम्स जिनमें कैरी ओवर करने के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन्स नहीं हैं उनमें आपने कितना कैरी ओवर किया, क्यों किया ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि उसी वित्तीय वर्ष में यदि पैसा पैंडिंग है और यू.सी नहीं दी तो भारत सरकार उसमें पैसा काटती है। इसलिए आपके समय में 25.32 करोड़ रुपये 1996-97 में इसलिए कटे कि मनी कैरी आउट नहीं की जा सकती है। 1997-98 में 87.24 करोड़ रुपये इसलिए कटे की कैरीआउट नहीं की जा सकती है। इसलिए जिन योजनाओं में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको 97 और 98 के बताने से लाभ नहीं होगा। उससे लाभ नहीं होगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप स्वयं जानते हैं कि जिन योजनाओं में कैरी आउट नहीं किया जा सकता है, उनकी आडिट की रिपोर्ट मांगने के बाद भारत सरकार पैसा रिलीज करती है। इसलिए वह तो कैरी आउट करना होता है, डिडक्शन हुआ ही नहीं। यदि कैरी आउट नहीं हुआ, इसीलिए तो डिडक्शन हुआ है। और जो स्कीम कैरी आउट की थीं वे मैंने बता दीं। मरू विकास की योजना है, डी.पी.ए.पी. की योजना है, उनमें कैरी आउट किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक और बता दीजिये। आपने अभी कहा कि 1998-99 के अंदर एक हजार या कितने करोड़ रुपये की बचत रही, केवल इसलिए कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम नहीं दे पाये। आप नवम्बर में आये थे, नवम्बर से लेकर मार्च के महीने तक जितने मामलों में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना था उसमें आपने क्यों नहीं दिया ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, हमने बताया कि 1498.28 करोड़ रुपये की यू.सीज बाकी थीं। हम जब सत्ता में आये थे दिसम्बर में, मार्च तक हमने एडजस्ट कीं 722.11 करोड़ की यू.सीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर आप एक हजार की क्यों बताते हो ?

श्री सी. पी. जोशी : कहां बता रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : हमने कहा कि यू.सीज फर्स्ट अप्रैल को जो पैंडिंग हैं वह 999.15 करोड़ रुपये है। करंट ईयर का जो पैसा मिलता है, वह पैसा मिला 499.13, तो करंट ईयर और बैकलाग का मिलाकर जो यू.सीज पैंडिंग हैं वह पैंडिंग थीं 1498 करोड़ रुपये की। मार्च तक जो हमने एडजस्ट किया, उस एडजस्टमेंट का फीगर, दोनों बताना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना कम किया आपने दिसम्बर से लेकर मार्च तक ?

श्री सी. पी. जोशी : बताया न, 722.11. रफली पचास प्रतिशत जो यू.सीज पैंडिंग थीं, उन यू.सीज को जब हम सत्ता में आये तब हमने पूरा-पूरा किया 1999 तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा कर लिया न ?

श्री सी. पी. जोशी : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो पैसा तो आपको मिला होगा।

श्री सी. पी. जोशी : बताया न, डिडक्शन मैंने बताया। 1998-99 में आपके राज में यू.सीज पैंडिंग होने के कारण राजस्थान सरकार को 1996-97 में 25.32 करोड़ रुपये, 1997-98 में 87.24 करोड़ रुपये और 1998-99 में 67.46 करोड़ रुपये का डिडक्शन हुआ। यह टोटल यदि हम अमाउंट लगाएं तो रफली 160 करोड़ का डिडक्शन आपके राज में इसलिए हुआ कि टाइमली हमने यू.सीज नहीं दीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, हुआ होगा। मान लीजिये, उस राज में कमी हुई केवल इसलिए कि हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। कोई भी सरकार, अध्यक्ष महोदय, अप्रैल से काम शुरू करती है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अक्टूबर, नवम्बर तक नहीं दिये जाते, वाइ द एण्ड आफ द ईयर, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिये जाते हैं। एण्ड के चार महीने में यह सरकार थी। नहीं दिये, उसके लिए कहते हैं कि पुरानी सरकार ने नहीं दिये। पुरानी सरकार कोई भी नहीं दे सकती, आप भी नहीं दे सकते। आज आपकी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, वह मार्च के महीने में ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिये जाएंगे, उससे पहले नहीं दिये जा सकते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जरा नोट कर लें कि जवाहर ग्राम समृद्धि एक योजना है। अध्यक्ष महोदय, बीच में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट पढ़ी इस सारे प्रसंग में, दुर्भाग्य है, यह पहली बार राजस्थान में अवसर आया है कि सिविल एक्सपेंडीचर की सारी रिपोर्ट मार्च के महीने में सरकार को मिल गई जो अगर पहले मिल जाती तो बजट में काम आती।

श्री अध्यक्ष : कल मिली थी तो कल ही हमने सर्कुलेट कर दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल करा दी तो अब कल क्या करें, क्यों कराया ?

श्री अध्यक्ष : हमारे पास आई ही कल है। आते ही हमने सर्कुलेट कर दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक कांस्टीट्यूशनल ड्यूटी है वह। आपने तो कर दी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार के लिए कह रहा हूं। मार्च के महीने में आई और अप्रैल के अंदर कैबिनेट में गई। बाद में गवर्नर के यहां गई। इसके अंदर डेढ़ महीना, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर लगाया है कि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट का लाभ यह सदन नहीं उठा सके। यह मामला सीरियस है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन आवर में ही, कि आप इसको देखें।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रहा था कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 2000-2001 में 365.30 लाख रुपये की कमी हुई, नम्बर एक। 2000-2001 में जी.एस.वाई. में 2143 करोड़ रुपये आपको अग्रिम जारी किये। छह जिलों में दो इंस्टालमेंट का क्लेम ही नहीं किया। उपबंध फंड का यूटिलाइजेशन बहुत कमजोर, मतलब 57.14

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रतिशत रहा। रूरल हाउसिंग स्कीम में सैंट्रल शेयर में डिडक्ट किया, लेट सब्मिशन। आपका था 4.60 लाख का, एक्सेस कैरी ओवर बैलेंस आपका 508 करोड़ का। एक्सेस कैरी ओवर बैलेंस का मतलब यह है कि हमें जिस साल में जितनी धनराशि का उपयोग करना चाहिए था उतना उपयोग नहीं किया। एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम में सम्वत् 2056 में अकाल प्रभावित छह जिलों में इस योजना के तहत सैकण्ड इंस्टालमेंट आपने क्लेम नहीं किया। बारां, भरतपुर, झालावाड़, करौली में उपबन्ध फण्ड से 60 प्रतिशत से कम राशि का आपने उपयोग किया। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज योजना में 1999-2000 में मिले फंड का सिर्फ 69.68 प्रतिशत आपने उपयोग किया। इसके कारण वर्ष 2000-2001 में कुल आबंटित राशि का 38.37 प्रतिशत का ही राजस्थान क्लेम कर सका। ये बातें 1998-99 की आप कह सकते हैं यू.सी. के मामले में और यह तो होगा। आप भी अगर जनवरी से लेकर काम कराएंगे तो मार्च के अंत में कितने यू.सी. नहीं गये, वह होगा। यह नहीं है कि नवम्बर में सारी यू.सीज चली जाएं। मैं आज आपको बताता हूं, आप चाहे नैक्स्ट विधान सभा में बता देना कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो मार्च के एण्ड तक कलैक्ट किये जाते हैं, वह बाद में दिये जाते हैं। लेकिन उसको यह कहें कि आपका इतना था, आने वाली सरकार का यह कर्तव्य था कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, उनको जमा कराते। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह तथ्य सही है....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जो अपनी सलैक्टिव इन्फार्मेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रजेंट करते हैं। आप मुझे बताएं कि 1999-2000 और 2000-2001 में हम पर केवल डिडक्शन हुआ है चार करोड़ 94 लाख रुपये का, वह भी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह बता चुके आप।

श्री सी. पी. जोशी : आप रुकिये पहले। ऐसे क्या बता चुके? अब सुनना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ही कि आप कह चुके। यू हैव टू कम्पेयर इट। 4 करोड़ 94 लाख रुपये का हमें डिडक्शन हुआ है और जिसमें भी 32.95 लाख रुपये सेंटर से हमें मार्च महीने में मिले हैं। इसके पिछले तीन साल में यदि आपकी सरकार में और हमारी सरकार के बीच में यू.सीज में अन्तर नहीं होता, यह 25 करोड़, 87 करोड़ और 67 करोड़ रुपये का जो डिडक्शन हुआ है, वह अमाउंट इतना का इतना रहना चाहिए। हमने पूरा प्रयास करने के बाद यू.सीज टाइमली सब्मिट की, इसलिए जो डिडक्शन हुआ है वह 4.94 करोड़ ही हुआ है और वर्ष 2000-2001 में 13.79 करोड़ किया है। आप जो यह स्कीम के आंकड़े पेश कर रहे हैं यह बैकलांग है 1998-99 में का उस हिसाब से कर रहे हैं। आप मुख्य मंत्री थे, आपको जानकारी है कि कितनी डी.आर.डीज का आपके समय में पैसा डिडक्ट हुआ अकाउंट सब्मिट नहीं होने से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आपने करवा लिया न?

श्री सी. पी. जोशी : हमने करवाया तभी तो चार करोड़ का डिडक्शन है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था है उसको समझने की आवश्यकता है कि यू.सीज समय पर नहीं भेजने के कारण राजस्थान को उनके समय में लगभग 107 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, डिडक्शन हुआ। हमारी सरकार आने के बाद केवल मात्र 1999-2000 का मानें हमारा, 1998-99 का नहीं मानें। तब भी हमने 1998-99 में एक हजार करोड़ की यू.सीज एडजस्ट करने के बाद जिस तरह से हमने काम किया उससे डिडक्शन हुआ मात्र 4.94 करोड़ रुपये का।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार का फ्लो आफ फण्ड है उस पर पूरी इफैक्टिव मानीटरिंग करके करंट ईयर की यू.सीज की हम अलग मानीटरिंग कर रहे हैं और बैकलाग की हम अलग ढंग से मानीटरिंग कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा डिडक्शन नहीं हो और राजस्थान को जितना पैसा मिले उतना मिलना चाहिए। ये तो उलटी बात कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता को इस बात की जानकारी है कि.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उलटी बात नहीं है। मैं उलटी बात नहीं कह रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : इसका 2 प्रतिशत का जो पैसा है उस 2 प्रतिशत में मध्य प्रदेश को पैसा मिला, उड़ीसा को पैसा मिल गया लेकिन राजस्थान को तीन साल से अकाल पड़ने के बाद भी 2 प्रतिशत का जो कंट्रीब्यूशन हमारा बनता है उसमें एक पैसा नहीं मिला। क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये स्थिति क्यों बन रही है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सासंद नहीं है? क्या उन सांसदों का कर्तव्य नहीं बनता कि इसका पैसा कटा है, सैंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, उस पैसे को लाने के लिए हम कोई प्रयास करें? आप मुझे यह बता दें, तीन साल के अकाल पड़ने के बाद राजस्थान सरकार को मदद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, जवाब दो, उपदेश मत दो। उपदेश मत दो, जवाब दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मंत्रीजी, न तो मेरी मंशा यह है कि अपना जो भारत सरकार से पैसा मिलता है उसकी बचत हो जाए। कभी मेरी इच्छा नहीं हुई। भारत सरकार से मिले, हम खर्च करें। अब आप कहें कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया, भोपाल को दे दिया, इससे मेरा मतलब नहीं है। आप हिसाब लगाएं तो मैं बता सकता हूं कि 2001-2002 में भारत सरकार ने अनुदान और बाकी के संबंध में 98.30 करोड़ रुपये आपको दिये हैं जो किसी राज्य को नहीं दिये हैं।

श्री सी. पी. जोशी : किस-किस में?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, आप ठहर जाइये। इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि भारत सरकार से जितना भी अलाटमेंट होता है, आप यह बहाना लें कि 1998-99 में यू.सीज नहीं पहुंचीं, नहीं पहुंचीं। किसी भी सरकार की नहीं पहुंचेगी। अगर आपका भी हिसाब मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिखाए तो अक्टूबर के महीने तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता ही नहीं है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाते हैं बाई द एण्ड आफ दि ईयर। आप उसका बहाना लें, लेकिन खैर, उसके कारण से जो आप कह रहे हैं वह बात सही हो सकती है। मैं इसलिए इस आधार पर कहना चाहता हूं कि इन सारे अकाउंट्स के मामलों में हमें राजनीति से ऊपर उठ कर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो फण्ड मिलें उनका उपयोग करें। जो भारत सरकार की शर्तें हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की और मैचिंग ग्रांट की उन शर्तों का पालन करें। उसके बावजूद कोई रूकती हो तो हमारी शिकायत हो सकती है कि भारत सरकार ने हमारे साथ भेदभाव का व्यवहार किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस चक्कर में न पड़ें। फाइनेंस मिनिस्टर यहां नहीं हैं, आप खुद ही बैठे हैं, मुझे आप बता दीजिये कि 2000-2001 में पिछले वर्ष दिसम्बर के पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिये गये हैं क्या? नहीं दिये जाते, एक प्रैक्टिस है। बाई द एण्ड आफ ईयर हर चीज की तैयारी होती है कि हमने आपको पांच हजार रुपये दिये, कितने खर्च किये उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजो। वह सब चीजें उस समय एकत्रित होती हैं। वह आप चाहे मेरे ऊपर दोष दो लेकिन यह दोष आप पर भी होगा। हम बच नहीं सकते इस दोष से। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जिस व्यवस्था में हमको मार्च या अप्रैल में पैसा मिले और जुलाई में हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया हो। यह सम्भव नहीं है। कोशिश यह होनी चाहिए कि रुपया हम खर्च करें और खर्च करने के बाद भारत सरकार की जो शर्तें हैं उनका पालन करें। एक रिकार्ड इस बात का बनाए कि जितना रुपया राजस्थान को इन स्पेशल स्कीम्स में मिलेगा उसका बहुत ही प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्शन का काम होगा और हिसाब-किताब ठीक तरह से रखा जाएगा। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊं, इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आप इसको राजनीति का विषय मत बनाइये। राजनीति का विषय होता तो मैं आपको बता दूं, आप पूछ लीजिये अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को, इस वर्ष 98.30 करोड़ रुपये का सब तरह का अनुदान और सहायता आपको दे दी है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बार-बार यह जिक्र कर रहे हैं, 1998-99 की यू.सीज हमेशा जनवरी के बाद प्रस्तुत होती हैं। आप ठीक कह रहे हैं पर मैं यह पूछना चाहूंगा कि उसके पहले जो आपका 1997-98 में पैसा कटा उस वक्त आपकी एण्ड आफ दी ईयर में यू.सीज क्यों नहीं जमा हुई? उसके कारण आपके सौ करोड़ के आस-पास पैसा कटा, नम्बर-1.

मुझे याद है कि जब नयी सरकार बनी थी तो पहला सवाल यह हमारे सामने आया, मैंने खुद ने अपने स्तर पर सिर्फ इस कारण से मीटिंग ली कि यू. सीज को हम कैसे आर्गेनाइज करें ढंग से जिसके कि अप्रैल तक जमा करवा सकें। वो ही कारण रहा कि करीब एक हजार से ज्यादा की यू.सीज बाकी

(श्री अशोक गहलोत)

थीं वह पांच सौ पर आकर अटक गयीं। इसलिए यह कहना बिलकुल वाजिब नहीं है कि आपने लास्ट के तीन महीनों में क्या किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये बात ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं होना चाहिए, केन्द्र से हम अधिक पैसा कैसे ले सकें यह हमारा सबका प्रयत्न होना चाहिए। पर ये जो आप बार-बार फीगर दे रहे हैं कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बार-बार आप कह रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत : 9 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि मिली, यह कोई राजस्थान को ही मिली है क्या ? पूरे देश के हर सूबे को इलेवंथ फाइनेंस कमीशन हो, चाहे टैन्थ फाइनेंस कमीशन हो, जो डिटरमिनेशन होता है वह सबको होता है। यह बार-बार आप रिकार्ड में आकर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, मैं यह बात मानता हूं कि ऐसा...(व्यवधान) यह ताली इसलिए बजायी है कि भारत सरकार से मिला हुआ हम खर्च नहीं कर पाये और हमारा पैसा कट गया। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि इस बात का इश्यू नहीं है। 1997-98 में हमने किया नहीं, आपका कहना यह है। 1998-99 में हमने किया नहीं इसके कारण से किया है, लेकिन अब आपने क्या किया ? जैसा मैंने कहा कि जवाहर समृद्धि योजना में 365 करोड़ रुपये की कमी हुई, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि मैं जिम्मेदार हूं ? मैं जिम्मेदार हूं कि आप हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : आप हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ठीक है। तब तो मैं मानता हूं, तब ठीक है। इसी तरह से 2000-2001 में जे. जे. एस. वाई. में 216 जिलों में सैकण्ड इंस्टालमेंट का आपने क्लेम नहीं किया, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कि और कोई जिम्मेदार है ?

श्री जगत सिंह दायमा : आप दोनों जिम्मेदार हो। दोनों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूरल हाउसिंग स्कीम्स में जो कमी रही उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम में जो कमी आयी उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसलिए विवाद का इश्यू न बना कर जितना पैसा मिला है उसका उपयोग हो जाए और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी पेश किया जाए।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, एक सवाल का जवाब साथ ही दे देना। अभी बड़ा वाद-विवाद हुआ, केन्द्र सरकार से कितना पैसा सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स में मिला और कितना आपने खर्च किया। मुझे आप एक जानकारी दे दें कि 31 मार्च, 2001 तक पिछले वर्षों से लेकर अब तक कितना पैसा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में अनस्पेंड आपके पास पड़ा है नं.-1 ? इस करंट ईयर में जब अकाल से पीड़ित पूरा राजस्थान है, क्या आप यह सारा अनस्पेंड पैसा खर्च कर देंगे ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है, जो जवाब देना चाहता था वो ही प्रश्न पूछ लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बैलेंस है वो ही यार्डस्टिक हो सकता है कि कितना बैलेंस था। 1998-99 में जब हम सत्ता में आये तब बैलेंस था 597.45 करोड़ रुपये। 1999-2000 में हमारी सरकार आने के बाद यू. सीज लेने के बाद जो बैलेंस था वह था 279.65 ओनली और 2000-2001 में जो बैलेंस है वो 250-79 करोड़ रुपये ही है। ये 250.79 करोड़ रुपये जो पैंडिंग हैं उसमें करंट ईयर की 355.52 करोड़ रुपये की यू.सीज भी हैं। जो टोटल पैसा है 1999-2000 में अब शेष और पैसा जो हमारा उपलब्ध है उसकी राशि है 635.17 करोड़ रुपये। 635.13 करोड़ रुपये में 755.52 करोड़ रुपये करंट अमांउट है। उसके बाद यू.सी. एडजस्टमेंट करने के बाद 2000-2001 में हमारे पास अधिशेष राशि 50 करोड़ रुपये की ही है, जबकि ये सत्ता में आये तब 1997-98 में 790 करोड़ रुपये और 1998-99 में 597 करोड़ रुपये थे। ये इंडैक्स है इस बात का कि आप जब सत्ता में थे तब आपने यू.सीज जो 1997-98 में 790 करोड़ रुपये की थीं, पैंडिंग कैसे थीं और 1998-99 में 597 करोड़ रुपये की बाकी कैसे थीं?...(व्यवधान) आप इस इंडैक्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास पैसा कितना है इतना बता दें न। जो बकाया है...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हां, बता रहा हूं, आप बैठिये। आप सुनिये। आप पेशेंस रखिये। आप जल्दी क्यों कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप वह बात तो बताएं। अनस्पेंड मनी के लिए बता दें आप।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अनस्पेंड मनी कितनी बताई आपने?

श्री सी. पी. जोशी : बताई न आपको। नहीं बताई क्या मैंने? अनस्पेंड मनी का फीगर बताया। मैंने, आप सुन नहीं रहे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या?

श्री सी. पी. जोशी : अनस्पेंड मनी बतायी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यू.सीज के साथ जोड़ कर नहीं, मेरा पाइंटेड सवाल यह था...

श्री सी. पी. जोशी : मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं 250.79 करोड़ अनस्पेंड मनी है। अब नहीं बता रहा हूं क्या मैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री जी, थोड़ी-सी स्पीड कम कर दें।

श्री सी. पी. जोशी : मैं बता चुका हूं, आप तो सुन नहीं रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरा सुनेंगे। मेरा निवेदन इतना है कि टोटल आपके पास 31 मार्च, 2001 को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का कितना पैसा अनस्पेंड पड़ा था?

श्री सी. पी. जोशी : 250.79 करोड़ रुपये, तीसरी बार बोला मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप इन पैसों का उपयोग क़ब तक कर लेंगे ?

श्री सी. पी. जोशी : आप बात तो सुनिए, या प्रश्न ही पूछेंगे ? नहीं सुनो तो मैं बैठ जाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड को करैक्ट करना चाहता हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2000-2001 में जे.जे.एस.वाई. योजना के अंतर्गत 63.75 करोड़ रुपये थे उसके अगेंस्ट में हमने 99.46 करोड़ रुपये स्पेंड किये हैं। आशावस्थित रोजगार योजना के अंतर्गत 2000-2001 में रिलीज हुए हैं। 46.18 करोड़ रुपये, उसके अगेंस्ट में हमने 85.1 करोड़ रुपये स्पेंड किये हैं। अध्यक्ष महोदय , आप जो फीगर दे रहे हैं वह फीगर करेक्ट नहीं है। वह 1997-98 के बैकलाग को बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आपकी भावनाएं राजनीतिक नहीं होनी चाहिये। आप कम से कम इस फीगर को करेक्ट कर दीजिए कि 1998-99 में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को 282.87 करोड़ रुपये दिये, 1999-2000 में 259.9 करोड़ दिये, 2000-2001 में 274 करोड़ रुपये दिये हैं और 2001-2002 में 234 करोड़ रुपये आएंगे। जो पैसा 80 : 20 से 75 : 25 परसेंट हो गया, वैस्टर्न राजस्थान से आप चाहते हैं कि 100 परसेंट जो पैसा मिलता है वह 75 : 25 रह गया, क्या आप अपने प्रभाव का उपयोग लेकर आपकी जो पार्टी दिल्ली में सरकार में है उससे राजस्थान को 80 : 20 का पैसा कराना चाहते हैं या 100 परसेंट पैसा डी.डी.पी. में कराना चाहते हैं ? या ई.ए.एस. का जो पैसा हमें नहीं मिला है तीन साल के अकाल के बाद, उड़ीसा को जैसे मिला है वैसे राजस्थान को भी ई.ए.एस. का पैसा जो सेंट्रल पूल का है वह मिले जिससे हम अकाल को ज्यादा मीट आउट कर सकें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी परफोरमैंस कैसी है। आपकी परफोरमैंस अच्छी नहीं होगी तो पैसा कम मिलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : हमारी परफोरमैंस तो इतनी अच्छी है कि आंकड़े ही नहीं है।

श्री जुगल काबरा : उड़ीसा की परफोरमैंस बहुत अच्छी थी जो उनको पैसा मिल गया ?

श्री अध्यक्ष : सुराना जी, एक प्रश्न पर आधा घंटा हो गया, आप पूछ लीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : मैंने कोई सवाल अभी पूछा ही नहीं है। 1998-99 में 1058 करोड़ की यू.सी. बाकी होना आपने शुरू में बताया है, मुझे यह फीगर चाहिये कि दिसम्बर, 1998 तक विभिन्न योजनाओं में कितना डिवोल्यूशन आप नीचे डी.आर.डी.ए. को कर चुके थे ? और दिसम्बर 1998 से मार्च, 1999 में कितना रुपया आपने डिवोल्यूशन किया है ? जिससे कि यह पता चले कि यू.सी. अनयूटिलाइज कितनी थीं, आपके टाइम से पहले कितना रुपये नीचे जा चुका था और आपके आने के बाद कितना रुपया नीचे गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यू.सी. का यूटिलाइजेशन का नहीं है, प्रश्न है गनी का अलाटमेंट हो जाता है, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भारत सरकार आगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एडवांस करती है। यू.सी. का मतलब यह नहीं कि हम खर्चा नहीं करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही करैक्शन करूंगा, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यू.सी. के अलग-अलग टाइमिंग बना रखे हैं कि दिसम्बर में नहीं कराएंगे तो इतना पैसा कटेगा, जनवरी में कराएंगे तो इतना पैसा कटेगा, इसलिए एक साथ यू.सी. का नहीं है कि साल भर में देनी थीं। दिसम्बर तक भी आपको यू.सी. देनी थीं। दिसम्बर तक यू.सी. नहीं दी गई इसलिए पैसा कटा। 1998-99 में पूरे साल का जो देना था वह नहीं दिया इसलिए पैसा कटा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे सवाल का जवाब आ जाए, साहब कि दिसम्बर, 1998 से मार्च, 1999 तक आपने कितना रुपया आपके आने के बाद विभिन्न योजनाओं में डी.आर.डी.ए. को भेजा ?

श्री सी. पी. जोशी : मैं बता रहा हूं आपको। 1998-99 में 282.87 करोड़ रुपये गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मिले और 74.40 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट से गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो दिसम्बर का पूछ रहा हूं, दिसम्बर, 1998 में आपके आने के बाद ग्रामीण विकास में कितना रुपया दिसम्बर, 1998 से मार्च, 1999 में भेजा नीचे ?

श्री सी. पी. जोशी : मार्च, 1999 तक के ही फीगर दे रहा हूं मैं, 357.27 करोड़ रुपये स्टेट और सैंट्रल दोनों का मिलाकर.....

श्री सांवरलाल : यह तो टोटल साल का है, दिसम्बर में आपके आने के बाद कितना गया, यह बताइये आप ?

श्री सी. पी. जोशी : इसमें क्या अंतर है, समझाओ मेरे को।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसमें बहुत अंतर है।

श्री सी. पी. जोशी : क्या अंतर है ?

श्री सांवरलाल : यह जो आप बता रहे हो यह तो केवल करंट ईयर का बैलेंस जोड़कर बताया है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप एक-एक बोलें, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : ऐसा है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कुछ दिन सरकार यह रही और कुछ दिन आपकी रही, तो यह चाहते हैं कि इन्होंने कितना भेजा और आपने कितना भेजा, वह डिस्टिंक्शन हो जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : जितना शेष रहा उतना इन्होंने यूटिलाइज कर दिया। जितना शेष बचा चार महीने में, हमारे पास एक-एक आंकड़े हैं। उस वक्त अकाल नहीं था, आज तो अकाल है। अकाल के समय...(व्यवधान) आज तो अकाल है, उस वक्त अकाल न होते हुए भी आपने खर्च नहीं किये।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय, फीगर हो तो दे दीजिए, नहीं तो करैक्ट कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सांवरलाल : इतना पैसा था तो यह ढिंढोरा क्यों पीटा कि खजाना खाली है, इसका जवाब दे दीजिए? जब इतना रुपया आपके पास पैंडिंग था....

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दी है। श्री सुरेन्द्र व्यास, ओनली वन क्वेश्चन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 1998-99 को डेलिब्रेटली इसीलिए अवाइड किया था कि यह मिक्सअप हो जाएगा। डिबेट पूरी इस बात पर होती कि आपने यह किया और वह नहीं किया। You are Government of the day and you are accountable. आप छोड़िए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मंत्रीजी, आप बोलते हैं 1999-2000 के लिए कि टोटल मनी तो 56 परसेंट खर्च किया बैलेंस और टोटल फण्ड को मिलाकर और उस फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन में आपने खर्चा किया। 101.70 करोड़, इसका मतलब आप, I am atleast confused.

श्री सी. पी. जोशी : 70 परसेंट। This is percentage.

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, परसेंट ही कह रहा हूं। यह फीगर रिकन्साइल जब हो सकते हैं। जो पिछले साल का कैरी फारवर्ड आया वह अमाउंट टच ही नहीं किया आपने। कैसे किया....You kindly explain this.

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी बात सुन लें पहले। 1998-99 के फाइनेंशियल ईयर खतम होने के बाद जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था वह 279.65 करोड़ रुपये, हमको भारत सरकार से मिला 259.00 करोड़ रुपये।

श्री सांवरलाल : वह सब समझ रहे हैं हम।

श्री सी. पी. जोशी : आप समझ रहे हैं वह तो अच्छा है, मैं तो जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिला है 86.52 करोड़ रुपये। करंट ईयर में स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर 355.52 करोड़ रुपये। इसमें यदि ओपनिंग बैलेंस 279 करोड़ का मिला देते हैं तो अवेलेबल फण्ड है 635.17 करोड़ रुपये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 635 का तो हुआ 56 परसेंट और 355 का हुआ 101 परसेंट। इसका मतलब पिछला जो 279 करोड़ रुपया आया 1998-99 का, उसको आपने बिलकुल भी स्पेंड नहीं किया।

श्री सांवरलाल : यह इंटरप्रिटेशन ही गलत कर रहे हैं। मंत्री जी, कैरी फारवर्ड बैलेंस को आप बैलेंस रखते हो क्या? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं बिलकुल। इन्होंने 101 परसेंट कैसे कर दिया? जो आपके हाथ में बैलेंस था....(व्यवधान) आप यह कैसे कह सकते हैं कि करंट अलाटमेंट का 101 परसेंट पैसा कर दिया, टोटल का 56 परसेंट कर दिया। आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते आंकड़ों का।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मर्जी आये जो इंटरप्रिटेशन करें, कि आपके इंटरप्रिटेशन के अनुसार हमको फेक्चुअल पोजीशन बताएं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह 56 परसेंट कैसे हो गया, 101 परसेंट कैसे हो गया ?

जिला नागौर के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की आपूर्ति

554. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में किस-किस श्रेणी के आयुर्वेद व यूनानी औषधालय कहां-कहां पर हैं ? ग्राम का नाम, पंचायत व नगरपालिका के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त औषधालयों में सरकार की ओर से दवाइयां सप्लाई की जाती हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से औषधालय के लिए दवाइयों का वर्ष 2000-2001 के लिये कितना-कितना बजट प्रावधान था और कितनी-कितनी राशि की दवाइयां सप्लाई की ? औषधालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लाडनूं शहर के आयुर्वेदिक औषधालय के लिये उक्त वर्ष में दवाइयों के लिये एक लाख से ऊपर का बजट प्रावधान था फिर भी दवाइयां केवल साढ़े चार हजार रुपये की ही सप्लाई की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा शेष बजट प्रावधान का क्या हुआ ?

(4) जिले में उक्त वर्ष में कौन-कौन से औषधालय कब-कब खोले गये तथा उसमें कौन-कौन सा स्टाफ कब-कब से कार्यरत हैं ?

(5) क्या वर्तमान में उक्त जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों व अन्य स्टाफ के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से औषधालय में कौन-कौन से पद कब-कब से खाली हैं, जिनको कब तक भरा जा सकेगा ? औषधालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) नागौर जिले में संचालित व स्वीकृत विभागीय आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां औषधालयों को रोगी संख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के तहत अधिकतम सीमा राशि निर्धारित कर सप्लाई की जाती हैं। वर्ष 2000-2001 में निर्धारित अधिकतम औषध सप्लाई सीमा व वास्तव में सप्लाई की गई औषधियों की राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं। राज्य में औषधि निर्माण के लिए रसायनशालाओं को इकजाई बजट स्वीकृत होता है। इस बजट से औषधियां क्रय/निर्मित की जाकर औषधालयों को उपलब्धि के आधार पर सप्लाई की जाती हैं। औषधालयों को कोई बजट स्वीकृत नहीं होता। रोगी संख्या के निर्धारित मापदण्ड के आधार पर औषधालय के लिये अधिकतम सीमा राशि निर्धारित की जाती है। लाडनूं स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए वर्ष 2000-2001 की औषध सप्लाई सीमा 5600

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रुपये निर्धारित की गई थी। इसके विरुद्ध 4606.59 रुपये की औषधियां सप्लाई की गई हैं।

(4) वर्ष 2000-2001 में कोई नवीन औषधालय नहीं खोले गये हैं क्योंकि विभागीय बजट में नवीन औषधालय हेतु कोई प्रावधान स्वीकृत नहीं था।

(5) जी, हां। नागौर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 34 पद, नर्स/कम्पाउण्डर के 38 पद तथा परिचारक के 16 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिये निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर चिकित्सकों के 200 रिक्त पद भरे जा सकेंगे। 250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। 100 परिचारकों के पदों को भरने की कार्यवाही भी की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मोहम्मद माहिर आजाद : आयुर्वेद मंत्री जी कहां गये ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनकी बहन की डैथ हो गई इस कारण से वह नहीं आ सके।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय मंत्री महोदय, आपने प्रश्न के भाग दो और तीन में यह बताया कि अधिकतम सीमा निर्धारित ...(व्यवधान) रोगियों की संख्या के आधार पर की जाती है, तो रोगियों की संख्या के ऊपर प्रति रोगी अधिकतम कितनी सीमा निर्धारित है ?

दूसरा मेरा निवेदन है, प्रश्न के भाग तीन में आपने बताया कि लाडनूं औषधालय में 5600 रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी। यह जो आपने सूची दी है, लाडनूं "अ" श्रेणी का औषधालय है उसमें आपने 5600 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की। इसी पेज पर बेरी खुर्द में "ब" श्रेणी का औषधालय है उसमें 29268 की सीमा निर्धारित की। "अ" श्रेणी में नागौर जिले में जैसे नावां, परबतसर है उसमें आपने 38,000 और 47,000 की अधिकतम सीमा निर्धारित की है, जबकि आबादी के हिसाब से लाडनूं नागौर जिले में दूसरे नम्बर का बड़ा शहर है। या तो यह मिसप्रिंट हुआ है। आप बता दीजिए, रोगी संख्या लाडनूं में कितनी थी और परबतसर में कितनी थी? परबतसर के मुकाबले लाडनूं की जनसंख्या तीन गुनी है, वह "अ" श्रेणी का औषधालय है, वहां तीन-चार वैद्य कार्यरत हैं और आप अधिकतम सीमा 5600 रुपये बता रहे हैं।

इसी प्रकार आप आगे सूची देखेंगे, "ब" श्रेणी के औषधालय हैं उनमें सीमा कितनी है। अधिकतर जगह आपने सात हजार-सात हजार की दवाइयां सप्लाई की हैं। रेण में 35,000 की सीमा है वहां भी आपने सात हजार की है और पिड़ौद में जहां 11,000 की हैं वहां भी आपने सात हजार की है। थांवला में 32,000 की जगह 25,000 की है। इसके

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हिसाब से आपने दवाइयां सप्लाई करने में किसी तरह का कोई मापदण्ड नहीं अपनाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद पद्धति विश्व में सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, अगर आपके विभाग द्वारा ही इस प्रकार इसकी उपेक्षा की जाएगी तो आगे इसका मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप इसमें विस्तार से जवाब दीजिए। दूसरा यह है कि आपने प्रति रोगी सीमा निर्धारित की है वह प्रति रोगी कितनी राशि है? लाडनूं में आपने 5600 रुपये की बताई यह गलत है। आप यह बता दीजिए कि लाडनूं में रोगी संख्या कितनी है? जहां पर तीन-चार वैद्य बैठते हों, "अ" श्रेणी का हास्पिटल हो, इन्डोर की व्यवस्था हो वहां आप 5600 रुपये की दवाइयां लेकर आते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनका काफी लम्बा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि प्रति रोगी औषधि की अधिकतम सीमा राशि कितनी है। इसके उत्तर में मैं यह बताना चाहता हूं कि एक रोगी पर प्रति दिन दो रुपये की अधिकतम औषधि की सीमा राशि निश्चित की हुई है। जहां तक आपने "अ" श्रेणी के औषधालय लाडनूं के बारे में मेरे से पूरक प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999-2000 में "अ" श्रेणी के औषधालय को 4825.97 रुपये की औषधि दी गई। वर्ष 2000-2001 में 5600 रुपये की अधिकतम औषधि की राशि वहां से रोगियों की संख्या न मिलने पर डायरेक्ट्रेट ने अपने स्तर पर तय की थी और उसके अगेंस्ट में 4606.69 रुपये की औषधि की वहां पर आपूर्ति की गई थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल, 2000 को इस औषधालय में 35,000 की दवाइयां स्टाक में थीं, 31 मार्च, 2001 को इस औषधालय के पास 23,000 रुपये की दवाइयां स्टाक में थीं और गत पूरे वर्ष 17,000 रुपये की दवाइयां उपयोग में आई। यह बात भी निश्चित है कि यहां पर रोगियों की संख्या काफी है, लेकिन औषधियों की यहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। चूंकि वहां के चिकित्सक ने समय पर रोगियों की संख्या नहीं भेजी थी डायरेक्ट्रेट को, इसलिए डायरेक्ट्रेट ने अपने स्तर पर 5600 रुपये की अधिकतम राशि तय कर दी थी। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान बजट में इस राशि को बढ़ाया गया है, क्योंकि रोगियों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है। वर्ष 1999-2000 में 67878 रोगियों ने अपनी चिकित्सा करवाई, इसके अनुसार "अ" श्रेणी के लाडनूं के औषधालय की अधिकतम औषधि की सीमा 1,35,756 रुपये चालू वर्ष के बजट में कर दी गई।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रति रोगी दो रुपये के हिसाब से अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुरानी सीमा है। इस

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सम्बन्ध में अभी पिछले बजट सत्र में प्राक्कलन समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें यह सिफारिश की है, समिति महसूस करती है कि उक्त राशि बहुत ही कम है, उसे बढ़ाकर कम से कम 10 रुपये प्रति दिन आउटडोर में और 30 रुपये प्रति दिन इन्डोर में किया जाना चाहिए। साल भर तो इस सिफारिश को हो गया, आप इस सम्बन्ध में कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ? इस साल आप इसको बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, एक बात ?

दूसरा, आपने कहा कि इस साल में यह सीमा आपने कर दी है 135 की, लाडनूं की पिछले साल भी यही सीमा थी। आप औषधालय में जाकर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : पिछले साल भी यही सीमा थी। आपने 5600 रुपये का आंकड़ा बिलकुल गलत दिया है। या तो यह आपके मिसप्रिन्ट हुआ है। इस बात की आप पूरी जानकारी कराइए। 5600 रुपये जो लिखा है इसकी जगह 1,35,000 के आसपास या 44,000 इन दोनों में से एक आंकड़ा है पिछले साल का, आप देख लीजिए। वहां औषधियों की कमी है, मैं खुद जाकर आया हूं। आप कब तक सप्लाई कर देंगे, यह बता दीजिए ?

मोहम्मद माहिर आजाद : कल्ला साहब, मेरा एक सवाल....

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा तो उत्तर आने दीजिए। यह बीच में क्या है, मेरा उत्तर तो आने दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सर ने अलाउ किया है, आपका तो दूसरा सप्लीमेंट्री है। एक सवाल का साथ में जवाब आ जाएगा। यह कब तक देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दोनों का साथ ही आ जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, आपने अभी उत्तर में कहा कि ढाई सौ आयुर्वेद कम्पाउण्डरों के और आयुर्वेद चिकित्सकों के जो पद रिक्त हैं उनको भरने की वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई, कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद विभाग ने पहले कुछ फार्म भरवाए थे, आवेदन पत्र लिए थे, क्या उसमें वही आवेदन पत्र स्वीकार करेंगे या दुबारा से फ्रैश एप्लीकेशन मांगेंगे ?

मेरा दूसरा सवाल है कि आपके कई सालों से रिक्तियां नहीं भरने के कारण जो यूनानी चिकित्सक ओवरएज हो गए थे, अभी हाल ही में सरकार ने उनको पांच साल की छूट दी है, तो क्या आयुर्वेद चिकित्सकों और उप-वैद्यों को भी आप आयु सीमा में छूट देने का विचार रखते हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, खास तौर से लाडनूं के "अ" श्रेणी के औषधालय में जो अधिकतम राशि इस वर्ष 1,35,576 रुपये की निर्धारित की गयी है उसके अनुसार वहां

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

औषधियों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जैसे-जैसे औषधालय के चिकित्सक का हमारे अजमेर की रसायन-शाला में मांग पत्र आएगा उसके अनुसार औषधियों की पूर्ति करा दी जाएगी।

जहां तक उन्होंने प्राक्कलन समिति का हवाला देकर प्रश्न किया है, वर्तमान में विभाग की आवश्यकता 8 करोड़ 3 लाख रुपये की है, उसके अगेंस्ट 2 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट मिला है। इसके हिसाब से तो करीब-करीब यह समझिए कि 40 करोड़ 15 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। जो प्राक्कलन समिति ने सिफारिशें दी हैं तो यह तो वित्त विभाग पर निर्भर करता है। हमने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी हुई है। दूसरे प्रश्न के बारे में मैं इनको खास तौर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस औषधालय में वर्तमान में 17,000 रुपये की दवाइयां उपयोग में आई थीं और उसके बाद में उनके पास पूरा स्टाक पड़ा है, और इस बार की जो सीमा है उसके अन्तर्गत दवाइयां भेज दी जाएंगी।

जहां तक नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है भर्ती के बारे में, यह प्रश्न अलग से है। यह मैं बता सकता हूं कि वर्तमान सरकार के आने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 128 पद, यूनानी चिकित्सकों के 16 पद, होमियोपैथी चिकित्सकों का एक पद, नर्स और कम्पाउण्डर 11, इनकी भर्ती की गयी। अब नई भर्ती कैसे की जाएगी, यह अलग प्रश्न है। मूल प्रश्न यह है कि कितने चिकित्सकों और इनकी भर्ती की जा रही है। उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें 200 चिकित्सकों, 250 नर्स और कम्पाउण्डर और 100 परिचालकों के पद भरने की प्रक्रिया वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की परमीशन लेकर की जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह नीचे पर्ची में जवाब आ गया।

मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आयु सीमा में जो यूनानी हकीमों को छूट दी है तो क्या आयुर्वेद के साथ भी न्याय करेंगे? पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसमें भी छूट देंगे कि नहीं देंगे आप?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अलग से प्रश्न है, अलग से है।

श्री अध्यक्ष : यूनानी का अलग से प्रश्न है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आयुर्वेद का ही पूछ रहा हूं, साहब। यूनानी का तो उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो आयुर्वेद का ही पूछ रहा हूं। आयुर्वेद इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हम तो माननीय वित्त मंत्रीजी से मांग भी करते हैं कि अगर इसके बजट में पैसे की कमी है तो 40 करोड़ रुपये का जो घाटा है वह और दिया जाए ताकि देहातों में जो पुरानी पद्धतियां हैं, ये लागू रहें। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि एलोपैथी, यूनानी, होमियोपैथी और आयुर्वेद चारों में समानता लाने का इरादा रखते हैं कि नहीं? जब इनमें छूट दे दी तो इसमें भी छूट दें आप। इन्होंने क्या अन्याय किया है? वैद्यों ने आपका क्या अन्याय किया है, जब आपने दूसरों को भी छूट दे दी, इसमें भी दे दें।

श्री अध्यक्ष : आपका अनुपूरक प्रश्न है।

मोहम्मद माहिर आजाद : भर्ती के प्रोसीजर की बात है। प्रक्रिया तो एक अपनाएंगे उसमें आप।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया कि रोगी संख्या के आधार पर औषधालयों में दवाइयां भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, डेढ़ वर्ष से इसी सदन में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से मैं आपको जानकारी कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दो हरसोल और भैरून्दा में पद रिक्त हैं और इन औषधालयों में आज तक कोई रोगी गया ही नहीं है। वहां आवारा कुत्ते और पशु घूमते हैं, वहां इन्होंने दवाइयां भेजीं क्या? भेजीं तो किसको दीं? अध्यक्ष महोदय, वहां कोई रोगी ही नहीं आया, यह औषधालयों का हाल है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में ऐसा कोई औषधालय नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं बता रहा हूं आपको, हरसोल और भैरून्दा, दो जगह।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, जहां कम से कम वर्किंग अरेंजमेंट के अनुसार कोई न कोई आदमी लगा हुआ है, या तो...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं। पूरे अधिकारपूर्वक कह रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष से पद रिक्त पड़े हैं, आज तक एक रोगी वहां दवा लेने नहीं गया। मैं आपको कस्बों के नाम बता रहा हूं, हरसोल और भैरून्दा। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के प्रत्येक औषधालय में या तो आयुर्वेद चिकित्सक काम कर रहा है या कम्पाउण्डर काम कर रहा है। जहां दोनों नहीं हैं वहां हमने पास के औषधालय के कम्पाउण्डर अथवा चिकित्सक को वर्किंग अरेंजमेंट के अन्दर लगा रखा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : डेढ़ वर्ष से पद रिक्त हैं।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि छिलना में तो ताला लगा हुआ है।

श्री सांवरलाल : साहब, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री जी, यह बता दीजिए कि व्यवस्था के लिये किसको लगा रखा है? भैरून्दा औषधालय में व्यवस्थार्थ किस कम्पाउण्डर या वैद्य को आपने लगा रखा है, उसका नाम बता दीजिए? और कबसे लगा रखा है, बता दें आप?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, प्रो. सांवरलाल।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी मेरे क्षेत्र में आये थे वहां पर भी ग्रामीणों ने उनसे शिकायत की और उनको बताया कि ताला लगा हुआ है छिलना के हास्पिटल में।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नाम बता दें, अध्यक्ष महोदय, किसको लगा रखा है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट काल कर लिया है मैंने। अमरारामजी, मैंने दूसरा प्रश्न काल कर लिया है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सिर्फ 2 ही जगह का नाम बताएं, साहब, मुझे।

श्री अध्यक्ष : दो क्वेश्चन ही आये हैं। प्रोफेसर सांवरलाल।

श्री अमराराम (धोद) : नागौर को पूछा है। ये कह रहे हैं कि व्यवस्था है तो बता दें नाम, कौन हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

कृषि अधिकारी के पद पर तकनीकी अधिकारी का पदस्थापन

555. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 29.5.76 से निदेशक कृषि के पद पर तकनीकी अधिकारी लगाने की सिफारिश को लागू करने के लिये राज्य सरकार को निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो निदेशक कृषि के पद पर तकनीकी अधिकारी को लगाने की अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन) : भारत सरकार ने पत्र दिनांक 29.5.76 के द्वारा कृषि विभाग में तकनीकी अधिकारी लगाने की बात कही थी। इस पद पर रहे अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

भारत सरकार की सिफारिश में कृषि अनुसंधान को कृषि विभाग से कृषि विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने की बात कही गयी थी। अनुसंधान का कार्य कृषि विश्वविद्यालय को आदेश दिनांक 27.12.75 के द्वारा स्थानान्तरित किया जा चुका था।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि लगाने की बात कही थी। एक तो मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या कही थी ? आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं हैं ? आदेश दिया कि निर्देश दिया, वह जरा पढ़कर हमें सुना दें। दूसरा आपने लिखा है कि कृषि अनुसंधान को कृषि विभाग से कृषि विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने की बात कही थी, तो ये दोनों एक ही सर्कुलर या पत्र के जरिये आपको कही थी या अलग-अलग पत्र इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने लिखे थे, आप जरा यह बता दें ?

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह था कि रिसर्च का काम भी और डिपार्टमेंट का काम भी डायरेक्ट्रेट से ही होता था। उन्होंने यह कहा था कि कुछ राज्यों में इसका इंतजाम नहीं हुआ है, तो इस तरह से कुछ टैक्निकल अधिकारी लगाए जाएं और उसमें इसको अलग किया जाए। हमारे राज्य ने इसको अलग कर दिया, 1.1.76 से यह लागू हो गया। उसके बाद उनकी जो—

श्री सांवरलाल : नहीं, मंत्रीजी, मेरा तो सवाल यह है कि ...

श्री तैय्यब हुसैन : मैं बता रहा हूं, साहब, आप जरा सुनिये न। (व्यवधान) मैं तो बताने ही लगा हूं...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : जो नहीं पूछ रहा हूं वह काहे को बता रहे हैं आप? मैं तो यह पूछ रहा हूं कि यह एक ही पत्र के जरिये हुआ या अलग-अलग पत्र इस सम्बन्ध में आये? वह पत्र जरा पढ़कर सुना दें आप।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल, उत्तर आने दीजिए।

श्री तैय्यब हुसैन : जरा सुन लीजिए। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने उस वक्त यह बात इसलिये कही कि रिसर्च का काम भी वे देखते थे। यह इश्यू तो ऐसा है जिस पर वे भी सहमत हैं और हम भी सहमत हैं। दोनों ही सहमत हैं कि आई.ए.एस. अधिकारी लगाना है। वे भी लगाते रहे हैं और हम भी लगाते रहे हैं। अब तो हमने रूल अमेंड कर दिया है कि सिर्फ आई.ए.एस. अफसर ही लगेगा।

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, जब भारत सरकार ने बात कही थी तो मैं यही तो जानकारी चाह रहा हूं कि आप उस चीज को मानने के लिये बाध्य हैं कि नहीं हैं? एक तो यह जवाब नहीं दिया। दूसरा यह कि 1998 में तत्कालीन कृषि मंत्री ने क्या किसी एस.टी. के अधिकारी को डाइरेक्टर लगाने के लिये पत्रावली चलाई थी क्या, अनुशंसा की थी क्या?

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी लिस्ट इनको दे दी है कि 54 से लेकर अब तक कौन-कौन अधिकारी रहे हैं। यह बात ही हमेशा महसूस की गयी, अब तक आई.ए.एस. अधिकारी ही यहां काम करते रहे।

श्री सांवरलाल : इसके पीछे कारण बता दीजिए, मंत्री महोदय, क्या कारण रहे कि आई.ए.एस. ही काम करेगा, जो डिपार्टमेंट का अनुभवी और योग्य है वह काम नहीं करेगा? आई.ए.एस. के लगाने से विभाग को कौन-कौन से फायदे आप करवा देंगे, जरा बता दीजिए।? इसका बैकग्राउण्ड तो होगा कुछ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहूंगा, भारत सरकार ने आपको निर्देश दिया कि आप निदेशक के पद पर तकनीकी अधिकारी को लगाएंगे, क्या यह सही है कि भारत सरकार के निर्देश मिलने के पश्चात् भी आपने निर्देशों की पालना नहीं की? क्या भारत सरकार के निर्देशों की पालना करना या आदेशों की पालना करना, यह आपके कर्तव्यों में नहीं है?

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं आप भी आई.ए.एस. यहां लगाते रहे हैं क्योंकि यह...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम क्या करते रहे हैं, छोड़ो इसको। हमने क्या किया, छोड़ो इसको। आप यह बताओ कि आपके पास भारत सरकार के निर्देश हैं और आपने इसके अन्दर रूल्स को अमेंड कर दिया।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं बताने तो लगा हूं आपको। हमने तो...(व्यवधान) बताने तो लगा हूं, आप जरा सुनने की हिम्मत रखिये।

श्री सांवरलाल : नहीं, मंत्री महोदय, 1995 में आपने जो सूची दी है जब हमारी सरकार थी, विभाग का अधिकारी लगा यहां पर।

श्री तैय्यब हुसैन : आपने एक अधिकारी लगाया, मैं बता दूं आपको...

श्री सांवरलाल : 1995 में और उसके बाद में 1998 में सिफारिश तत्कालीन कृषि मंत्री ने की थी। इसकी जानकारी आपने की थी कि नहीं की थी? आपका राज आने के बाद में वह विभागीय अधिकारी एस.टी. का था, ट्राइबल एरिये का था, उसको दरकिनार करके पता नहीं इन आई.ए.एस. में क्या आप देखते हैं? जिनको एग्रीकल्चर की ए. बी. सी डी का ज्ञान नहीं है, उनको लाकर बैठा रहे हो और बैठा दिया। बताइये, क्यों कर रहे हैं आप?

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मगरमच्छ के आंसू बहाने से तो काम चलेगा नहीं। इनका एक्शन जो है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई? यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : Action speaks for itself. (व्यवधान) मैं बताने लगा हूं आपको...

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 के अन्दर हार्टीकल्चर के डाइरेक्टर जो अनुसूचित जनजाति के थे जिसके लिये...(व्यवधान) लेकिन इन्होंने बाद में उसको नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसके साथ, जरा सुन लीजिए, साहब। (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा) : श्रम मंत्रीजी का लड़का जो हार्टीकल्चर का डाइरेक्टर था उसकी रिकमण्डेशन हुई थी, आपको याद दिला रहा हूं।

श्री तैय्यब हुसैन : यह बिलकुल गलत बातें आप कह रहे हैं, तथ्यों से परे कह रहे हैं। माननीय, आप मेरे प्रीडिसेसर रहे हैं, कम से कम आप तो सही बात कहिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, यह बात सही है, वह रिकमण्डेशन माननीय भैरोंसिंह जी ने, मैंने और सैक्रेटरी ने की थी। वह फाइल आपके पास है, उसको आपने नहीं किया। वह अनुसूचित जनजाति का था...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने ...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : ये आदिवासी क्षेत्र के लोगों को उच्च पदों पर पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए किन्तु परन्तु करके आई.ए.एस. आफिसर को लगा रहे हैं। मूल बात यह है कि आदिवासियों के खिलाफ हैं ये लोग।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5.7.1995 से लेकर 30.6.1996 तक मिस्टर सुशील शर्मा डिपार्टमेंट के रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको पता नहीं है।

श्री तैय्यब हुसैन : आगे उन्होंने 30.6.1996 को श्री टी. श्रीनिवासन, आई.ए.एस. को लगाया। उसके बाद 3.8.1996 को श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल को लगाया। तो यह किसलिए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम गोबर खाएंगे तो आप भी गोबर खाओगे क्या? जो हमने किया है वही आप कर रहे हो? हमने तो गोबर खाया तो आप भी गोबर खाएंगे? (व्यवधान) अब तो आप यह कह दो कि ...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : एक मिनट, मैं कह रहा हूं इस पाइंट पर। यह जो आप करते आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने किया। यह जो डिस्प्यूट चल रहा था, वन्स फार आल रूल अमेंड करके सैटल कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजिए। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

श्री जगत सिंह दायमा : आप कह रहे हैं कि आपने गोबर खाया, हमने खाया है तो आप भी गोबर खाओगे क्या। बताओ, साहब, ऐसे कोई...(व्यवधान) और हमारा यह कहना है कि दोनों गोबर खा रहे हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : इसलिए मंत्रीजी ने कहा है कि मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए तो माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि आप मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, शिवचरणजी माथुर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात है, आपकी अनुमति से एक मिनट में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री शिवचरण माथुर : पहले आप मुझे कर लेने दो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों का पुनः पेंशन निर्धारण प्रकरण

940. श्री रामस्वरूप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचम् वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत करने से पूर्व राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर राज्यादेश जारी किये गये? सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों जबकि राज्य कर्मचारियों के साथ लिखित में समझौता किया गया था? उक्त में किन-किन बिन्दुओं पर आम सहमति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्त विभाग के आदेश क्र. पं. 15 (2) विवि/98 दिनांक 21-3-98 के तहत अब तक कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा कितने प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका हैं? पेंशन स्थिरीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा कब तक थी? क्या उसे आगे बढ़ाने का विचार है?

(4) क्या सरकार के विभिन्न आदेशों के तहत उक्त पेंशन उपकरणों का पुनः निर्धारण किया जाना था? यदि हां, तो अब तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितनों का निपटारा किया जा चुका है और अब कितने प्रकरण किन कारणों से बकाया हैं?

(5) उक्त बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु, क्या राज्य स्तरीय समीक्षा की जाती है? क्या सरकार पेंशनरों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है?

(6) राज्य में कितने पेंशनर न्यूनतम पेंशन व महंगाई भत्ते से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? उक्त न्यूनतम पेंशन देने में क्या अड़चन आ रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ।

(2) जी हां। राज्य कर्मचारियों के साथ हुए समझौते की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : प.15 (2) विवि/98 दिनांक 21.3.1998 के तहत अब तक समस्त कोषालयों को 153252 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 153120 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है।

पेंशन स्थिरीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

(4) जी, हां। उपरोक्त भाग संख्या-3 के अनुसार 153252 प्रकरण प्राप्त हुए तथा 153120 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। शेष 132 प्रकरणों में आवेदन-पत्र अपूर्ण तथा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं होने से निपटाए नहीं जा सके हैं। सम्बन्धित पेंशनरों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्रतीक्षित है।

(वित्त मंत्री)

(5) जी हां। वित्त विभाग द्वारा राज्य स्तर पर समीक्षा की जाती रही हैं एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए हैं।

(6) राज्य में 1461 पेंशनर न्यूनतम पेंशन व महंगाई भत्ते से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सामान्यतः पेंशनरों द्वारा पेंशन संशोधन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण ही संशोधित पेंशन देय नहीं की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

हनुमानगढ़ में गणतंत्र दिवस पर सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी

941. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ में गणतंत्र दिवस 2001 पर किन-किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों की क्या उपलब्धियां रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गणतंत्र दिवस 2001 पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करने वाले व्यक्तियों का चयन करने हेतु जिलेवार कोई सरकारी समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य होते हैं? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2001) को कुल 81 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही उपखण्ड संगरिया व नोहर में उक्त अवसर पर कुल 86 एवं 18 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सूची परिशिष्ट "क" "ख" एवं "ग" पर उपलब्ध है।

(2) संलग्न सूचियों में चयनित व्यक्तियों के नाम के आगे कार्य का संक्षिप्त विवरण अंकित है।

(3) उक्त अवसर पर उपस्थित जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। सूची परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध है।

(4) जी, हां! सूची परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मदिरा की दुकानों पर स्टाक रजिस्टर/ निरीक्षण पुस्तिका का संधारण

942. **श्री भाणजी** (दानपुर) एवं **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में मदिरा की सभी दुकानों पर स्टाक रजिस्टर एवं निरीक्षण पुस्तिका रखने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सभी दुकानों पर उक्त पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में कबसे व्यवस्था चालू कराकर इसकी सख्ती से पालना कराई जावेगी ?

उत्तर

जी, हां। राज्य में मदिरा दुकानों पर स्टाक रजिस्टर एवं निरीक्षण पुस्तिका रखने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को पालना सुनिश्चित करने हेतु विभागीय निरीक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया जाता है तथा पालना नहीं करने वाले अनुज्ञाधारी के विरुद्ध अभियोग पंजिकृत किया जाता है।

यंग स्पोर्ट्स क्लब शाहपुरा (भीलवाड़ा) को देय अनुदान

943. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के शाहपुरा में यंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा चौथी यूथ नेशनल वालीबाल प्रतियोगिता वर्ष 1997-98 में आयोजित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ऐसी प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली संस्थाओं को अनुदान बतौर राशि आबंटित करती है ? यदि हां, तो यंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित कराने पर उन्हें कितनी राशि आबंटित की गई ?

(3) क्या यंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा नेशनल प्रतियोगिता आयोजित कराने पर उनके द्वारा सहायता राशि की मांग हेतु कोई आवेदन पत्र सरकार को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उक्त सहायता राशि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह प्रतियोगिता वर्ष 1998-99 में आयोजित की गयी थी।

(2) जी, हां। नेशनल खेल प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्थाओं को सामान्यतः सम्बन्धित राज्य खेल संघ के मार्फत अनुदान नियमों के अन्तर्गत राशि स्वीकृत की जाती है। यंग स्पोर्ट्स क्लब को कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) जी, हां। राजस्थान वालीबाल संघ द्वारा वर्ष 1998-99 में प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु राज्य क्रीड़ा परिषद् में अनुदान के लिए दिनांक 27.4.98 को आवेदन किया था। उक्त आवेदन राज्य सरकार को प्राप्त होने पर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प. 5 (4) खेल/98 दिनांक 31.7.1998 के द्वारा संस्था से उनके आय-व्यय अंकेक्षित लेखों की प्रति के साथ, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम उनकी संख्या, खिलाड़ियों की संख्या प्रतियोगिता परिणाम, खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी चाही गई। उक्त सूचना संस्था द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई।

संस्था के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित करने पर अब आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का कोई विचार नहीं है।

पंचायत समिति सायला (जालौर) का डार्क जोन समाप्ति प्रकरण

944. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर में पंचायत समिति सायला को डार्क जोन घोषित किया है ?

(2) उक्त क्षेत्र में कितनी मात्रा में भू-जल उपलब्ध है ?

(3) क्या उक्त डार्क जोन क्षेत्र में अधिक वर्षा से भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में डार्क जोन समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त क्षेत्र का अन्तिम सर्वे कब करवाया था और सर्वे का क्या परिणाम रहा तथा अब कब सर्वे करवाने का विचार है ?

(5) क्या यह सही है कि डार्क जोन क्षेत्र में बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में किसानों हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जालौर जिले की पंचायत समिति सायला भू-जल पुनर्मूल्यांकन 1.1.1998 के अनुसार समग्र रूप से "अति दोहित" (ओवर-एक्सप्लोइटेड) श्रेणी में वर्गीकृत है। यह श्रेणी पूर्व की "डार्क जोन" (वर्तमान में "क्रिटिकल" श्रेणी) से भी अधिक दोहन की श्रेणी है।

(2) पंचायत समिति सायला में 4 "भू-जल सम्भाव्य क्षेत्र" अच्छे पानी के एवं 1 "भू-जल सम्भाव्य क्षेत्र" खारे पानी का है। अच्छे पानी के 4 क्षेत्रों में भू-जल अवशेष उपलब्ध नहीं है एवं खारे पानी के 1 क्षेत्र में 2.6188 एम.सी.एम. भू-जल अवशेष है। भू-जल पुनर्मूल्यांकन प्रतिवेदन 1.1.1998 के अनुसार विवरण निम्नांकित है :—

क्र.सं.	पंचायत समिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	भू-जल सम्भाव्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	भू-जल अवशेष (एम.सी.एम.) (+)/(-)	भू-जल विकास की दर (प्रतिशत)
1.	सायला	1479.43	1. ए.-1	416.00	-45.8851	285.22
			2. ए.ओ.-1	681.25	-56.7067	332.83
			3. ए.ओ.-2.	181.25	-2.7727	132.11
			4. ए.ओ.-3	93.75	-3.2446	166.68
			5. एस. (ए.ओ.) (खारे पानी का)	92.00	+2.6188	40.25

(भू-जल मंत्री)

(3) जी, नहीं। पंचायत समिति सायला में भू-जल स्तर में वर्षा उपरान्त 1997 से वर्षा उपरान्त 2000 के मध्य 6.16 मीटर की गिरावट पायी गयी है। राज्य में नवीनतम भू-जल पुनर्मूल्यांकन 1.1.2001 का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस नवीनतम आंकलन के परिणाम में यदि किसी क्षेत्र में बदलाव पाया गया तो उस क्षेत्र का पुनः वर्गीकरण किया जावेगा।

(4) पंचायत समिति सायला (जालौर) का अन्तिम सर्वे 1.1.1998 को किया गया था जिसके परिणाम अनुसार पंचायत समिति सायला क्षेत्र को समग्र रूप से "अति-दोहित (ओवर-एक्सप्लोइटेड)" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। जालौर जिले के नवीनतम सर्वे (1.1.2001) के अनुसार क्षेत्र के भू-जल संसाधन के पुनर्मूल्यांकन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है।

(5) जी, नहीं। डार्क जोन घोषित क्षेत्र (जो अब "क्रिटिकल" श्रेणी में वर्गीकृत है) में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भू-जल दोहन हेतु नये कुएं एवं ट्यूबवैल बनवाने बाबत ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

जी, नहीं। विभाग द्वारा "क्रिटिकल" तथा "अति-दोहित" (ओवर-एक्सप्लोइटेड) क्षेत्रों में भू-जल दोहन हेतु नये कुएं एवं ट्यूबवैल हेतु ऋण/पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि नाबार्ड द्वारा अतिदोहित क्षेत्रों में भू-जल दोहन हेतु नये कुएं, ट्यूबवैल आदि बनवाने के लिए ऋण/पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

ग्राम पंचायत मोडी (उदयपुर) के सार्वजनिक कुएं पर अतिक्रमण

945. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत मोडी पंचायत समिति भीण्डर जिला उदयपुर के नागरिकों ने चराई योग्य भूमि एवं उसमें स्थित सार्वजनिक कुएं को किसी व्यक्ति द्वारा अपने कब्जे में कर लेने की शिकायत की है? यदि हां, तो किस तारीख को?

(2) क्या जिला कलक्टर उदयपुर ने इसकी जांच हेतु एस.डी.ओ. को पत्र लिखा है? यदि हां, तो कब एवं उसकी जांच रिपोर्ट कब जिला कलक्टर को प्राप्त हुई?

(3) क्या भूमि की खाते की नकल देखने से यह स्पष्ट है कि भूमि बिलानाम है? यदि हां, तो फिर अब तक बेदखल क्यों नहीं किया जा सका और अब कब तक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम पंचायत मोडी के नागरिकों द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर को दिनांक 10.4.2000 को शिकायत प्रस्तुत की गई।

(2) जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी बल्लभनगर को दिनांक 10.4.2000 को शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया

(राजस्व मंत्री)

गया। जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्राप्त नहीं हुई है। उपखण्ड अधिकारी बल्लभनगर से प्राप्त सूचना अनुसार तहसील बल्लभनगर द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण विचाराधीन है।

(3) यह सही है कि राजस्व अभिलेख में भूमि बिला नाम है एवं अतिक्रमण की कार्यवाही धारा 91 के तहत तहसील स्तर पर अतिक्रमी के विरुद्ध लम्बित है। निर्णय होने पर अतिक्रमण हटाया जाना सम्भव होगा।

ग्राम फूटोलाव तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में भूमि का कब्जा

946. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम फूटोलाव तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में आराजी खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा किस खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज है?

(2) क्या उक्त आराजी खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा के सम्बन्ध में पूर्व में राजस्व न्यायालय में कोई वाद चला? यदि हां, तो किस-किस के मध्य एवं न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया? न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आराजी खसरा नं. 192 में 4 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय के उपरान्त भी अभी तक कब्जा नहीं सौंपा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में एकलपीठ राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है? यदि हां, तो कब, किसके पक्ष में? क्या तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा उक्त निर्णय की पालना में सम्बन्धित पक्षकार को उक्त भूमि का कब्जा सम्भला दिया गया है? यदि हां, तो कब, और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय के निर्णयानुसार प्रतिवादीगण को कब्जा सौंपने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम फूटोलाव तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के आ.ख.नं. 192 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा न होकर 25 बीघा 07 बिस्वा है। जमाबन्दी सम्वत् 2054-2057 में रामराज, मुरारी सहाय पि. रामेश्वर हि. 1/2 एवं राजेन्द्र कुमार अविनाश पि. हरिनारायण पिस्ता बैवा हरि नारायण हि. 1/2 जाति हरियाणा ब्राह्मण साकिन देह खातेदारों के नाम दर्ज है।

(2) जी, हां। आ.ख.नं. 192 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा के सम्बन्ध में पूर्व में राजस्व न्यायालयों में वाद चले हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) आराजी ख.नं. 192 में प्रतिवादी (पांचू वगैरह) के पक्ष में 04 बिस्वा का निर्णय नहीं होकर पूर्व स्थिति के अनुसार (एक बिस्वा) भूमि का कब्जा वापस दिलाने का निर्णय हुआ है। निर्णयानुसार प्रतिवादीगण को दिनांक 3.5.2001 को कब्जा सम्भला दिया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(4) उक्त भूमि के सम्बन्ध में एकल पीठ, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा भी निगरानी सं. 160/87 दिनांक 6.7.1993 को खारिज की जा चुकी है। इस निर्णय में पक्षकार को कब्जा सम्भलाने सम्बन्धी कोई आदेश प्रदान नहीं किये हैं। अत: तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी निरस्त हो चुकी है। अत: न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 25.5.1987 बहाल रहता है, जिसकी अनुपालना में प्रतिवादीगण पांचू, कल्याण, गोपी, गोविन्द नारायण पि. झूंथा जाति मीणा नि. फूटोलाव को दिनांक 3.5.2001 को कब्जा सम्भला दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जयपुर शहर के कब्रिस्तानों में अवैध आवास

947. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रदेश के कब्रिस्तानों में मुर्दे दफनाने का काम करने वाले व्यक्तियों का इन्द्राज है? यदि हां, तो कब्रिस्तानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के कब्रिस्तानों में मुर्दे दफनाने का काम करने वाले व्यक्तियों के अलावा भी कुछ व्यक्ति निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो कुल कितने कहां-कहां रह रहे हैं?

(3) क्या मुर्दों के रहने की जगह कब्रिस्तानों में अवैध ढंग से रह रहे व्यक्तियों को वहां से हटाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या जयपुर शहर के घाटगेट, चार दरवाजा व शास्त्री नगर कब्रिस्तानों में कुछ गैर मुस्लिम परिवार भी काबिज हैं? यदि हां, तो उनको वहां से हटाने के लिए क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। कब्रिस्तानों में मुर्दे दफनाने का काम करने वाले व्यक्तियों के इन्द्राज सम्बन्धी रिकार्ड रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश के कब्रिस्तानों में मुर्दे दफनाने का काम करने वाले व्यक्तियों के अलावा 723 व्यक्ति कब्रिस्तानों में निवास कर रहे हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। इस सूचना में जयपुर शहर के अतिरिक्त जिले के अन्य क्षेत्रों की सूचना सम्मिलित नहीं है तथा 77 वक्फ कमेटियों में से 71 कमेटियों से सूचना प्राप्त नहीं होने से संकलित नहीं की जा सकी है। कमेटियों से जांच कराई जा रही है।

(3) जी, हां। कब्रिस्तानों में अवैध ढंग से रह रहे लोगों को राजस्थान वक्फ बोर्ड राजस्थान अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम, 1964 एवं वक्फ

(राज्य मंत्री, वक्फ)

अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत हटाया जाएगा।

(4) अतिक्रमियों की जात नहीं होती। अतः नियमानुसार हर वर्ग के अतिक्रमियों को हटाया जाएगा। जयपुर शहर के घाटगेट स्थित कब्रिस्तान अलीशाह में 87 गैर मुस्लिम (सिंगीवाल) परिवार काबिज हैं। चार दरवाजा कब्रिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम परिवार काबिज नहीं है। कब्रिस्तान नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर की सक्सेना जांच आयोग द्वारा जांच चल रही है। इस कब्रिस्तान के क्षेत्रफल के निर्धारण से पूर्व इसमें सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा घाटगेट कब्रिस्तान एवं शास्त्री नगर कब्रिस्तान में अतिक्रमण कर निवास कर रहे परिवारों को अन्यत्र बसाये जाने हेतु पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए क्रमशः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दक्षिण एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर की अध्यक्षता में अलग-अलग कमेटियां गठित की गई है। शास्त्री नगर कब्रिस्तान के क्षेत्रफल का निर्धारण जांच आयोग के समक्ष विचाराधीन होने के कारण इस कब्रिस्तान में अतिक्रमी परिवारों का निर्धारण किया जाना अभी सम्भव नहीं है। जांच आयोग के द्वारा क्षेत्रफल के निर्धारण के उपरान्त अतिक्रमी परिवारों का सही रूप से आकलन किया जाकर उनके पुनर्वास की योजना तैयार हो सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला पाली में स्वीकृत भू-संरक्षण कार्य

948. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पाली में गत दस वर्षों में कौन-कौन से गांवों में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य किये गये और उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई।

(2) उक्त कार्य किसकी अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत किये गये। प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली में गत वर्षों के मुख 252 गांवों में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य किये गये और उन पर 2322.213 लाख रुपये राशि व्यय की गई। योजनावार,. वर्षवार ग्रामवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है।

(2) मरु विकास कार्यक्रम एवं सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु उप निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पाली द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय परिषद् द्वारा अकाल राहत के कार्य जिला कलक्टर (सहायता) पाली के द्वारा तथा रा.ज.ग्र.वि.यो. हेतु विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर राज्य जल ग्रहण विकास क्रियान्वयन समिति द्वारा योजना में रखे गये प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र माण्डल (भीलवाड़ा) में जलग्रहण परियोजना का भौतिक सत्यापन

949. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र माण्डल की ग्राम पंचायत निम्बाहेड़ा जाटान में राज्य सरकार द्वारा जलग्रहण परियोजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो कब से और अब तक उक्त योजना में किस-किस प्रकार के कितनी लागत के कार्य करवाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत 42 हजार पौधे लगाना बताया और इसका क्रय मूल्य 42 हजार रुपये अदा करना बताया तथा उक्त पौधों को पानी पिलाने के नाम पर 25 हजार रुपये व्यय होना बताया तथा उक्त पौधों को लगाने हेतु खड्डे खोदने के मस्टर-रोल मजदूरों के भरकर रकम व्यय होना बताया?

(3) क्या यह भी सही है कि कुल 4 लाख रुपये के खर्चे के बिल का वाउचर व मस्टर-रोल प्रस्तुत कर व पंचायत समिति से उक्त कार्यों का भुगतान उठाने का जलग्रहण योजना के अध्यक्ष व सचिव मिलीभगत कर, प्रत्यन किया जा रहा है? क्या मौके पर एक भी पौधा लगा हुआ नहीं है व न ही इतने पौधे लगाये गये हैं? मौके पर जितने खड्डे खोदना बताया उतने नहीं है व न ही पौधों को पानी पिलाया गया है?

(4) क्या जल ग्रहण परियोजना के कार्यों का भुगतान से पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि हां, तो उक्त परियोजना का कब-कब भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

कृषकों को घटिया बीज के कारण मुआवजा

950. श्री उदयसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत चार वर्षों में खरीफ व रबी की फसल के लिए बीज निगम ने किन-किन किस्मों का कितना फाउण्डेशन सीड किससे, किस दर पर खरीदा? उक्त खरीदे गये बीज से किन-किन कृषकों के यहां कितना बीज उत्पादन किया गया और उक्त कृषकों के कितना उत्पादन हुआ तथा निगम ने किस-किस किस्म का कितना उत्पादन किस दर से किन-किन कृषकों से खरीदा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) गत चार वर्षों में राजस्थान बीज निगम ने कितना बीज फसल व किस्मवार किस दर पर किस एजेन्सी के माध्यम से बेचा? निगम ने फसलवार किस-किस किस्म का कितना-कितना बीज किस दर पर बाजार से खरीदा? बाजार से खरीदे गये बीज की

(श्री उदयसिंह राठौड़)

प्रमाणिकता एवं गुणवत्ता का आधार क्या था? यदि प्रमाणिकता का आधार नहीं था, तो क्यों? बीज निगम ने उत्पादन कार्यक्रम् लेने के बजाय बाजार से बीज क्यों खरीदा है?

(3) गत चार वर्षों में निगम का कितना किस किस्म का बीज घटिया निकला उसकी कितने प्रतिशत अंकुरण क्षमता रही? उक्त में जो बीज घटिया निकला उन कृषकों को कितना मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा प्रजनक बीज से फाउण्डेशन बीज तैयार किया जाता है व इसकी कमी होने पर अन्य बीज निगम, सहकारी संस्था व निजी संस्था के माध्यम से क्रय कर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

गत चार वर्षों में उत्पादित एवं क्रय किये गये फाउण्डेशन बीज का विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है और प्राप्त प्रमाणित बीज का ब्यौरा प्रपत्र "ब" पर अंकित है।

(2) वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 के दौरान निगम द्वारा विक्रय किये गये बीजों का विवरण फसल एवं एजेन्सीवार का विवरण संलग्न प्रपत्र "स" पर अंकित है।

वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक निगम द्वारा बाह्य संस्थाओं से क्रय किये गये बीज का फसल/किस्मवार विवरण संलग्न प्रपत्र "द" पर अंकित है।

बाह्य संस्थाओं से क्रय किये गये बीज की गुणवत्ता का आधार प्रमाणिकरण है केवल प्रमाणित बीज ही बाह्य संस्थाओं से क्रय किया जाता है। प्रमाणित बीज के मानक निर्धारित है और केवल मानक स्तर का ही बीज क्रय किया गया है। जिन बीजों के प्रमाणिकरण के मानक नहीं है उनका सत्य चिन्हित बीज निर्धारित मानक का खरीदा जाता है।

निगम केवल उन्हीं बीजों का वाह्य बीज उत्पादन संस्थाओं से क्रय करता है जिनका उत्पादन राज्य में नहीं होता है अथवा मांग की तुलना में उत्पादन कम होता है।

(3) गत चार वर्षों में निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बीजों में किसी भी किस्म का बीज घटिया नहीं था। अंकुरण व मिश्रण की शिकायत प्राप्त होते ही उसकी जांच की गयी और समस्याओं का समाधान किया गया। बीज के कम अंकुरण अथवा मिश्रण की पुष्टि होने पर कृषकों को मुआवजा दिया गया। विवरण प्रपत्र "य" पर संलग्न है।

सोयाबीन एक संवेदनशील फसल होने के कारण बीज का अंकुरण प्रभावित होता है इसी क्रम में वर्ष 1997 के दौरान कोटा, चित्तौड़गढ़, एवं सवाई माधोपुर के कुछ कृषकों के खेतों पर बोये गये सोयाबीन पी.के. 472 के बीजों का वांछित अंकुरण न होने की जांच की गयी एवं सम्बन्धित कृषकों को सोयाबीन बीज के बदले बीज आगामी मौसम में 499.12 क्विंटल गेहूं बीज उपलब्ध कराया। अन्य फसलों में भी निगम की नीति के अनुसार बीज के बदले बीज उपलब्ध करवाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दुर्गापुरा प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच में पाये गये अमानक खाद के नमूने

951. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग की दुर्गापुरा में रासायनिक खाद, जीवाणु खाद व कीटनाशक आदि के नमूनों की जांच हेतु एक प्रयोगशाला कार्यरत है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त प्रयोगशाला द्वारा जीवाणु खाद के नमूनों की भी जांच की जाती है? यदि हां, तो मई, 1997 से दिसम्बर, 2000 तक जीवाणु खाद के कितने नमूनें किस कार्यालय या संस्था द्वारा प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने नमूने अमानक पाये गये हैं? कार्यालय या संस्था द्वारा नमूनों के साथ भेजे गये पत्रों की प्रति सहित उक्त अवधि का वर्षवार व निर्मातावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रयोगशाला को जयपुर वायो फर्टीलाइजर कानोता के भी जीवाणु खाद के नमूने किसी कार्यालय या संस्था द्वारा जांच हेतु प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि में किस कार्यालय या संस्था द्वारा कितने नमूने प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने नमूने अमानक पाये गये हैं? उक्त कार्यालय या संस्था द्वारा नमूनों के साथ भेजे गये पत्रों की प्रति सहित उक्त अवधि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। निम्नांकित प्रयोगशालाएं दुर्गापुरा में उनके सामने अंकित वर्षों से कार्यरत है।

क्र.सं.	नाम प्रयोगशाला	कार्यरत वर्ष
1.	रासायनिक खाद	1967-68
2.	जीवाणु खाद	1985-86
3.	कीटनाशक	1978-79
4.	बीज परीक्षण	1964-65
5.	मिट्टी पानी के नमूने	1965-66

(2) जी, हां। मई, 1997 से दिसम्बर, 2000 तक जीवाणु खाद के 2462 नमूने प्राप्त हुए तथा उनमें से 473 नमूने अमानक पाये गये। कार्यालय/संस्था द्वारा नमूनों के साथ उक्त अवधि का वर्षवार व निर्मातावार विवरण परिशिष्ट "क" (1 से 7) पर एवं नमूनों के साथ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "क" (1) पर संलग्न है।

(3) जी, हां। उक्त अवधि में कार्यालय/संस्था द्वारा जयपुर बायो फर्टिलाइजर, कानोता द्वारा निर्मित 1809 नमूने जांच हेतु प्राप्त हुए जिनमें 301 नमूने अमानक पाये गये। प्राप्त हुए नमूने एवं अमानक नमूनों का विवरण मय भेजे गए पत्र आदि के साथ उपरोक्त प्रश्न के भाग-2 की सूची परिशिष्ट "क" (1) के अनुसार है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति, बीकानेर में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्यों में मजदूरों को किया गया भुगतान

952. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बीकानेर की पंचायत समिति, बीकानेर में वर्ष 1994-2000 तक कौन-कौन से गांवों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य किया गया ?

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक किन-किन गांवों में कार्य हुए हैं? अब तक कौन-कौन से गांव में कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गई ?

(3) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य हुआ प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन का कितना भुगतान किया गया और पखवाड़े में कुल कितने दिन की राशि का भुगतान किया गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य कराया गया प्रति पखवाड़े में कितने मजदूरों ने काम किया है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बीकानेर में वर्ष 1994 से 2000 की अवधि में पेमासर, नाल बड़ी, नाल छोटी एवं गेरसर गांवों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य करवाये गये हैं।

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेमासर, नाल बड़ी, नाल छोटी एवं गेरसर गांवों में कार्य हुए हैं। उपरोक्त गांवों के लिये स्वीकृत राशि एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(3) विभागीय कार्यों हेतु मस्टर-रोलों का उपयोग नहीं किया जाता है। उक्त गांवों में कार्य टास्क के आधार पर यूजर्स कमेटियों/जलग्रहण समितियों के माध्यम से करवाया गया है। जिनका भुगतान पखवाड़ेवार नहीं किया जाकर, सामान्यतः मासिक बिलों के आधार पर किया गया है। इस तरह मासिक रूप से किये गये भुगतान का विवरण ग्राम, कार्य एवं अवधिवार परिशिष्ट "ब" पर अंकित कर सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) यूजर्स कमेटी/जल ग्रहण समिति द्वारा कराये गये कार्यों पर माहवार श्रमिकों की संख्या परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन

953. श्री रूपलाल (सलूम्बर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय के उपयोग हेतु कितने कृषि पर्यवेक्षकों के पद सृजित हैं? यदि नहीं, तो प्रत्येक सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालयों में 3 से 4 कृषि पर्यवेक्षकों को क्यों लगा रखा है ?

(श्री रूपलाल)

(2) क्या सरकार उक्त को हटाने का विचार रखती है या पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय में कार्यालय उपयोग हेतु कृषि पर्यवेक्षकों के पद सृजित नहीं है। कृषि निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 2321-2430 दिनांक 14.10.97 के द्वारा समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे कृषि पर्यवेक्षकों को कार्यालय उपयोग हेतु नहीं लगावे।

(2) पद सृजन का विचार नहीं है।

सहायक निदेशक कृषि विस्तार चिड़ावा (झुंझुनूं) के विरुद्ध लम्बित जांच

954. श्री हरीशचन्द (नावां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सहायक निदेशक कृषि विस्तार चिड़ावा (झुंझुनूं) के विरुद्ध वर्ष 1999 में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था?

(2) क्या उक्त जांच के दौरान राज्य कार्य में अनियमितता पाई गई?

(3) क्या उक्त जांच कार्य पूर्ण कर राज्य सरकार को सूचित किया गया? क्या जांच कार्य चालू है? यदि हां, तो अब कब तक जांच कार्य पूर्ण हो जायेगा?

(4) क्या सहायक कृषि अधिकारी का स्थानान्तरण खेतड़ी से बसई उप निदेशक कृषि विस्तार झुंझुनूं द्वारा किया गया और क्या वे स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम अधिकारी थे? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया?

(5) क्या सहायक कृषि अधिकारी के वर्ष 1998 में किये स्थानान्तरण के बाद उसका व्यक्तिगत रिकार्ड व भुगतान आठ माह बाद भी उसके वर्तमान कार्यालय को नहीं भिजवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या कृषि निदेशक दिनांक 5 जून, 1996 को कोटा में थे? यदि हां, तो सहायक कृषि अधिकारी बसई के विरुद्ध आदेश किस आधार पर दिये गये? क्या जांच कार्य चालू है? यदि हां, तो सहायक निदेशक कृषि निदेशक कृषि विस्तार चिड़ावा का पेंशन प्रकरण का निपटारा किस आधार पर किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं, यह एक प्राथमिक जांच ही थी राज्य सरकार को प्रेषित करने की आवश्यिकता नहीं थी। जांच कार्य पूर्ण हो चुका है।

(4) जी, नहीं। वस्तुतः श्री जय प्रकाश, सहायक कृषि अधिकारी, बसई जिनके पास सहायक कृषि अधिकारी, खेतड़ी एवं सिंघाना का अतिरिक्त कार्यभार था, उप निदेशक कृषि (विस्तार), झुंझुनूं द्वारा मार्च, 1998 में श्री शर्मा की स्वयं की प्रार्थना पर इनका मुख्यालय बसई से खेतड़ी कर दिया था, जो एक कार्य

(कृषि मंत्री)

व्यवस्था थी। इसके पश्चात् सितम्बर, 98 में उप निदेशक कृषि (विस्तार) झुंझुनूं द्वारा सहायक कृषि अधिकारी, खेतड़ी का कार्यभार एक उपयुक्त कृषि स्नातक कृषि पर्यवेक्षक को दिलवाकर, श्री शर्मा को वापस इनके मूल मुख्यालय बसई क्षेत्र का कार्य करने के आदेश दिये गये जो किसी प्रकार का स्थानान्तरण नहीं था तथा जिसका इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का कोई भुगतान भी नहीं किया गया।

(5) वर्ष 1998 में इनका कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया। इनका स्थानान्तरण जुलाई, 2000 में किया गया था। सेवाभिलेख सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) चिड़ावा के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 1332-34 दिनांक 5.5.2001 के द्वारा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कुचामनसिटी को भिजवा दिया है। विलम्ब से भेजने के मामले में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी, नहीं। निदेशक, कृषि द्वारा सहायक कृषि अधिकारी, बसई को जयपुर में दिनांक 5 जून, 1996 को निर्धारित तिथि पर व्यक्तिशः सुनवाई के आधार पर आदेश जारी किए गए। जांच पूर्ण हो चुकी है, उसके उपरान्त ही सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) चिड़ावा के विरुद्ध जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया गया।

जिला बांसवाड़ा में स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना

955. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नये स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि जनजाति बाहुल्य जिला बांसवाड़ा में भौगोलिक कारणों से दूरस्थ स्थित गांवों में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले जाने आवश्यक हैं? यदि हां, तो कहां-कहां।

उत्तर

(1) राज्य में नये उप केन्द्र भारत सरकार के द्वारा निर्धारित निम्नांकित मानदण्डों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं।

सामान्य क्षेत्र में 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर उप केन्द्र खोलने की योजना है।

(2) वर्ष 2001-2002 में राज्य योजनान्तर्गत नवीन चिकित्सा संस्थान खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण बांसवाड़ा जिले में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है।

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में बी.पी.एल. कार्ड धारकों को निःशुल्क सुविधाएं

956. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले (बी.पी.एल.) कार्ड धारकों, विधवा, गरीब, स्वतंत्रता सेनानियों, पेंशनभोगी व्यक्तियों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय से उनके उपचार निःशुल्क करवाने, सभी तरह की जांचें एक्सरे एवं अन्य जटिल रोगों के उपचार करवाने हेतु दवाइयां क्या निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो किसके द्वारा? उक्त सुविधाएं प्राप्त करने के क्या-क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। गांवों के उक्त व्यक्ति उक्त सुविधाएं किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं?

(2) क्या सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ऐसे व्यक्तियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके उपचारार्थ असाध्य रोग से ग्रसित पीड़ित मरीजों के लिए रक्त जांच, एक्सरे जांच, स्टूल एवं यूरिनल जांच सोनोग्राफी, एंज्योग्राफी, जैसे खर्चीली जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो किसकी सिफारिश पर उपलब्ध करवाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सालय में बी. पी. एल. कार्ड धारकों विधवा, गरीब, स्वतंत्रता सेनानियों, पेंशन भोगी, विकलांग, लावारिश, कैदियों को सभी तरह की जांचें, एक्सरे एवं अन्य जटिल रोगों के उपचार हेतु दवाइयां इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। यह राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त स्पेशल बजट एवं राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से सम्भव हो पाता है। उक्त विहीत वर्ग में से बी.पी.एल. कार्ड धारकों को कार्ड दिखाने पर, पेंशनभोगियों के पेंशन डायरी दिखाने पर एवं अन्य को इकाई चिकित्सा अधिकारियों के हस्ताक्षर मोहर सहित भेजने पर अधीक्षक एवं अतिरिक्त अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर करने पर उक्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गांवों के उक्त व्यक्ति भी यह सुविधा नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ऐसे व्यक्तियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके उपचारार्थ ग्रसित पीड़ित मरीजों के लिए रक्त जांच, एक्सरे जांच, यूरिनल जांच, सोनोग्राफी, एंज्योग्राफी इत्यादि खर्चीली जाचें निःशुल्क इकाई प्रभारी चिकित्साधिकारियों के हस्ताक्षर करने पर अधीक्षक एवं अतिरिक्त अधीक्षक के प्रति-हस्ताक्षर (सिफारिश) के उपरान्त प्रदान की जाती है।

(परिपत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उपभोक्ता संघ की दुकानों पर जैनरिक दवाइयां बेचने पर रोक

957. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर पर जैनरिक नाम से औषधियां

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रोगियों को उपलब्ध करवायी जाती हैं? यदि हां, तो क्या उक्त संबंध में सरकार ने आदेश जारी किये हैं, आदेश की प्रति सदन का मेज पर रखें।

(2) क्या जैनरिक नाम से राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ की दुकानों पर दवा उपलब्ध करवाने पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अंतर को समाप्त करने के लिए कोई आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर पर जैनरिक नाम एवं ट्रेड नाम दोनों नामों से औषधियां रोगियों को उपलब्ध करवाई जाती है। लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर पर जैनरिक नाम से औषधियां उपलब्ध कराने हेतु कोई आदेश नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) अंतर नहीं है अतः अंतर हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी

958. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां ने डाक्टर, कम्पाउण्डर व ए.एन.एम. को प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त प्रतिनियुक्ति से उस क्षेत्र की जनता को असुविधा हो रही है? क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

959. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) एवं **श्री उदयसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डाक्टर रमा शंकर आसोपा वरिष्ठ विशेषज्ञ शिशु रोग पद पर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ में कार्यरत हैं? यदि हां, तो उक्त चिकित्सक कब से राजकीय सेवा में हैं और इनका पदस्थापन कहां-कहां कब से कब तक रहा? उक्त वरिष्ठ विशेषज्ञ ने समर्पित अवकाश के अलावा अवकाश कब-कब किस-किस समय अवधि के लिये हैं? रोग प्रमाण-पत्र मुख्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र, स्वीकृत किये गये अवकाश पत्र, की प्रति सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा डाक्टर आसोपा को ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(श्री गोपाराम मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सक दिनांक 6 मई, 1999 के पूर्व से अब तक राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़ के-बी-2 राजकीय आवास में निवास कर रहे हैं? उक्त चिकित्सक से राजकीय चिकित्सालय की आपातकालीन सेवाओं के लिए निर्मित आवास को खाली करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? डाक्टर आसोपा से कितना किराया वसूल किया गया?

(3) क्या डाक्टर आसोपा भीम, जिला राजसमन्द में पदस्थापन के समय में भी उक्त बी-2 राजकीय आवास हनुमानगढ़ में मरीजों से परामर्श शुल्क प्राप्त कर परामर्श देते रहे हैं? क्या उक्त चिकित्सक गम्भीर रोगियों को हनुमानगढ़ टाउन के सेठी नर्सिंग होम (मोती लाल सेठी चेरिटेबल ट्रस्ट) में भर्ती करते रहे हैं व इन भर्ती रोगियों के लिए खून मेडिकल रिलिफ सोसायटी हनुमानगढ़ द्वारा संचालित ब्लड बैंक से स्वयं हस्तलिखित आवेदन कर प्राप्त करते रहे हैं? क्या उक्त प्रकार उक्त के संरक्षण में प्राइवेट नर्सिंग होम सेवा प्रमाणित हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी, हां। डाक्टर आसोपा दिनांक 3.4.81 से राजकीय सेवा में है। प्रश्नानुसार शेष सूचना संलग्न है।

(2) जी, हां। उक्त चिकित्सक से राजकीय आवास खाली करवाये जाने हेतु लिखे गये पत्र संलग्न है। उक्त चिकित्सक से 16826/- रुपये पेनल रेट से किराया वसूल किया गया।

(3) डा. आसोपा के द्वारा भीम (राजसमन्द) में पदस्थापित रहते हुए राजकीय आवास बी-2 हनुमानगढ़ में मरीजों से परामर्श शुल्क लेने आदि के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मेडिकल रिलीफ सोसायटी हनुमानगढ़ के द्वारा संचालित ब्लड बैंक से सेठी नर्सिंग होम के डा. आसोपा द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ब्लड दिया गया। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला श्रीगंगानगर के अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय

960. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में कितनी निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इन रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों को वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कितनी राशि का अनुदान दिया गया? स्कूलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने अनुदान आवंटित करने में क्या मानदण्ड बना रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्री गंगानगर में 575 निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं। संख्या सूची सदन की मेज पर उपलब्ध है। परिशिष्ट "क"।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन निजी विद्यालयों में से वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक रुपये 1056.56 लाख की राशि का अनुदान दिया गया है। स्कूलवार विवरण सदन की मेज पर उपलब्ध है। परिशिष्ट "ख"।

(3) सरकार द्वारा अनुदान आबंटन के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है वरन सम्बन्धित अनुदान रिलीज अधिकारियों द्वारा उपलब्ध प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में संस्थाओं को अनुपातिक आबंटित किया जाता है।

(विवरण के कृपया लिए परिशिष्ट-7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची के विद्यालयों में रिक्त पद

961. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस विषय के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों के भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में 05 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त विद्यालयों में विषयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

स्कूली शिक्षा के व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान

962. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा व्याख्याता स्कूली शिक्षा को चयनित वेतनमान कब से दिया गया एवं उक्त हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये?

(2) क्या वर्ष 1992 से 1997 तक नियमित पदोन्नति समिति की बैठक होकर यथा समय पदोन्नति दे दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 में कतिपय ऐसे व्याख्याता भी पदोन्नति से वंचित रहे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री भंवरू खान)

(4) क्या सरकार ने व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान वर्ष 1998 से लागू किया है जबकि अन्य विभागों में वर्ष 1996 से लागू किया है? यदि हां, तो उक्त असमानता के क्या कारण हैं? क्या सरकार अन्य विभागों की भांति समान नीति लागू कर दिनांक 1.9.1996 से स्कूली व्याख्याताओं को भी चयनित वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 16(5)एफडी(रूल्स)/98 दिनांक 7.8.1998 द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को दिनांक 1.7.1998 से चयनित वेतनमान दिया गया। 10 वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान (7500-12000)( )12ए) तथा तत्पश्चात् वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान (8000-13500) में चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी, हां।

(3) 1.4.1997 को कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों के नाम वर्ष 1997-98 की व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पदों की डी.पी.सी. की पात्रता सूची में नियमानुसार विचारार्थ रखे गये, परन्तु कुछ वरिष्ठ अध्यापकों का डी.पी.सी. में चयनोपरान्त भी पदस्थापन आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप व्याख्याता के पद परपदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जा सके।

(4) जी, हां। पांचवे वेतन आयोग की अभिशंसा पर राज्य कर्मचारियों को 1.9.1996 से चयन वेतनमान दिये जाने का प्रावधान रखा गया, परन्तु राज्य सेवा के अधिकारियों को चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान नहीं था। चूंकि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद राज्य सेवा का होने के कारण चयनित वेतनमान का लाभ इन्हें नहीं दिया गया। व्याख्याता स्कूल शिक्षा को चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु शिक्षक संघों द्वारा वर्ष 1998 में हड़ताल की गई तथा हड़ताल के मध्य शिक्षक संघों से हुए समझौते के अनुसार ही 1-7-1998 से व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को चयनित वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया। इन्हें 1.9.1996 से चयनित वेतनमान दिये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं हैं।

तृतीय वेतन श्रृंखला में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

963. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा अल्प संख्यकों के हितार्थ अनेक घोषणाएं की गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 20 जून, 2000 को वरिष्ठ अध्यापक उर्दू के साक्षात्कार होने एवं वरिष्ठता सूची संधारण के बावजूद अभी तक भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार उक्त अध्यापकों की नियुक्ति कब तक करेगी ?

(श्री जसवन्त सिंह)

(3) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला में 400 उर्दू अध्यापकों को लगाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। अल्पसंख्यक आयोग का गठन, उर्दू अकादमी का पुनर्गठन, उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति, मदरसों के सुदृढ़ीकरण, अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी विकास निगम की स्थापना इनमें से प्रमुख हैं।

(2) जी, नहीं। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में मार्च, 2001 तक 281 उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं तथा शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय द्वारा स्टे तथा डिग्रियों की मान्यता/समकक्षता के कारण विचाराधीन है। उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियों की वरीयता सूची की वैधता दिनांक 30-6-2001 तक बढ़ा दी गई है।

द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची

964. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1956-61 में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची कब बनाई गई ? वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सूची में श्री मोहनलाल शर्मा जन्म तिथि 20-8-38 का नाम क्रमांक 2860 पर अंकित है ?

(3) क्या उक्त वरिष्ठता सूची के तहत शिविरा/संस्था/बी-2/45001/87-88 दिनांक 19-8-1988 के द्वारा पदोन्नतियां की गई हैं? यदि हां, तो पदोन्नति आदेशों से क्या श्री शर्मा को वंचित रखा गया? यदि हां, क्यों?

(4) वर्ष 1987-88 की विभागीय पदोन्नति समिति से श्री मोहनलाल शर्मा को पदोन्नति आदेशों से वंचित करने के लिए कौन दोषी है? उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब भी श्री शर्मा को वर्ष 1987-88 से प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद की पेपर सीनियरिटी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि निदेशालय शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/बी-1/45001/96, दिनांक 4-3-1996 के द्वारा श्री मोहनलाल शर्मा को प्रधानाध्यापक (मा. वि) के पद पर पदस्थापित किया गया था? क्या उक्त आदेश को निरस्त किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1956-61 की राज्य स्तरीय वरिष्ठ अध्यापकों की मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 11.3.1975 को किया गया तथा स्थाई मिश्रित द्वितीय श्रेणी

(शिक्षा मंत्री)

अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 2.6.1975 को किया गया। वर्ष 1956-61 की स्थाई वरिष्ठता सूची की आंशिक छाया प्रति परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। श्री मोहन लाल शर्मा का सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से व्याख्याता के पद पर वर्ष 1967 में चयन हो जाने के परिणामस्वरूप इनका नाम व्याख्याता की वरिष्ठता सूची में वर्ष 1966-71 में सम्मिलित कर दिये जाने के कारण ये प्रधानाध्यापक के पद के पात्र नहीं रहे।

(4) श्री मोहन लाल शर्मा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1967 में व्याख्याता के पद पर चयन किये जाने पर इन्हें व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किया गया तथा वर्ष 1966-71 की व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची में इनका नाम वरिष्ठता क्रमांक 1098 पर शामिल किया गया था, अतः इनका नाम द्वितीय वेतन श्रृंखला की वरिष्ठता सूची से नाम विलोपित किया जाना आवश्यक था परन्तु त्रुटिवश नाम विलोपित नहीं किया गया इसी त्रुटिवश विभाग द्वारा इन्हें वर्ष 1987-88 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित मानते हुए पदोन्नति आदेश जारी किये गये, गलती की जानकारी होते ही पदोन्नति आदेश दिनांक 4.3.1996 को निरस्त कर दिये गये।

(5) जी नहीं। श्री मोहन लाल शर्मा विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के समय अध्यापक ग्रेड द्वितीय श्रेणी के पद पर कार्यरत नहीं थे अतः प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के पात्र नहीं थे तथा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर कार्यरत होने के परिणामस्वरूप इस पद की पात्रता के आधार पर इन्हें वर्ष 1994-95 में उप प्रधानाचार्य तथा 1995-96 में प्रधानाचार्य के पद पर देय पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं।

(6) जी, नहीं। श्री मोहनलाल शर्मा को पदोन्नति आदेश दिनांक 8.5.1995 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा दी गई पदोन्नति आदेश दिनांक 4.3.1996 के द्वारा निरस्त की गई। प्रश्न के भाग संख्या 4/5 में उल्लेखित कारणों से निरस्त की गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

"राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती" पाठशालाओं हेतु भवन निर्माण

965. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा "राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती" के उपलक्ष में गत वर्ष 16000 पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा था? यदि नहीं, तो वास्तविक संख्या क्या रखी थी?

(2) क्या सरकार द्वारा दर्शाये गए लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या अब जो "राजीव गांधी" पाठशालाएं खोली गई हैं उनके भवन निर्माण हो गए हैं ? यदि नहीं, तो कितने शेष हैं?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(4) क्या उक्त पाठशालाओं में अध्यापकों की पूर्ति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 में प्राप्त निर्विवादित प्रस्तावों के अनुसार वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 11847, संस्कृत शिक्षा के 168 व शहरी क्षेत्रों में 27 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं संचालित हैं।

(3) जी, नहीं। 1171 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के भवन निर्माणाधीन है एवं 137 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण नहीं किया गिया है।

(4) जी, हां।

अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान

966. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों के उपरान्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से चयनित वेतनमान देने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो कब तक आदेश प्रसारित कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

जी, नहीं। अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का परीक्षण कर अन्तिम निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिस पर यथाशीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

ग्राम अवलेश्वर (प्रतापगढ़) के पुरातात्विक स्थानों का संरक्षण

967. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ उप खण्ड क्षेत्र के गांव अवलेश्वर में पुरातत्वीय महत्व के अवशेष उपलब्ध हैं? यदि हां, तो सरकार ने इसके रख रखाव के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त उप खण्ड के ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय एवं दर्शनीय स्थान गौतमेश्वर महादेव सीतामाता का मन्दिर, देवगढ़ की छतरियां वीरपुर गांव की प्राचीनतम मन्दिरों के खण्डहर आदि का संरक्षण एवं संवर्धन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या आगामी वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया गया है ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम अवलेश्वर, तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित शुंगकालीन ब्राह्मी लेख युक्त स्तम्भ व चारों ओर 50 मीटर का क्षेत्र खसरा नं. 398, अधिसूचना दिनांक 31.7.1979 द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित हैं।

शुंग कालीन ब्राह्मी लेख युक्त स्तम्भ को एक कमरे में सुरक्षित किया गया है। इसके

(राज्य मंत्री, पुरातत्व)

चारों ओर संरक्षित क्षेत्र में चारदीवारी का निर्माण जिला कलेक्टर द्वारा कराया गया है। इस संरक्षित स्मारक पर एक स्मारक परिचारक का पद सृजित है, किन्तु फिलहाल गत तीन माह से प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण इसे राजकीय संग्रहालय, चित्तौड़गढ़ में लगाया हुआ है।

(2) सीमित वित्तीय साधनों को मध्यनजर रखते हुए प्रतापगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में उपर्युक्त संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त अन्य तथाकथित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक एवं दर्शनीय स्थानों के रख-रखाव एवं सम्वर्द्धन करने का विचार नहीं हैं।

आगामी वित्तीय वर्ष में हाल-फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।

सिंचाई प्रणाली के रख-रखाव पर व्यय

968. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में मेजर, मीडियम एवं माइनर इर्रिगेशन सिस्टम में कितना-कितना सी.सी.ए. है?

(2) उक्त तीनों सिस्टम में रख रखाव व मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि वर्ष 2000-2001 में दी गई?

उत्तर

(1) राज्य में मेजर, मीडियम एवं माइनर इर्रिगेशन सिस्टम का सी.सी.ए. क्रमशः 32,93,158 हैक्टेयर, 7,85,901 हैक्टेयर एवं 5,46,816 हैक्टेयर है।

(2) वर्ष 2000-2001 में रख-रखाव व मरम्मत हेतु मेजर, मीडियम एवं माइनर इर्रिगेशन सिस्टम पर क्रमशः 1659.60 लाख रुपये, 273.00 लाख रुपये एवं 307.34 लाख रुपये की राशि दी गयी।

डाबर नहर की सफाई

969. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार आर.एम.सी. प्रथम की नहरों की सफाई टेल पर पानी पहुंचाने के लिये कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या डाबर नहर टेल से खैरला तक की सफाई कराई जायेगी? क्या इससे बड़ौद ब्रांच व टेल को अन्य नहरों से पानी पहुंच सकेगा?

(3) क्या खैरूला साइफन के कारण पानी नीचे की तरफ नहर में नहीं आता है? क्या सरकार साइफन के पाइप को हटाकर खुला रखने (रिमोडलिंग) का विचार रखती है, जिससे पानी टेल भाग को मिल सके? यदि नहीं, तो क्या पानी टेल भाग को समुचित मिल पायेगा व काली सिन्ध में नहीं डाला जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इस कार्य के लिए टेण्डर आमंत्रित किये जा चुके हैं एवं इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधानानुसार यह कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी, हां।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी, नहीं, यह सत्य नहीं है। खैरूला साइफन से पानी नीचे की तरफ नहर में आता है। साइफन के पाइप को हटाकर खुला रखने (रिमोडलिंग) की आवश्यकता नहीं है। यह तकनीकी डिजाइन के अनुरूप बना हुआ है तथा पानी नहर में नीचे के तरफ टेल क्षेत्र में समुचित मात्रा में प्रवाहित होता है। बड़ौद सब ब्रांच से काली सिन्ध नदी में पानी नहीं डाला जाता।

पंचायत पुरुषोतमपुरा (कोटपूतली) में बांध निर्माण

970. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की पंचायत पुरुषोतमपुरा में बांध बनाकर भू-जल स्तर बढ़ाने का विचार रखती है? क्या सरकार उक्त हेतु सर्वे करवायेगी? यदि हां, तो कहां-कहां बांध बनवाना सम्भावित है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में एक ही "एनीकट" अकाल राहत के तहत निर्माणाधीन है? क्या उसी स्थान पर बड़ा बांध बनाया जा सकता है? क्या सरकार इसका पुनः सर्वे करवाकर बड़ा बांध बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की पंचायत पुरुषोतमपुरा में भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु आर.आई.डी.एफ.-VI (अकाल राहत) योजना के अन्तर्गत 3.15 लाख रुपये लागत का एक एनीकट निर्माणाधीन है। इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा कोई बांध बनाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी, हां। एनीकट के स्थान पर बड़ा बांध बनाने की कोई सम्भावना नहीं है।

जिला अजमेर के तालाब क्षेत्र के किसानों से सिंचाई शुल्क की वसूली

971. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने 1 दिसम्बर, 1998 के बाद तालाबों के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले किसानों से पूर्व के बकाया सहित सिंचाई शुल्क/सिंचाई की रकम आदि वसूल की है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या जिला अजमेर के तालाब क्षेत्र के किसानों से भी वसूली हुई है? यदि हां, तो कितनी और अब कितनी वसूली बाकी है?

(3) क्या उक्त तालाबों के रख रखाव/मरम्मत/पुनरुद्धार आदि पर उक्त अवधि में राशि व्यय की है? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या उक्त क्षेत्र के सभी तालाब विभाग के नियंत्रण में हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 1.12.1998 के बाद तालाबों के कमाण्ड क्षेत्रों में आने वाले किसानों से पूर्व के बकाया सहित सिंचाई

(सिंचाई मंत्री)

शुल्क/सिंचाई की कुल 370.37 लाख रुपये वसूल की है।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा जिला अजमेर के तालाबों के कमाण्ड क्षेत्र से 2500 एकड़ से अधिक 1 दिसम्बर, 1998 के बाद से कुल 5,40,252.00 रुपये की वसूली की गई है एवं कुल 3,27,650.00 रुपये की वसूली बाकी है।

(3) जिला अजमेर में तालाबों के रख-रखाव/मरम्मत/पुनरुद्धार आदि पर 1 दिसम्बर, 1998 से कुल 21.39 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(4) जी, नहीं। 80 हैक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता के तालाब सिंचाई विभाग के नियंत्रण में हैं एवं 80 हैक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता के तालाब राज्य सरकार के आदेश अनुसार पंचायत विभाग को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

पंचायतों द्वारा सांसद/विधायक कोटे से निर्मित भवनों की नीलामी

972. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) एवं **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सासंद/विधायक कोटे से निर्मित पंचायत घर, वाचनालय, सुलभ काम्पलेक्स, स्कूल आदि के भवन जो जनता के हितार्थ बनाये गये हैं को पंचायत नीलाम करने का अधिकार रखती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कई पंचायतों द्वारा आम जनता के हितों को नजरअंदाज कर उक्त सभी प्रकृति की सम्पत्तियों की नीलामी कर दी हैं? क्या सरकार उन सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) ऐसा कोई प्रकरण सरकार के ध्यान में नहीं है।

ग्राम पंचायतों को देय अनुदान राशि में वृद्धि

973. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इस वर्ष ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि अब तक नहीं देने के क्या कारण हैं?

(2) क्या प्रत्येक क्षेत्र में मजदूरी से लेकर प्रत्येक सेवा का पारिश्रमिक बढ़ने से तथा मार्केट में प्रत्येक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए सरकार अनुदान राशि के निर्धारण में पुनः विचार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भू-राजस्व के बदले ग्राम पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान की पूर्ण राशि दी जा चुकी है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग व ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत दिया जाने

(पंचायती राज मंत्री)

वाला अनुदान अभी तक राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं दिया जा सका है।

(2) जी, नहीं।

ग्राम बाली (पाली) के नव क्रमोन्नत विद्यालय में ज़बरन भर्ती

974. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बाली पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में बच्चों की कमी होने के कारण ग्राम सबराड़ विद्यालय से बिना माता-पिता की इजाजत के छह बच्चों को जबरदस्ती नवक्रमोन्नत विद्यालय में भर्ती कर दिया ?

(3) क्या यह सही है कि बच्चों के माता-पिता द्वारा जिला प्रमुख पाली को शिकायत की गई इस पर जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण की जानकारी प्रमुख पाली द्वारा देने पर ब्लाक शिक्षा अधिकारी को जांच करने हेतु दूरभाष से आदेश दिया ? क्या उक्त अधिकारी द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। इस हेतु अभिभावकों से बाद में सहमति प्राप्त कर ली गई।

(3) जी, हां। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन द्वारा दिनांक 28.2.01 को जांच की गई।

(4) जी, हां। दोषी अध्यापक के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति

975. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 से फरवरी, 2001 तक उप जिला शिक्षा अधिकारी/वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के कितने पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से एवं कितने पद पदोन्नति से भरे गये हैं ?

(2) क्या राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति से उक्त पद भरे जाने थे ? क्या उक्त अनुपात में त्रुटि हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(3) वर्तमान में ऐसे कितने पद रिक्त है एवं इन्हें कब तक किस तरह से भरने के प्रयास सरकार कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से फरवरी, 2001 तक उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के

(पंचायती राज मंत्री)

09 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा 47 पद पदोन्नति से भरे गये।

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के नाम से कोई पद विभाग में स्वीकृत नहीं है।

(2) जी, नहीं। अपितु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के प्रावधानानुसार 50% सीधी भर्ती से एवं 50% पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, जिसकी विभाग द्वारा पूर्ण पालना की जा रही है।

(3) उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के वर्तमान में 31 पद रिक्त हैं। विभागीय पदोन्नति समिति से भरे जाने वाले पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति उपरान्त भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। अतः डी.पी.सी. एवं सीधी भर्ती से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) में कार्यरत अध्यापक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति

976. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल, अध्यापक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय जारिया, पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर में पदस्थापित रहते हुए दिनांक 10.4.1996 को स्वर्गवास हुआ था?

(2) क्या उक्त मृतक की पत्नी ने मृत आश्रिता को राज्य सेवा में लेने हेतु जिला परिषद् अजमेर तथा पंचायत राज विभाग को आवेदन पत्र पेश किया था?

(3) क्या मृतआश्रिता को राज्य सेवा में नौकरी दे दी गई है? यदि हां, तो कब से किस पद पर और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। मृतक की पत्नी श्रीमती सरोज द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीनगर को दिनांक 5.12.1998 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(3) जी, नहीं। प्रार्थीया द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। प्रार्थीया की शैक्षणिक योग्यता कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु निर्धारित योग्यता से कम होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

पंचायतों को सौंपे गये अधिकार

977. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्राम पंचायतों को कौन-कौन से विभागों के क्या-क्या कार्य स्थानान्तरित किये गये हैं अथवा सौंपे गये हैं?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) उक्त सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों को क्या अधिकार सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों के संबंध में दिये गये हैं?

उत्तर

(1) पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के हस्तान्तरण के क्रम में मंत्रिमण्डल आज्ञा 5/2000 की पालना में ग्राम पंचायतों को निम्न विभागों की निम्न गतिविधियां हस्तान्तरित की गई हैं :—

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग—उप केन्द्रों पर कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण, पंचायत क्षेत्र जन स्वास्थ्य योजना का अनुमोदन एवं क्रियान्विति पर निगरानी।
2. आयुर्वेद विभाग—'ब' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय की समीक्षा एवं उनमें कार्यरत वैद्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।
3. ऊर्जा विभाग—सोलर स्ट्रीट लाइट्स।
4. पशुपालन विभाग—1. उप पशु चिकित्सा केन्द्र, 2. 'घ' श्रेणी के मत्स्य पालन तालाब।
5. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग—उचित मूल्यों की दुकानों पर सामग्री वितरण की समीक्षा। राशन कार्ड जारी करना। उचित मूल्य की दुकान का आबंटन, निरस्तीकरण बाबत ग्राम सभा में प्रस्ताव।
6. महिला एवं बाल विकास विभाग—समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशासनिक नियंत्रण एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना।
7. सिंचाई विभाग—200 एकड़ तक की क्षमता वाले तालाब।
8. कृषि विभाग—कृषि पर्यवेक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण एवं पंचायत क्षेत्र की उत्पादन योजना का अनुमोदन।
9. जन.स्वा.अभि. विभाग—हैण्ड पम्पों का संधारण एवं भू-तल जलाशयों तथा सार्वजनिक नलों का रख-रखाव।
10. ग्रामीण विकास विभाग—जल ग्रहण विकास कार्यों का पंचायतों को प्राथमिकता पर आबंटन।
11. वन विभाग—ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के सदस्यों का ग्राम सभा मे चयन।
12. परिवार कल्याण विभाग—परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा।
13. शिक्षा विभाग—प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं के अधीन।
14. समाज कल्याण—अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों की प्रवेश एवं प्रबन्धन निदेशन समिति में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच का सदस्य पद पर मनोनयन।

इनके अतिरिक्त 4 निम्न गतिविधियां पूर्व से ही पंचायती राज संस्थाओं के पास हैं :—

(पंचायती राज मंत्री)

1. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

2. ग्रामीण आवासन।

3. बाजार एवं मेले।

4. सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण।

इसी प्रकार चार गतिविधियां अपरोक्ष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के पास है :—

1. ईंधन व चारा।

2. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

3. स्थानीय सड़कें, पुलिया, पूल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।

4. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।

(2) सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के निम्न कर्मचारियों के पर्यवेक्षण का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है:—

1. बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (चिकित्सा विभाग)।

2. आयुर्वेद औषधालय के प्रभारी एवं समस्त कर्मचारी (आयुर्वेद विभाग)।

3. कृषि पर्यवेक्षक (कृषि विभाग)।

4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (महिला एवं बाल विकास विभाग)।

5. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिकता विद्यालय के अध्यापक/प्रधानाध्यापक पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग।

राज्य के अनार्थिक घोषित विद्यालय

978. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु क्या मानदण्ड हैं? न्यूनतम कितनी छात्र संख्या पर विद्यालय खोला जाता है तथा कितनी छात्र संख्या पर विद्यालय संचालित हो सकता है?

(2) राज्य में निर्धारित मानदण्ड से कम छात्र संख्या के कितने विद्यालय संचालित हैं तथा उक्त विद्यालयों को क्या अनार्थिक घोषित कर दिया गया है अथवा दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में अनार्थिक घोषित किये गये विद्यालयों की छात्र संख्या कितनी है क्या अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों को अनार्थिक घोषित कर दिया गया है तथा उनके बन्द करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु ऐसा राजस्व ग्राम, ढाणी अथवा मजरा जो विद्यालय विहीन हो, ग्राम की जनसंख्या 200 से अधिक होने, ग्राम के डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र में अन्य शिक्षण सुविधाएं नहीं होने पर राज्य सरकार की वित्तीय उपलब्धता आदि गुणावगुण पर समग्र विचार कर विद्यालय खोले जाते हैं। विद्यालय खोलने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या का मानदण्ड निर्धारित नहीं है। अब प्राथमिक विद्यालयों के बजाय राजीव गांधी स्वर्ण

(पंचायती राज मंत्री)

जयन्ती पाठशालाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। सामान्य क्षेत्र में 40 एवं मरुस्थलीय, जन जातीय, बेवात, मगरा, डांग एवं अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत चयन हेतु प्रस्तावित झुन्झुनूं एवं राजसमन्द जिलों में 25 बच्चे उपलब्ध होने पर एवं 1 किलोमीटर की परिधि में शिक्षण व्यवस्था नहीं होने पर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोले जाने के मापदण्ड हैं।

(2) शिक्षा सत्र 1999-2000 में जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 47 पेपर विद्यालयों को तथा 195 अनार्थिक विद्यालयों को बन्द/मर्ज किया गया। इसी प्रकार सत्र 2000-01 में 02 पेपर विद्यालयों तथा 15 अनार्थिक विद्यालयों को बंद/मर्ज किया गया।

(3) जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय की न्यून छात्र संख्या के साथ-साथ भवन व्यवस्था अर्थात् एक ही भवन में दो पारी में चलने वाले दो विद्यालय, पास-पास विद्यालय आदि के आधार पर समीक्षोपरान्त विद्यालय मर्ज करने के प्रस्तावानुसार विद्यालयों को बंद/मर्ज किया गया है। वर्तमान में सत्रान्त है अतः किसी विद्यालय को बन्द/मर्ज किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

राष्ट्रीय ओलम्पिक विन्टर गेम्स में भाग लेने वाले कर्मी का बकाया भुगतान

979. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ओलम्पिक विन्टर गेम्स में भाग लेने के लिये तत्कालीन विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव द्वारा राज्य के बाहर की यात्रा करने की आज्ञा जारी की गई थी? क्या ऐसे बिल दिनांक 31-3-2000 से पूर्व में प्राप्त हो गये थे? यदि हां, तो उपनिदेशक (प्रा.शि) पंचायती राज विभाग को प्राप्त उक्त बिलों के लिए बजट राशि कब-कब प्राप्त की थी?

(2) क्या श्री भागचन्द सोनी द्वारा प्रस्तुत यात्रा बिल की राशि उच्चाधिकारियों के आदेशों के बावजूद दुर्भावना से अमान्य की गई? क्या कोई कार्यालय आदेश नियमों का हवाला देकर राशि अमान्य करने हेतु निकाले गये?

(3) अब उक्त प्रस्तुत यात्रा भत्ता की बिल राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? क्या नियमों के विरुद्ध उच्चाधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करके यात्रा भत्ता बिल की राशि अमान्य करने वाले उप निदेशक (प्रा.शि) को उसके पद से हटाया जाकर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। 1999-2000 का यात्रा मद का बजट पूर्व में ही उपलब्ध था। 2000-2001 में नियमित बजट के अतिरिक्त निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के क्रमांक : शिविरा/बजट/बी-2/9607/99-2000 दिनांक 20-3-2001 द्वारा 10,100 रुपये की राशि का आबंटन उप निदेशक (प्रा.शि) कार्यालय को यात्रा मद में हुआ।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी, नहीं। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) श्री सोनी वरिष्ठ लिपिक द्वारा जब भी यात्रा भत्ता बिल उपस्थिति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत कर दिया जावेगा, यात्रा भत्ता बिल का भुगतान कर दिया जायेगा। नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं हुआ अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दसवें वित्त आयोग से पंचायतों को प्राप्त राशि का उपयोग

980.श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दसवें वित्त आयोग की धन राशि राज्य में ग्राम पंचायतों को किस तिथि को जारी की गई एवं इसके उपयोग के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए? क्या इसमें उपयोग के लिए किसी मद में जन सहयोग भी प्राप्त किया जाता था? क्या उक्त में सहयोग प्राप्त किया गया?

(2) राज्य के कितने जिलों में उक्त राशि का सम्पूर्ण उपयोग किस तिथि तक कर लिया गया?

(3) क्या सरकार का विचार उक्त राशि को अकाल राहत से जोड़ कर खर्च करने का विचार था? यदि हां, तो अब उक्त दुरुपयोग के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या यह सही है कि उक्त राशि का आपा-धापी में उपयोग होनेक में इसमें भारी अनियमितता हुई है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद्/पंचायत समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों हेतु दसवें आयोग की धनराशि निम्न तिथियों को आबंटित की गई है :—

दिनांक	राशि (लाखों में)
31.03.1997	5305.00
24.01.1998	1326.00
31.03.1998	2652.00
31.02.1999	5306.00
03.02.2000	1306.00
04.02.2000	2653.00
15.02.2000	21.00
31.03.2000	2653.00
योग	21222.00

टी.एफ.सी. राशि उपयोग के संबंध में प्रथम दिशा-निर्देश पत्रांक 527 दिनांक 20.4.98 के द्वारा जारी किये गये जिसमें जन सहयोग प्राप्त किया जाना था। इसके बाद विभागीय पत्रांक 19403 दिनांक 24.4.1999 के द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये जिसमें जन सहयोग प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है। दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य के किसी भी जिले में इस राशि का सम्पूर्ण उपयोग आदिनांक तक नहीं किया गया है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। दसवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि को अकाल राहत कार्यों से जोड़ने पर इन कार्यों की मात्रा, स्थायित्व एवं उपयोगिता में बढ़ोतरी हुई है। यह राशि का दुरुपयोग नहीं बल्कि संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग है। जी, नहीं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के पूर्व सरपंचों को बकाया राशि का भुगतान

981. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में ऐसे कितने पूर्व सरपंच हैं जिन्हें निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के बावजूद भी तथा मूल्यांकन के बाद भी शेष भुगतान नहीं किया गया है? उक्त तरह कितना-कितना भुगतान होना शेष है तथा इनका भुगतान समय पर क्यों नहीं किया गया और अब भुगतान किस दिनांक तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सात पूर्व सरपंचों को निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा मूल्यांकन होने के बावजूद पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :—

पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	राशि जिसका भुगतान किया जाना शेष है
1. छबड़ा	तेलनी	0.42 लाख
	कड़ैयावन	0.56 लाख
	खोपर	0.36 लाख
	बाराई	0.795 लाख
	आखेड़ी	1.00 लाख
2. छीपाबड़ौद	सारथल	0.22 लाख
	दोलम	0.56 लाख

पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सारथल द्वारा प्रस्तुत लेखे निर्धारित प्रारूप में नहीं होने एवं शेष पूर्व सरपंचों द्वारा लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। निर्धारित प्रारूप में लेखे प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जावेगा। ग्राम पंचायत दोलम के पूर्व सरपंच द्वारा कुछ अन्य कार्यों के समुचित लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिनमें मूल्यांकन से अधिक व्यय होने की दशा में वसूली की कार्यवाही अपेक्षित होगी।

मैकेनिकल डिवीजन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की उपादेयता

982. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक मैकेनिकल डिवीजन अलग से है जिस पर मुख्य अभियन्ता स्तर का अधिकारी नियुक्त है?

(2) उक्त मैकेनिकल डिवीजन में कुल कितनी लागत की मशीनरी है?

(3) उक्त मैकेनिकल डिवीजन की गत तीन वर्षों में मशीनरी मेंटीनेंस पर कितनी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

राशि व्यय हुई और वेतन भत्तों पर कितना व्यय हुआ तथा डीजल आयल पर कितना व्यय हुआ ?

(4) उक्त डिवीजन का गत तीन वर्षों में कितने मूल्य का कार्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना का करवाया है ?

(5) क्या उक्त डिवीजन को रखने से परियोजना को हानि हो रही है तथा इसकी उपादेयता नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिवीजन को बन्द करने व विलीनीकरण का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। मुख्य अभियन्ता, इंगानप, बीकानेर के अधीन एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (यांत्रिक) स्तर का अधिकारी कार्यरत है जिसके द्वारा सम्पूर्ण इंगानप का कार्य (मुख्य अभियन्ता, बीकानेर एवं जैसलमेर के कार्य क्षेत्र में मशीनों से सम्बन्धित) सम्पादित कराया जाता है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) के अधीन दो अधीक्षण अभियन्ता एवं छह खण्डीय कार्यालय भी हैं इन छह डिवीजन्स में से एक मैकेनिकल डिवीजन जैसलमेर में कार्यरत है।

(2) केन्द्रीय उद्योगशाला खण्ड जैसलमेर के पास 813.36 लाख रुपये की मशीनें उपलब्ध हैं।

(3) केन्द्रीय उद्योगशाला खण्ड जैसलमेर के द्वारा वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक निम्न राशि व्यय की गई :

वर्ष	वेतन भत्ते	मेंटीनेंस	आयल/ डीजल
1998-99	80.84	154.19	65.05
1999-2000	95.46	176.94	71.43
2000-2001	117.79	161.81	63.83

(4) केन्द्रीय उद्योगशाला खण्ड जैसलमेर के द्वारा वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक निम्न राशि के कार्य सम्पादित कराये गये :

1998-99	रु. 317.34 लाख
1999-2000	रु. 378.55 लाख
2000-2001	रु. 341.04 लाख

(5) जी नहीं। केन्द्रीय उद्योगशाला खण्ड जैसलमेर को यथावत रखने पर परियोजना को कोई हानि नहीं हो रही बल्कि इस खण्ड के द्वारा गत तीन वर्षों में रु. 1036.93 लाख के कार्य कराये गये। फिलहाल इस खण्ड को बन्द करने या विलीनीकरण का कोई विचार नहीं है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आबंटित राशि का उपयोग

983. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को वर्ष 2000-2001 में कुल कितनी राशि आबंटित की गई और उक्त में से कुल कितनी राशि व्यय की गई ? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि में से अब कुछ राशि शेष रह गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(3) उक्त राशि जिस प्रयोजना के लिए आबंटित की गई थी क्या कोई कार्य उक्त में से राशि के अभाव में अपूर्ण रहे? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त अपूर्ण कार्य को किस प्रकार पूर्ण करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त राशि तथा सम्बन्धित योजना के तहत किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-"अ" में सम्बन्धित योजना के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है।

(2) केवल प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत राशि के वित्त विभाग द्वारा विलम्ब से (दिनांक 26.12.2000) निर्मुक्त करने के कारण राशि रु. 86.72 लाख की अवशेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। अन्य सभी योजनाओं में वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त की गई पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-10 देखें)

जरखोदा-फतेहगंज (बूंदी) सम्पर्क सड़क के भुगतान में अनियमितताएं

984. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बून्दी में जरखोदा से फतेहगंज सम्पर्क सड़क का निर्माण पंचायत समिति नैनवां की देखरेख में करवाया गया है? यदि हां, तो किस योजनान्तर्गत कितनी राशि व्यय करके?

(2) क्या यह भी सही है कि मौके पर सड़क चौड़ाई एवं नाप कम होते हुए भी सरकारी राशि का अधिक भुगतान करने के लिए एम.बी. में गलत विवरण दर्ज किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सम्पर्क सड़क निर्माण में की गई अनियमितता में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। जरखोदा से फतेहगंज सम्पर्क सड़क का निर्माण आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत पंचायत समिति नैनवां की देखरेख में ग्राम पंचायत जरखोदा द्वारा करवाया गया है। इसके निर्माण कार्य पर राशि रुपये 4,23,904/- व्यय हुए हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। उक्त सम्पर्क सड़क के निर्माण कार्य में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई है।

ग्राम पंचायत खूंता (उदयपुर) के चयनित परिवार

985. श्री नगराज मीणा (लसाड़िया) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नगराज मीणा)

(1) गत पांच वर्षों में ग्राम पंचायत खूंता (उदयपुर) में चयनित परिवारों को कितने ट्रेक्टर, वाटर पम्प एवं इंदिरा आवास आबंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ट्रेक्टर, वाटर पम्प एवं इंदिरा आवासों के स्वामी आज भी वहीं हैं या अन्य लोग हैं ? क्या उक्त का भौतिक सत्यापन कराया गया है ?

(3) क्या उक्त में अब अन्य लोग स्वामी हैं ? क्या सरकार उक्त संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत खूंता (जिला उदयपुर) क्षेत्रान्तर्गत चयनित परिवारों को आबंटित/स्वीकृत किये गये ट्रेक्टर, वाटर पम्प एवं इंदिरा आवास निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	विवरण	संख्या	विशेष विवरण
1.	ट्रेक्टर	1	एकीकृत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत पांच व्यक्तियों के समूह को स्वीकृत
2.	इंदिरा आवास	22	—
3.	वाटर पम्प	—	—

लाभान्वितों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"अ" पर अवलोकनीय है।

(2) जी, हां। भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त ट्रेक्टर एवं इंदिरा आवासों के स्वामी वे ही पाये गये, जिनके नाम से ट्रेक्टर एवं इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अलवर द्वारा आबंटित राशि में अनियमितता

986. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अलवर द्वारा माण्डा योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग को आबंटित राशि 71243/- में अनियमिमता की गई है ? क्या उक्त संबंध में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति एवं दोषी कर्मियों को दिये गए आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दोषी कर्मचारी से उक्त राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है ? यदि हां, तो कौन अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार है ? अब सरकार राशि वसूल करने की कार्यवाही कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। थाना कोतवाली अलवर में क्रम सं. 214/99 पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्री नेमीचन्द गर्ग, कनिष्ठ लिपिक को 71,243.14 रुपये के फर्जी व्यय बिल प्रस्तुत करने बाबत दोषी पाये जाने के कारण

(ग्रामीण विकास मंत्री)

श्री गर्ग के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा नियम 1958 के नियम 16 के अध्याधीन दिनांक 14.12.1999 के आदेशों के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। प्रथम इतला रिपोर्ट एवं आरोप-पत्र की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" पर अवलोकनीय है।

(2) जी, हां। श्री नेमीचन्द गर्ग को दिनांक 14.12.1999 को निलम्बित किया गया था। निलम्बनकाल में श्री गर्ग को केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रकरण में वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डी.पी.आई.पी. में अनियमित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों/ कर्मचारियों का चयन

987. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डी.पी.आई.पी. में कुल कितने किस सेवा के पद किस वेतन श्रृंखला के स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग में सांख्यिकी विभाग के अधिकारी का पद स्वीकृत है? यदि नहीं, तो सांख्यिकी विभाग के अधिकारी को क्यों लगा रखा है?

(3) सहायक सेवा व हाउस कीपिंग सेवा में कितने पद स्वीकृत हैं व किसानों का वेतन आहरित किया जा रहा है और उक्त कहां-कहां कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन में विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डी.पी.आई.पी. में सेवा विशेष के कुल 3 पद ही स्वीकृत हैं जिनका विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) सहायक सेवा में केवल 1 पद स्वीकृत है। एक का ही वेतन आहरित किया जा रहा है एवं यह राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, डी.पी.आई.पी. जयपुर में कार्यरत हैं। हाउस कीपिंग सेवा में कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(4) परियोजना में कार्य व कर्मियों की उपलब्धता की दृष्टि से कुछ पदों पर पदस्थापन व कुछ पदों पर समिति द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन कर लगाया गया है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में महाविद्यालय की स्थापना

988. श्री नाना लाल नीनामा (घाटोल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नानालाल नीनामा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल ग्रामीण एवं जनजाति बाहुल्य है ?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने की विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र घाटोल ग्रामीण एवं जनजाति बाहुल्य है।

(2) जी, नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

आयुर्वेदिक औषधालयों का स्थानान्तरण

989. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिन गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय खोले हुए थे उन्हीं गांवों में एलोपैथिक अस्पताल/डिस्पेंसरियां खोली गई हैं ? यदि हां, तो जिला नागौर में ऐसे कौन से गांव हैं जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय और एलोपैथिक अस्पताल व डिस्पेंसरियां कार्यरत हैं ?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर दोनों तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां से आयुर्वेदिक औषधालयों को दूसरे ग्रामों में स्थानान्तरित किया जावे ? यदि हां, तो कब तक किया जावेगा और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने पूर्व में भी ऐसा निर्णय लिया था कि जहां पर दोनों तरह की सुविधा है, वहां से एक को दूसरे गांव में स्थानान्तरित किया जावे ? यदि हां, तो उक्त निर्णय की पालना क्यों नहीं हुई ?

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले के उन ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है, जिनमें आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय एवं एलोपैथिक अस्पताल, डिस्पेंसरियां व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

(2) जी, नहीं। विभागीय राय में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एवं व्यापक जन हित में ऐसा करना उचित नहीं होगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लोकप्रिय, अपेक्षाकृत रूप से सस्ती एवं कारगर है और दोनों प्रकार की पद्धति प्रचलित है।

(3) जी, नहीं। माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जनसंख्या सम्बन्धी उप समिति की दिनांक 4-7-1995 को सम्पन्न हुई बैठक में इस संबंध में चर्चा कर यह अनुशंसा की गयी थी जो राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, शिवचरण जी माथुर।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "क" का प्रतिवेदन (क्रमांक 11 व 12)

श्री शिवचरण माथुर (सभापति, प्राक्कलन समिति "क", 2001-2002) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "क" 2001-2002 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) आयोजना विभाग विषयक् प्राक्कलन समिति "क" 2000-2001 के 5वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 11वां प्रतिवेदन, एवं

(2) शिक्षा विभाग विषयक प्राक्कलन समिति "क" 2000-2001 के 7वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 12वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति का प्रतिवेदन

(क्रमांक 68 से 89)

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सभापति, जन लेखा समिति, 2001-2002) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2001-2002 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1996-97 का पैरा संख्या-4.1, 4.2, 4.3, 4.4 तथा 4.5 व 2.5(1) से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 68 वां प्रतिवेदन;

(2) विनियोग लेखे वर्ष 1993-94 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का 69वां प्रतिवेदन.

(3) जन लेखा समिति, 1991-92 के 30वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 70 वां प्रतिवेदन;

(4) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष, 1993-94 के पैरा संख्या-4.12 में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 71वां प्रतिवेदन;

(5) जन लेखा समिति, 1991-92 (नवीं विधान सभा) के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 72वां प्रतिवेदन;

(6) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष, 1993-94 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 73वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(7) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष, 1993-94 के अनुच्छेद 8.6 (गारंटी कमीशन) एवं वर्ष, 1995-96 के अनुच्छेद संख्या-7.7 (ब्याज प्राप्तियां) में समाविष्ट वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 74वां प्रतिवेदन;

(8) जन लेखा समिति, 1994-95 के 39वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 75वां प्रतिवेदन;

(9) जन लेखा समिति, 1997-98 के 102वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 76वां प्रतिवेदन;

(10) जन लेखा समिति, 1997-98 के 103वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 77वां प्रतिवेदन;

(11) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1994.95 के पैरा संख्या-4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10 तथा 4.11 में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 78वां प्रतिवेदन;

(12) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष, 1994-95 में भू-राजस्व से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 79वां प्रतिवेदन;

(13) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष, 1995-96 में भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 80वां प्रतिवेदन;

(14) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष, 1996-97 में समाविष्ट राजस्थान राज्य लाटरी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 81वां प्रतिवेदन;

(15) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997-98 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या-4.12 से 4.15 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 82वां प्रतिवेदन;

(16) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष, 1997-98 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या-4.16 (आर) से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 83वां प्रतिवेदन;

(17) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष, 1998-99 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या-4.13 से 4.20 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 84वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(18) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1995-96 के पैरा संख्या-4.1 से 4.4 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 85वां प्रतिवेदन;

(19) जन लेखा समिति, 1991-92 के 34वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 86वां प्रतिवेदन;

(20) जन लेखा समिति, 1991-92 के 55वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 87वां प्रतिवेदन;

(21) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष, 1996-97 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 88वां प्रतिवेदन; एवं

(22) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 89वां प्रतिवेदन।

राजकीय उपक्रम समिति का प्रतिवेदन (क्रमांक 33 से 41)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2001-2002 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1985-86 एवं 1987-88 से सम्बन्धित समिति का 33वां प्रतिवेदन;

(2) राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1994-95 एवं वार्षिक लेखों) से सम्बन्धित समिति का 34वां प्रतिवेदन;

(3) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 के 22 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 35वां प्रतिवेदन;

(4) राजस्थान राज्य सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1995-96) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 के 62वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 36वां प्रतिवेदन;

(5) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1992-93) से सम्बन्धित समिति का 37वां प्रतिवेदन;

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(6) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1994-95) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 38वां प्रतिवेदन;

(7) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1992-93) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 के 24वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 39वां प्रतिवेदन;

(8) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 के 25वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 40वां प्रतिवेदन; एवं

(9) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष, 1995-96) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 के 26वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 41वां प्रतिवेदन।

महिलाओं और बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्रमांक दो)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2001-2002) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2001-2002 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को उपस्थापित करती हूं।

याचिका समिति का प्रतिवेदन (क्रमांक 3 व 4)

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह।

श्री नारायण सिंह (सभापति, याचिका समिति, 2001-2002) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार याचिका समित, 2001-2002 समिति के निम्नांकित दो प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में समिति का तृतीय प्रतिवेदन; एवं

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले विधेयक श्री खेतसिंह राठौड़।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सासोइटी विधेयक, 2001 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये।

विधेयक पर प्रवर समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :—

(1) श्री खेतसिंह राठौड़

(2) श्री परसादी लाल मीणा

(3) श्री नवल किशोर शर्मा

(4) श्री अमीन खान

(5) डा.करण सिंह यादव

(6) श्री दिग्विजय सिंह

(7) श्री नाथूराम अहारी

(8) श्री नारायण सिंह, दांतारामगढ़

(9) श्री भगवान सहाय सैनी

(10) श्री राजेन्द्र पारीक

(11) श्री जनार्दन सिंह गहलोत

(12) श्री रामनारायण चौधरी

(13) श्री शिवनाथ सिंह

(14) श्री हनुमान प्रसाद

(15) श्री मोहनलाल राठौर

(16) श्री लक्ष्मण सिंह रावत

(17) श्री भंवरलाल शर्मा

(18) श्री मानिकचन्द सुराना

(19) श्री गुलाब चन्द कटारिया

(20) मोहम्मद माहिर आजाद

(21) श्रीमती सुमित्रा सिंह

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को दे दिया जाये। उस प्रस्ताव पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन व्यवस्था के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी बिल इस हाउस में इण्ट्रोड्यूस हो, उसके तीन कारण होंगे। या तो प्रवर समिति को दिया जाये, या जनमत जानने के लिए उसको परिचालित किया जाये या इस सदन में तुरन्त पारित किया जाये। लेकिन इसके आब्जैक्ट्स के ऊपर चर्चा नहीं हो, यह कहीं भी ठीक नहीं है। इस बिल के आब्जैक्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर इस हाऊस में चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल इसलिए निवदेन कर रहा हूं कि यह परम्परा नहीं बन जाये। आज तो आप इसकी स्वीकृति दे दो लेकिन परम्परा ऐसी नहीं बन जाये कि विधेयक को सीधे ही सलैक्ट कमेटी को भेजने के मामले में प्रस्ताव रखा जाये। यह हमारा राइट है कि इसके आब्जैक्ट्स के ऊपर चर्चा करें इसलिए हमारे अधिकार को सुरक्षित रखते हुए आप इसको प्रवर समिति को भेज दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां, आपके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, हो गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये।

विधेयक पर प्रवर समिति का गठन

प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :—

(1) श्री मानिक चन्द सुराना

(2) श्री के. सी. चौधरी

(3) श्री राजेन्द्र राठौड़

(4) मोहम्मद माहिर आजाद

(5) श्री शैलेन्द्र जोशी

(6) श्री संयम लोढ़ा

(7) श्री सुरेन्द्र व्यास

(8) श्री हेमन्त कुमार

(9) श्री मोहनलाल मोदी

(10) श्रीमती ममता शर्मा

(11) श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(12) श्री अशोक बैरवा

(13) श्री रामस्वरूप मीणा

(14) श्री कृष्ण मुरारी गंगावत

मैं मेरा नाम भूल गया, साहब, इसमें ऊपर ही ऊपर मेरा नाम है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम तो बताओ। नाम तो बताओ आपका नाम क्या है, नाम बताना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शांतिकुमार धारीवाल।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान किराया नियंत्रक विधेयक, 2001 प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया हुआ है, उस प्रस्ताव की अहमियत आप समझते हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। व्यासजी, एक सैकण्ड, मुझसे त्रुटि हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह एक बहुत गम्भीर प्रस्ताव है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक त्रुटि हो गई, साहब, मुझसे। मेरे डिपार्टमैंट के स्टेट मिनिस्टर श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत का नाम भी इसमें है। (व्यवधान) कुलमिलाकर 15-16 हो गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे कैसे हो जाएगा ? ऐसे कैसे जुड़ जाएगा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका कैसे हो गया, वैसे उनका हो जाएगा। आपका तो हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले खुद का नाम नहीं जोड़ा और फिर आपने अब स्टेट मिनिस्टर का नाम नहीं जोड़ा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब तो इस कमेटी के अध्यक्ष मानिक चन्दजी सुराना हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह कैसी व्यवस्था है ? मंत्री महोदय का खुद का नाम नहीं इस प्रवर समिति में, इनके स्टेट मिनिस्टर का नाम नहीं, क्या करना चाहते हो आखिर आप ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दूसरे नाम जोड़ों, यह कोई बात थोड़े ही हुई ? आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, आज क्या हो गया ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज आप अपने स्टेट मिनिस्टर को क्यों डीग्रेड करना चाहते हैं? यह अपमान है स्टेट मिनिस्टर का एक तरह से। आप अपमानित करना चाहते हो अपने स्टेट मिनिस्टर को। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने यह कहा है कि मुझसे त्रुटि हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्षमा-याचना कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्षमा-याचना कर लो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : खेद प्रस्तुत किया जाता है, यह कहो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह क्षमा-याचना करने का सवाल नहीं है। भूल हो सकती है, यह भूल गये हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन आपने प्रस्ताव पास कर लिया, उस प्रस्ताव में जब तक हाउस की अनुमति नहीं होगी, किसी आदमी का न तो नाम लिखा जा सकता है और न हटाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ में नहीं कहकर बाद में उन्होंने कह दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ ही नहीं सकता। हाउस ने प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें नाम दिये थे वे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नाम तो इनके पास ही है। अभी तक नाम हमारे पास में जो है.....(व्यवधान) उनके आज आये होंगे (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, काकाश्री को भतीजेश्री को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, हाउस में नहीं... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न भतीजे से आपत्ति है, न मुझे धारीवालजी से आपत्ति है, मैं तो प्रोसीजर की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सचिवालय में नाम आये ही नहीं। नाम उन्होंने जो है अभी प्रस्ताव किया है नामों का और उसमें अपना नाम पहले नहीं बोलकर अन्त में बोल दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग बात है, साहब। वह उनका प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद बोला है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उसमें नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मैं यह निवेदन करूं। मैं यह निवेदन करूं कि प्रवर समिति.....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, सुन लीजिए, मैं आपके ही पक्ष में बोल रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रवर समिति का चेयरमैन हमेशा कन्सर्निंग मिनिस्टर होता है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है, सवाल, अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप बैठो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो समझने की बात है, साहब, अगर मैंने मान लो त्रुटिवश,.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता जैसा जानते हैं.....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम एण्ड करने का प्रश्न आता है...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित मंत्री हमेशा ही चेयरमैन रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह चेयरमैन रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इसकी आपत्ति नहीं है लेकिन एक बार जो नाम हाउस में एक प्रस्ताव के जरिये एप्रूव कर दिये गये, उन नामों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाये तो माननीय मंत्री महोदय बकायदा प्रस्ताव पास कर दें और उसमें दीपेन्द्र सिंह जी का नाम ले लें। हाउस इसकी सैंक्शन दे देगा। प्रोसीजर है, क्यों आप उसमें कर रहे हो? प्रोसीजर तो यही है कि आप नाम एड नहीं कर सकते। (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं प्रस्ताव कर रहा हूं दुबारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कर देओ।... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो कह रहा हूं, मैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : देखिये, साहब, आपस में ऐसा भी क्या झगड़ा एक शेखावत दूसरे शेखावत के बीच में? नाम ही तो एड कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाम एड करो न। प्रस्ताव लाकर नाम एड करो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कर रहा हूं कि..... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है कहां प्रस्ताव?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्टेट मिनिस्टर फार यू.डी.एच. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत भी इसके मैम्बर होंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव है कहां? अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसे इस तरह के प्रस्ताव नहीं आएंगे। आप पांच मिनट बाद में लिखकर दें, इसमें आपत्ति क्या है यह प्रोसीजर का मामला है, यह दीपेन्द्र सिंहजी का मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो मुझसे स्पीकर साहब कहें या आप कहें, मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, दे दो। दे दो प्रस्ताव, पास करवा लो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके कहे अनुसार तो मैंने सारे काम कर दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, यह नहीं। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पास होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बड़ी मुश्किल से तो हमारा नाम आया है, उसको भी कटवा देना चाहते हो क्या? बड़ी मुश्किल से तो हमारा नाम आया है, उसको भी कटवा दो।... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के सदस्यों के नाम तो बाद में भी दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हाउस में नहीं ले सकते हाथों-हाथ। बाद में ले लेना चाहे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री आथोराइड है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल सहायता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरा नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव है और, अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की गम्भीरता आप समझते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री प्री-नोमिनेशन करप्ट प्रैक्टिस के दोषी हैं, यह मैंने बकायदा डाक्यूमेंट लगाया है। मानसिंह देवड़ा जिन्होंने इनके लिये सीट खाली की, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किस पर बोल रहे हैं आप? यह किस नियम से बोल रहे हैं?...(व्यवधान) यह किस नियम में बोल रहे हैं?...(व्यवधान) आप किस नियम में बोल रहे हैं?...(व्यवधान) यह किस नियम में बोल रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मानसिंह देवड़ा जो हाउसिंह बोर्ड के चेयरमैन हैं, यह यू.आई.टी. के चेयरमैन थे....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह हमारे पास में...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किस नियम में बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार किया जाये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिर नियम भी तो होना चाहिये न। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं...(व्यवधान) मर्जी आये जो बोले लेंगे? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : यह कौन से नियमों पर बोल रहे हैं (व्यवधान) जब अकाल पर, पेयजल पर चर्चा हो रही है, यह माननीय सदस्य जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं। बिना आसन की इजाजत के यह खड़े कैसे हो जाते हैं ? (व्यवधान) इनको अधिकार किसने दिया है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन पद पर मानसिंह देवड़ा को.....(व्यवधान) और जो मुकदमा दर्ज हुआ..(व्यवधान) एफ.आर. लगायी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह बिना आसन की परमिशन के हर बार क्यों बोलते हैं ? यह आसन की परमिशन लिये बिना क्यों बोलते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इनको किसने अधिकार दिया है ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मानसिंह देवड़ा पर मुकदमा चला है। (व्यवधान) उसके बाद पद खाली किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा आसन की परमिशन के बिना बोलते हैं। आसन की परमिशन के बिना यह नहीं बोलें, यह हिदायत दी जाये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी के बारे में इन्होंने जो कहा है, बिलकुल असत्य कहा है। मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा नहीं किया। यह गलत आरोप लगा रहे हैं इस सदन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी पर। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी पर बिलकुल असत्य लांछन लगा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं, यह कौन से नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अकाल, पानी की चिन्ता ही नहीं है इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, परसादी लाल जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : बीच में बोलने लग जाते हैं बिना परमिशन के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। (व्यवधान) मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब ?

व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा नियम 119 के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अभी दे रहा हूं। माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम 119 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर मैंने विचार किया। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य का यह प्रस्ताव नियम 121 के उप नियम (2), (4), (8) व (12) में अंकित ग्राह्यता की शर्तों के विरुद्ध है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को उक्त नियमों का उल्लंघन करने के कारण नियम 122 में अस्वीकृत करता हूं तथा इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको कष्ट तो होगा, यह प्रस्ताव है क्या, यह बता दें ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूलिंग के बाद तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूलिंग के बाद आर्ग्यूमेंट नहीं होता। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो। (व्यवधान) आप आसन को चुनौती दे रहे हो? आसन ने जब एक बार व्यवस्था दे दी है, आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो क्या? ....(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो क्या? (व्यवधान)

(12.15 बजे)

(श्री देवेन्द सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह प्रस्ताव मूल रूप से है क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पता तो चलना चाहिये कि आखिर प्रस्ताव है क्या..... (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक बार आसन की ओर से व्यवस्था हो गयी है तो फिर अकाल और पेयजल पर आप चर्चा शुरू करवाइये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप आसन की व्यवस्था को मानें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप अकाल और पेयजल के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और पेयजल पर चर्चा कराओ। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जब एक बार आसन की ओर से व्यवस्था हो गयी है उसके बाद में ....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : बताओ तो सही प्रस्ताव क्या है? (व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव के आधार पर उसे रिजैक्ट करें। जब तक प्रस्ताव ही सामने नहीं है तो किस बात की.....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप अकाल पर चर्चा क्यों नहीं करते ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप इन माननीय सदस्यों को पूछिये कि यह अकाल पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते। (व्यवधान) यह अकाल के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बताओ तो सही, प्रस्ताव क्या है ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछिये, यह अकाल और पेयजल के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान) अकाल और पेयजल पर चर्चा कीजिये। (व्यवधान) आप जब चाहे खड़े हो जाते हो फिजूल में। कौनसे नियमों के अन्तर्गत....(व्यवधान) आज अकाल और पेयजल पर चर्चा है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिस प्रस्ताव की जानकारी नहीं हो, कम से कम आपने रिजैक्ट किया है तो प्रस्ताव क्या है, यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तहलका।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव सुनाया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में तो बताया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था शिरोधार्य है, हम मानेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह के असत्य आरोप यह लगाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : बेबुनियाद आरोप हैं। (व्यवधान) इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदस्य चर्चा करने को तैयार हैं, चर्चा करना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : अकाल और पानी के बारे में इनको चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : न अकाल पर चर्चा करना चाहते हैं, न पानी पर चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान) इनकी प्राथमिकता केवल हल्ला करने की है। (व्यवधान) इनको

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

भागना है हल्ला करके। (व्यवधान) इनको चाहिये कि यह आसन की व्यवस्था को सुनें। (व्यवधान) अकाल पर चर्चा करें, पानी पर चर्चा करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रस्ताव सदन को बताया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (माननीय उपाध्यक्ष ने हाथ से संकेत कर अंकित नहीं करने के आदेश दिये।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री रमजान खान : × × ×

श्री मानिक चन्द सुराना : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

डा. जितेन्द्र सिंह : × × ×

श्री बाबूलाल सिंगारिया : × × ×

श्रीमती ममता शर्मा : × × ×

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई : × × ×

श्रीमती पूनम गोयल : × × ×

श्री हरजीराम बुरड़क : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सी. पी. जोशी : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12.40 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.20 बजे, 12.40 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

पुनः सम्वेत होने पर

(12.40 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज के महत्वपूर्ण विषय पर सारा राजस्थान अकाल से दुःखी है। राजस्थान की जनता अकाल के बारे में अपना कुछ न कुछ (व्यवधान) अकाल और बिजली पर चर्चा हो, हमारी यह मांग है। राजस्थान और राजस्थान के लाखों लोग अकाल से जूझ रहे हैं, बिजली से परेशान हैं।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.44 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

राष्ट्रगान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या-555 की सूची)

श्री समर्थ राज माथुर	आर.ए.एस.	1954	30.9.61
श्री तारा चन्द काला	कृषि	1.10.61	30.6.67
श्री किशनमल मेहता	कृषि	1.7.67	10.9.71
डा. रणवीर सिंह	कृषि	11.9.71	13.9.77
श्री जोधसिंह	कृषि	14.9.77	31.12.77
श्री एस.पी. विश्नोई	आई.ए.एस.	1.1.78	25.4.78
श्री सर्वेश्वर दयाल माथुर	कृषि	26.4.78	30.11.79
श्री हरिश चन्द जोशी	कृषि	1.12.79	31.5.82
श्री राजेन्द्र जैन	आई.ए.एस.	1.6.82	3.1.83
श्री महेन्द्र सिंह	आई.ए.एस.	4.1.83	17.7.83
श्री धीर चन्द सामन्त	आई.ए.एस.	18.7.83	21.9.85
श्री के. एस. मणी	आई.ए.एस.	21.9.85	27.1.87
श्री बी. एन. चतुर्वेदी	आई.ए.एस.	27.1.87	5.2.87
श्री पी. के. देव	आई.ए.एस.	5.2.87	27.8.87
श्री रमाकान्त शर्मा	आई.ए.एस.	27.8.87	4.9.87
श्री राजीव महर्षि	आई.ए.एस.	4.9.87	7.9.88
श्री हनुमान प्रसाद	आई.ए.एस.	7.9.88	26.12.88
श्री एम. एल. मेहता	आई.ए.एस.	26.12.88	25.4.89
श्री बी. एस. सिद्धू	कृषि	26.4.89	30.4.89
श्री आर. आर. मेहता	कृषि	1.5.89	22.5.89
श्री सी. एस. राजन	आई.ए.एस.	22.5.89	5.8.93
श्री राकेश श्रीवास्तव	आई.ए.एस.	5.8.93	8.6.94
श्री सुभाष गर्ग	आई.ए.एस.	8.6.94	5.7.95
डा. सुशील शर्मा	कृषि	5.7.95	30.6.96
श्री वी. श्रीनिवास	आई.ए.एस.	30.6.96	3.8.96
श्री पुरुषोतम अग्रवाल	आई.ए.एस.	3.8.96	22.3.99
श्री खेमराज	आई.ए.एस.	22.3.99	लगातार

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

556. श्री नन्द लाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चिकित्सकों/अन्य कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के 56 पद रिक्त हैं। सूची संलग्न है।

(2) पदोन्नति के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अन्य रिक्त पदों को नियमानुसार भर्ती की आवश्यक कार्यवाही कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
3.	नर्स श्रेणी प्रथम	4
4.	नर्स श्रेणी द्वितीय	20
5.	लैब टैक्नीशियन	5
6.	सहायक रेडियोग्राफर	1
7.	संगणक	1
8.	सैक्टर सुपरवाइजर	6
9.	कनिष्ठ लिपिक	1
10.	वाहन चालक	2
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14

मंत्रियों के पास राज्यादेश के बगैर पद स्थापित निजी सचिव

557. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह नताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग ने पत्र संख्या प9/50/कार्मिक/98 दिनांक 2-3-2001 के द्वारा कोई निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या वर्तमान में कोई निजी सचिव, बिना किसी विधिवत राज्यादेश के कतिपय मंत्रियों के अनियमित रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(3) क्या उक्त के द्वारा गोपनीय पत्रावलियों व आदेशों का अवलोकन किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन आदेशों से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(4) क्या सरकार उक्त के द्वारा गत 2 वर्षों से किये जा रहे अनियमित रूप से सरकारी वाहन व सरकारी दूरभाष यंत्र के उपयोग के लिए नियमानुसार वसूली करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब वर्तमान में उक्त को कार्य करने से रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कार्मिक विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। मात्र एक अशा टीप जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों के कार्यालयों में नियुक्त निजी सचिवों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) परिशिष्ट "ख" में अंकित निजी सचिवों द्वारा नियमानुसार कार्य किया जा रहा है।

(4) परिशिष्ट "ख" में वर्णित किसी भी निजी सचिव द्वारा वाहन अथवा दूरभाष के अनियमित उपयोग के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) उपरोक्त वर्णित निजी सचिवों को उनका कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-1) विभाग

विषय :—"नोटिस कार डिमाण्ड आफ जस्टिस" द्वारा श्री चन्द्र शेखर शर्मा, एडवोकेट।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री चन्द्र शेखर शर्मा, एडवोकेट द्वारा श्री बंशीलाल राणावत, अध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद परिवारक संघ, श्रीगंगानगर के हवाले से प्रेषित नोटिस दिनांक 16.2.2001 को श्री पी. के. अग्रवाल, निजी सचिव, राज्य मंत्री, आयुर्वेद विभाग, जयपुर एवं श्री जगदीश राय, उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा आपसी मिलीभगत से राज्य कार्य में अनैतिक रूप से दखल करने की शिकायत करते हुए इन्हें उक्त पद से हटाने बाबत उल्लेख किया है, संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि इस विधायक ने श्री पी. के अग्रवाल के उक्त पद पर पदस्थापन के संबंध में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये तथा नोटिस में अंकित शेष बिन्दुओं पर कार्यवाही आपके स्तर पर की जानी है।

अत: मूल नोटिस नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आयुर्वेद विभाग हॅ०/-

जयपुर, दिनांक :2 मार्च, 2001 शासन उप सचिव

परिशिष्ट "ख"

राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों के कार्यालयों में नियुक्त विशिष्ट सहायक निजी सचिवों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी व संवर्ग का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1.	श्री प्रीतम सिंह, आर.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, वन
2.	श्री देवीदास तनानी, आर.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, मंत्री, विधि
3.	श्री अनिल कुमार चपलोत, आर.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
4.	श्री के. के. सिंघल, आर.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, जन सम्पर्क
5.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, मंत्री, समाज कल्याण
6.	श्री बी.एल.नवल, आर.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, मंत्री, यातायात
7.	श्री महावीर सिंह, आर.ए.एस.	निजी सचिव, मंत्री, खाद्य
8.	श्री महेश चन्द गुप्ता, आर.ए.एस.	निजी सचिव, राज्य मंत्री, सहकारिता
9.	श्री अश्विनी शर्मा, आर.ए.एस.	निजी सचिव, राज्य मंत्री, समाज कल्याण
10.	श्री सुरज्ञानी लाल जैन (से.नि.निजी सचिव) राजस्थान सचिवालय सेवा	प्रमुख निजी सचिव, मुख्य मंत्री
11.	श्री ठाकुर दास, निजी सचिव, राजस्थान सचिवालय सेवा	निजी सचिव, मुख्य मंत्री
12.	श्री गोपाल सिंह, निजी सचिव, राजस्थान सचिवालय सेवा	निजी सचिव, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण
13.	श्री जानकी लाल, निजी सचिव, राजस्थान सचिवालय सेवा	निजी सचिव, राज्य मंत्री, राजस्व एवं नागरिक सुरक्षा
14.	श्री मो. सईद कुरैशी, सहायक सचिव, राजस्थान सचिवालय सेवा	निजी सचिव, राज्य मंत्री, वक्फ
15.	श्री आर.आर. हर्ष (से. नि. जिला शिक्षा अधिकारी)	निजी सचिव, मंत्री, कार्मिक
16.	श्री एन. एन. तनखा (से. नि. आई. ए. एस.)	विशिष्ट सहायक, मंत्री, श्रम

1	2	3
17.	श्री सोहन लाल नागर (से.नि. उप सचिव)	विशिष्ट सहायक, मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
18.	श्री एच.आर.चन्दनानी (से.नि. सहायक सचिव) राजस्थान सचिवालय सेवा	निजी सचिव, मंत्री, राजस्व
19.	श्री ओ.पी.शर्मा (से.नि.) आर.एस.एम.डी.सी.सेवा	निजी सचिव, मंत्री, वित्त
20.	श्री नवीन प्रकाश सक्सैना (से.नि. उप सचिव) राजस्थान सचिवालय सेवा	विशिष्ट सहायक, मंत्री, स्वायत्त शासन
21.	श्री आलोक माथुर, राजस्थान लेखा सेवा	निजी सचिव, मंत्री, कृषि
22.	श्री महेश शर्मा, राजस्थान रोजगार सेवा	निजी सचिव, मंत्री, महिला एवं बाल विकास
23.	श्री शराफत हुसैन शेख, उप सचिव, विधान सभा सेवा	विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, पर्यटन
24.	श्री आर.सी.शर्मा (से.नि. उप सचिव) राजस्थान सचिवालय सेवा	विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, डेयरी
25.	श्री एस.एस. चतुर्वेदी, (से.नि.) आर.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, खनिज
26.	श्री सी.एल.भदौरिया (से.नि.) आई.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, मंत्री, गृह
27.	श्री भगवान स्वरूप मिश्रा, उप निदेशक, आयोजना	निजी सचिव, राज्य मंत्री, कृषि विपणन
28.	श्री बी.एल.अग्रवाल (से.नि.) आई.ए.एस.	विशिष्ट सहायक, मंत्री, ऊर्जा

वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का बकाया वेतन

558. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वक्फ बोर्ड द्वारा गत 2 वर्षों में मुस्लिम होनहार छात्रों को व मुस्लिम बेसहारा बेवा औरतों को कितनी सहायता वजीफा दिया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों के पेश ईमामों की तनख्वाह दी गई है? यदि हां, तो कितनी? क्या वर्ष 1995 से दी जा रही ईमामों की तनख्वाह नया बोर्ड बनने के बाद बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) नया बोर्ड बनने के बाद बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों पर यात्रा भत्तों व अन्य मदों पर कुल कितना व्यय हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(4) क्या वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भी बकाया चल रहा है? यदि हां, तो किस कर्मचारी का कितना-कितना वेतना बकाया है? यदि हां, तो अब उक्त बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में छात्रों को 10,000/- रु. एवं बेसहारा बेवा को 25,000/- रुपये की सहायता दी गई। वर्ष 2000-2001 में छात्रों को राशि 43,000/- की सहायता दी। सूची परिशिष्ट "1" में प्रस्तुत है।

(2) हां, इनको महाना मुशाहिरा दिया जाता है। सूची परिशिष्ट "2" संलग्न है। वर्ष 1995 से ईमामों को दिये जा रहे मुशाहिरे को नया बोर्ड बनने के बाद बन्द नहीं किया गया है।

(3) नया बोर्ड बनने के बाद चेयरमैन व सदस्यों पर फरवरी, 2001 तक यात्रा भत्तों पर राशि 43581/- रुपये व दूरभाष पर राशि 31631/- रुपये व्यय हुई।

(4) जी, हां। बकाया चल रहा है। सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है। वसूली की कार्यवाही प्रगति पर चल रही है, शीघ्र ही बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट "1"

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, जलेबी चौक, जयपुर (राज.)

अ. वर्ष 1999-2000 में वितरित की गई छात्रवृत्ति का विवरण

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	राशि
1.	श्री जलालुद्धीन पुत्र श्री मोहम्मद अय्युब, डीडवाना	2000.00
2.	श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मजरुद्धीन, ब्यावर	1000.00
3.	कुमारी सादिया अनीस पुत्री श्री अनीसुरहमान, टोंक	2000.00
4.	कुमारी रूशदा अमीन पुत्री श्री अमीनुद्धीन अहमद, टोंक	5000.00
	योग :	10000.00

ब. वर्ष 1999-2000 में मुस्लिम बेसहारा बेवा को दी गई सहायता राशि का विवरण :

1.	श्रीमती मंगो बेगम पत्नी स्व. सलीम, जयपुर	रु. 25000.00
	योग :	रु. 25000.00

स. वर्ष 2000-2001 में वितरित की गई छात्रवृत्ति का विवरण

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	राशि
1	2	3
1.	अहसान इलाही अंसारी पुत्र श्री महबूब अली, कोटा	3000.00
2.	मो.आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद आबिद, जोधपुर,	2000.00
3.	मुख्तयार अली पुत्र श्री मुश्ताक अहमद, जोधपुर	2000.00
4.	नदीम खां पुत्र श्री फखरूद्धीन, जयपुर	1000.00
5.	कु. अन्ना बानो पुत्री श्री असगर अली, हनुमानगढ़	1000.00
6.	अजहरूद्धीन पुत्र श्री बरकत अली, हनुमानगढ़	1000:00
7.	मोहम्मद अली पुत्र श्री मोहम्मद इदरीस, झुन्झुनूं	1500.00
8.	सैय्यद वकी पुत्र श्री सैय्यद रफी अहमद, जयपुर	1000.00
9.	इकबाल खान पुत्र श्री बशीर खां, भरतपुर	1000.00
10.	मुकदर अहमद पुत्र श्री अ.गफ्फार छीपा बडौदा, बारां	1000.00
11.	फारूक अली पुत्र श्री मुख्तयार अली, बीकानेर	1000.00
12.	फरकान अकरम पुत्र श्री तसलीम अहमद, बीकानेर	500.00
13.	शाहीद पुत्र श्री शहजाद खां, बीकानेर	1000.00
14.	गुलजार अली पुत्र श्री मोहम्मद ईस्माइल, बीकानेर	500.00
15.	कु. सरवत बानो पुत्री श्री आबिद हुसैन, बीकानेर	500.00
16.	सैय्यद मिर्जा पुत्र श्री अख्तर मिर्जा, बीकानेर	500.00
17.	कु. अजरा परवीन पुत्री श्री सिराजुद्धीन, टोंक	500.00
18.	कु. अन्दलीब कोसर पुत्री श्री मो. रफीक अंसारी, जयपुर	500.00
19.	कु. सबिया बानो पुत्री श्री अब्दुल रशीद, जयपुर	500.00
20.	कु. नाजमा परवीन पुत्री सादूद्धीन, जयपुर	500.00
21.	मोहम्मद तारीक पुत्र श्री मोहम्मद असलम, जयपुर	500.00
22.	कु. जीनत परवीन पुत्री श्री मोहम्मद साबिर, जयपुर	500.00
23.	कु. जैनब परवीन पुत्री श्री मो. यासिफ, जयपुर	500.00
24.	शोऐब अहमद पुत्र श्री कयामुद्धीन	500.00

1	2	3
25.	मोहम्मद कासीम पुत्र श्री सलीम, जयपुर	500.00
26.	अब्दुल जब्बार पुत्र श्री अब्दुल सत्तार, जयपुर	500.00
27.	मोहम्मद इमरान पुत्र श्री इश्त्याक अहमद, जयपुर	500.00
28.	तब्बसुम फातमा पुत्री श्री मोहम्मद सफवान, जयपुर	500.00
29.	फाखेरा परवीन पुत्री श्री फैयाज अहमद	500.00
30.	अब्दुल हमीद पुत्र श्री मोहम्मद रमजान, जयपुर	500.00
31.	मोहम्मद असलम पुत्र श्री मो. यूसूफ, जयपुर	500.00
32.	कु. आयशा परवीन पुत्र श्री मोहम्मद अनीस, जयपुर	500.00
33.	नाहिद अख्तर पुत्र श्री मोहम्मद अयुब, जयपुर	500.00
34.	मशकूर आलम पुत्र श्री इस्लामुद्धीन, जयपुर	500.00
35.	मोहम्मद इमरान पुत्र श्री अब्दुल हकीम, जयपुर	500.00
36.	इशरत जहां पुत्री श्री आरिज मोहम्मद, जयपुर	500.00
37.	मेहनाज परवीन पुत्री श्री अब्दुल हई, जयपुर	500.00
38.	मोहम्मद अदनान पुत्र श्री अब्दुल मजीब, जयपुर	500.00
39.	कुमारी हसीना बानो पुत्री श्री ईद मोहम्मद, जयपुर	500.00
40.	रुबीना परवीन पुत्री श्री मोहम्मद असलम, जयपुर	500.00
41.	मोहम्मद शाहिद पुत्र श्री मोहम्मद उमर, जयपुर	500.00
42.	मोहम्मद आबिद पुत्र श्री अब्दुल सलाम, जयपुर	500.00
43.	कु. उजमा परवीन पुत्री श्री असरार अहमद, जयपुर	500.00
44.	मोहम्मद इमरान पुत्र श्री कमल खां, अलवर	500.00
45.	याकूब खां पुत्र श्री हनीफ, अलवर	500.00
46.	लियाकत अली पुत्र श्री हमीद खां, अलवर	500.00
47.	अब्बास अली पुत्र श्री हमीद खां, अलवर	500.00
48.	ताहिर खां पुत्र श्री इब्राहीम खां, अलवर	500.00
49.	आसम पुत्र श्री हस्ती मा., अलवर	500.00
50.	उमर मोहम्मद पुत्र श्री हनीफ, अलवर	500.00

1	2	3
51.	मोहम्मद तैयब पुत्र श्री सरदार खां, अलवर	500.00
52.	जान मोहम्मद पुत्र श्री फतेह मोहम्मद, अलवर	1000.00
53.	सुमरदीन पुत्र श्री अनवर खां, अलवर	1000.00
54.	इब्राहिम पुत्र श्री सर खान, अलवर	1000.00
55.	जमील खां पुत्र श्री आसीन खां, अलवर	1000.00
56.	शरीफ खान पुत्र श्री आसीन खां, अलवर	1000.00
57.	मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मिट्ठू खां, अलवर	1000.00
58.	बशीर खां पुत्र श्री नसीब खां, अलवर	1000.00
	योग :	43000.00

परिशिष्ट "2"

वर्ष 1995 से इमाम/मोअज्जिन को दिये जा रहे महाना मुशाहिरे का विवरण

क्र.सं.	इमाम/मोअज्जिन का नाम	राशि (प्रतिमाह)
1	2	3
1.	सईद अहमद इमाम बाग नवाब कल्लन, जयपुर	1200.00
2.	श्री मोहम्मद नूरूल इस्लाम मुअज्जिन, जयपुर	1000.00
3.	श्री रजीउल्ला इमाम मस्जिद मुमताज बाग, जयपुर	900.00
4.	श्री अयूब खां मुअज्जिन मस्जिद मुमताज बाग, जयपुर	400.00
5.	श्री मोहम्मद अयूब मदरसा मस्जिद, चाबुक सवारान, जयपुर	400.00
6.	श्री जफरूल हसन इमाम मस्जिद हकीमान, जयपुर	500.00
7.	श्री हसन खान मस्जिद नगलि, अलवर	500.00
8.	श्री मोहम्मद रफी इमाम खरबूजा मण्डी, जयपुर	300.00
9.	श्री मोहम्मद इस्लाम निगरा दरगाह अलीशाह, जयपुर	100.00
10.	श्री हाजी मोहम्मद अनील इमाम आजम नगर, चाकसू, जयपुर	500.00
11.	श्री मोहम्मद जकरिया इमाम मस्जिद, रामनगर, जयपुर	500.00
12.	श्री इनामुलहक मस्जिद, पीलखाना, जयपुर	500.00
13.	श्री काजी अब्दुल वहीद इमाम, जामा मस्जिद, शाहपुरा	500.00

1	2	3
14.	श्री-रऊफ रहमान इमाम मस्जिद शाहपुरा, जयपुर	500.00
15.	काजी कमरूर्रहमान मस्जिद दरगाह पालवाली (मनोहरपुर)	500.00
16.	श्री काजी अब्दुल हमीद, जामा मस्जिद अमरसर, जयपुर	500.00
17.	श्री काजी फजलुर्रहमान इमाम मस्जिद, शाहपुरा, जयपुर	500.00
18.	श्री मो. अलीशेर मोहल्ला इमाम नगर, सवाईमाधोपुर	500.00
19.	श्री वफात मुअज्जिन मस्जिद, चौथ का बरवाड़ा	600.00
20.	श्री शफी मोहम्मद इमाम मस्जिद, नंगली, अलवर	400.00
21.	श्री नसीरूद्दीन जामा मस्जिद, मुबारकपुर	400.00
22.	श्री मोहम्मद इलायास इमाम मस्जिद, पापड़ी	500.00
23.	श्री बाबू खां मुअज्जिन नंगली, अलवर	300.00
24.	श्री हबीबुल्लाह इमाम मस्जिद किथूर, अलवर	300.00
25.	श्री कारी मो.इलियास कुम्हेर गेट, भरतपुर	500.00

परिशिष्ट "3"

राजस्थान वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान का विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	बकाया वेतन
1	2	3
1.	श्री अताउर्रहमान	53,624/-
2.	श्री मिर्जा अनवर बैग	779/-
3.	श्री सगीर अहमद	25,820/-
4.	श्री नसीरूद्दीन	29,920/-
5.	श्री इकबाल खान	60,480/-
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	61,080/-
7.	श्री अनीस मोहम्मद	61,080/-
8.	श्री रइस खान	51,520/-
9.	श्री जगन्नाथ पुरी	20,438/-
10.	श्री मोहम्मद दीन शेख	51,520/-
11.	श्री काजी रफीक अहमद	41,260/-

1	2	3
12,	श्री तुराबुद्दीन	63,931/-
13.	श्री रतन लाल टेलर	46,745/-
14.	श्री मोहम्मद इस्माइल	44,140/-
15.	श्रीमती निशा माथुर	27,240/-
16.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	8,476/-
17.	श्री मतलूब अहमद	38,410/-
18.	श्री मोहम्मद सिराज	निलम्बित
19.	श्री रइस उस्मानी	11,042/-
20.	श्री मोहम्मद इसहाक	23,930/-
21.	श्री आरिफ हुसैन	1,206/-
22.	श्री शाहिद मियां	22,674/-
23.	श्री पारस कुमार जैन	27,600/-
24.	श्री नियाज अहमद	20,608/-
25.	श्री आसिफ इकबाल	26,570/-
26.	श्री खलील अहमद	30,200/-
27.	श्री आसिफ खान	28,895/-
28.	श्री चौथमल सैनी	31,275/-
29.	श्री मोहम्मद रफीक	30,570/-
30.	श्री उबेदुर्रहमान	27,290/-
31.	श्री तफहीम अहमद	19,540/-
32.	श्री अय्यूब खांन	26,685/-
33.	श्री रइस मोहम्मद	निलम्बित
34.	श्री अब्दुल शकूर	27,290/-
35.	श्री सयैद इकरामुल्हक	निलम्बित
36.	श्री फरीद खान	11,820/-

निजी संस्थाओं के माध्यम से आयोजित उत्सव

559. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पयर्टन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर किन-किन स्थानों पर पर्यटन मेलों या समारोहों का आयोजना किया जाता है और उक्त पर कितना व्यय होता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गुजरात प्रदेश में आये भयंकर भूकम्पों से हुई हानि को लेकर मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि इस वर्ष पर्यटन विभाग प्रदेश स्तर या किसी भी प्रकार के उत्सव आयोजित नहीं करेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि फरवरी, 2001 के जैसलमेर में होने वाले उत्सव को इसीलिये रद्द किया गया था? यदि नहीं, तो क्या कारण थे?

(4) क्या पर्यटन विभाग उक्त समारोहों को निजी संस्थाओं के माध्यम से भी करवा सकती है? यदि हां, तो इनके क्या-क्या नियम हैं?

(5) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर में एक निजी संस्था के माध्यम से 50,000/- का अनुदान देकर वहां पर उत्सव का आयोजन कराया गया? यदि हां, तो उक्त संस्था के आयोजक कौन-कौन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि पर्यटन विभाग उक्त प्रकार की निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें अनुदान भी देगी?

(7) क्या पर्यटन विभाग में निजी संस्थाओं को उक्त प्रकार का अनुदान देने के कोई नियम है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 में आयोजित मेले, त्यौहारों एवं उन पर हुए व्यय की सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं। केवल मरू समारोह, जैसलमेर, 2001 को आयोजित नहीं किये जाने की घोषणा की थी।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इस हेतु राजस्थान पर्यटन सहायतार्थ अनुदान नियम, 1998 बनाये हुए है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा रणथम्भौर टाइगर मेले, सवाईमाधोपुर (15-19 फरवरी-2000) के आयोजक रणथम्भौर हेरिटेज सोसाइटी, सवाईमाधोपुर को रुपये 75,000/- का अनुदान स्वीकृत किया था। बजट अभाव के कारण आदिनांक (1-5-2001) तक राशि का वितरण नहीं किया गया है।

(6) यदि निजी संस्थाएं बिन्दु संख्या-4 में वर्णित नियमों के तहत आवेदन करेंगी, तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(7) नियमों की प्रति परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट "क"

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 में आयोजित मेले, त्यौहारों एवं उन पर हुए व्यय की सूचना

क्र. सं.	मेले/त्यौहार का नाम	स्थान	दिनांक	व्यय राशि रु.
1	2	3	4	5
1.	गणगौर मेला	जयपुर	7-8 अप्रेल, 2000	48000.00
2.	मेवाड़ समारोह	उदयपुर	7-8 अप्रेल, 2000	100000.00
3.	तीज मेला	जयपुर	2-3 अगस्त, 2000	50000.00
4.	कजली तीज बून्दी	बून्दी	17-18 अगस्त, 2000	41238.00
5.	मारवाड़ समारोह	जोधपुर	12-13 अक्टूबर, 2000	50000.00
6.	पुष्कर मेला	पुष्कर (अजमेर)	6-11 नवम्बर, 2000	322271.00
7.	बून्दी उत्सव	बून्दी	13-14 नवम्बर, 2000	50000.00
8.	ऊंट समारोह	बीकानेर	8-9 जनवरी, 2001	150000.00
9.	मरू समारोह	जैसलमेर	6-8 फरवरी, 2001	42407.00 निरस्त करने से पूर्व किया गया व्यय।
10.	हाथी समारोह	जयपुर	9 मार्च, 2001	220047.00
11.	राज्य सम्मेलन	जयपुर	8 अप्रैल, 2000	7850.00
12.	पाकिस्तान वुमैन डेलीगेशन टीम की जयपुर यात्रा	जयपुर	6-7 मई, 2000	13860.00
13.	एयर आफिसर कमांडिंग इन चीफ के स्वागतार्थ (ऐयर फोर्स)	जयपुर	18 अप्रेल, 2000	7040.00
14.	स्पीक मैके द्वारा आयोजित राज्य सम्मेलन	जयपुर	23 जुलाई, 2000	1320.00
15.	शहीद दिवस स्मारक	जयपुर	26 जुलाई, 2000	660.00
16.	वर्ल्ड कप पोलो मैच	जयपुर	24 सितम्बर, 2000	40950.00

1	2	3	4	5
17.	संसदीय समिति स्वागतार्थ	जयपुर	8 नवम्बर, 2000	19958.00
18.	राजस्थान दिवस (IITF)	दिल्ली	26 नवम्बर, 2000	66310.00
19.	इंडियन ऐयर लाइन्स मीट	जैसलमेर	29 नवम्बर, 2000	10250.00
20.	मांड कला मेला	नगर फोर्ट (टोंक)	2000	6200.00
21.	जर्मन मैजिक शो	जयपुर	16 दिसम्बर, 2000	1900.00
22.	जर्मन मैजिक शो	जोधपुर	17 दिसम्बर, 2000	5760.00
23.	राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेन्ट	जयपुर	18 दिसम्बर, 2000	13840.00
24.	शेखावटी समारोह	झुंझुंनू	7-14 जनवरी, 2001	35900.00
25.	विश्व बैंक अध्यक्ष की यात्रा	जैसलमेर	12-13 नवम्बर, 2000	50000.00
26.	फूलवालों की सैर	नई दिल्ली	15 अगस्त, 2000	2500.00
27.	बृज समारोह मिलन	जयपुर	8 जनवरी, 2001	6600.00
28.	अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा	जयपुर	21-23 मार्च, 2000	68800.00
29.	गणगौर मेला	जयपुर	28-29 मार्च, 2001	50000.00
30.	मेवाड़ समारोह	उदयपुर	28-29 मार्च, 2001	75000.00
31.	डब्ल्यू टी टी सी अध्यक्ष की यात्रा हेतु कार्यक्रम	जयपुर	15 मार्च, 2001	10926.00
32.	आभानेरी मेला	आभानेरी (दौसा)	1 अप्रेल, 2001	20000.00
			कुल योग	1589587.00

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग कोटा द्वारा गलत संविदा करार से हुई राजस्व हानि की जांच

560. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महालेखाकार ने वर्ष 1998-99 की रिपोर्ट में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कोटा में जल प्रभार का दावा प्रस्तुत न करने के कारण राजकीय राजस्व की हानि हुई है? यदि हां, तो कुल कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राजस्व की हानि गलत ढंग से संविदा करार होने के कारण हुई हैं? क्या उक्त संबंध में पैरा बनाया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन अधिकारी दोषी है और अब तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त राजस्व वसूली की कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। महालेखाकार ने वर्ष 1998-99 की रिपोर्ट में दिनांक 16.12.1991 से दिनांक 31.3.1991 तक की अवधि का काल्पनिक जल प्रभार मानकर राजस्व राशि की हानि होने का उल्लेख किया है, जबकि वास्तविक जल उपयोग दिनांक 1.4.1993 से किया जाने के कारण जल प्रभार का दावा उसके पश्चात् से ही किया जाना था। काल्पनिक जल प्रभार से कुल 152.42 लाख रुपये की राजस्व राशि की हानि बताई गई है।

(2) जी नहीं। निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त संबंध में प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के अनुसार एक पैरा बनाया गया है एवं उक्त उत्तर के अनुसार काल्पनिक राजस्व हानि के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न के भाग (1) में दिये गये उत्तर को देखते हुए कोई वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

शाहबाद (बारां) में महाविद्यालय की स्थापना

561. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद (बारां) में कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। विभाग की वार्षिक योजना 2001-2002 में महाविद्यालय खोलने हेतु प्रावधान नहीं है। अतः शाहबाद (बारां) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम मन्डला (कोटा) का नकली खाद प्रकरण

562. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हेमन्त कुमार)

(1) क्या जिला कोटा में नकली खाद प्रकरण पंचायत समिति-सुलतानपुर के मन्डला ग्राम में हुआ था? क्या उक्त प्रकरण की जांच सरकार द्वारा कराई गई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(2) उक्त जांच में कौन कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच की रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कोटा में नकली खाद की शिकायत पंचायत समिति-सुल्तानपुर के मूंडला ग्राम की प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच तत्कालीन जिला विस्तार अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा की गई।

(2) तत्कालीन जिला विस्तार अधिकारी, सी.ए.डी., सुल्तानपुर ने जांच मे मैसर्स जैन फर्टीलाइजर्स, मूंडला को दोषी मानते हुए उर्वरक अनुज्ञा पत्र निलम्बित कर खाद का नमूना राजकीय प्रयोगशाला, को परीक्षण हेतु भिजवाया था, परन्तु प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में नमूना मानक पाये जाने के कारण खाद विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्यवाही संभव नहीं हो पाई। उक्त फर्म का अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं होने से वर्तमान में यह फर्म अस्तित्व में नहीं है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। जिला विस्तार अधिकारी के समक्ष कृषकों द्वारा दिनांक 29.3.1998 को भरवाये गये डी.ए.पी. खाद का नमूना (इच्छा सैम्पल) जो कि कृषकों द्वारा उनके स्वयं के द्वारा केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद भिजवाया गया था, रिपोर्ट में यह नमूना अमानक पाया गया। इससे पूर्व दिनांक 27.3.1998 को संबंधित क्षेत्र के कृषकों द्वारा श्री जैन फर्टिलाइजर, मूंडला के विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी। सभी आरोपियों के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय में 3.3.1999 को चालान पेश किया जा चुका है। उक्त नमूना कृषकों द्वारा लिए जाने के कारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में कार्यवाही संभव नहीं थी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जांच शुल्क जमा कराने हेतु पृथक काउण्टर की व्यवस्था

563. श्री रामस्वरुप (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती चल रहे मरीजों एवं आउटडोर मरीजों की विभिन्न डाक्टरी जांच शुल्क जमा कराने के लिये काफी संख्या में लम्बी-लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रवृत्ति में सुधार करने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अव्यवस्था के चलते अस्पताल कर्मी अपने परिचितों की मदद करने के लिये रसीद कटाते हैं? क्या इससे अव्यवस्था फैलती है? क्या

(श्री रामस्वरूप)

सरकार उक्त प्रथा को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अव्यवस्था के चलते गम्भीर बीमार व्यक्ति को कम से कम आधा दिन तो रसीद कटाने में एवं आधा दिन जांच की लाइनों में खड़ा होने में व्यतीत हो जाता है? यदि हां,तो इससे निजात दिलाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि मरीजों की जांच एवं एक्सरे आदि लेने में (रिपोर्ट) लम्बी लम्बी लाइनों में इन्तजार करना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त घोर अव्यवस्था को दूर करने के लिये आउटडोर मरीज एवं भर्ती मरीजों के लिये पृथक-पृथक काउण्टर एवं एक से अधिक काउण्टर बनाकर मरीजों को तत्काल सेवा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में केन्द्रीय प्रयोगशाला की जांच व अन्य जांच के लिए कतारों की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय प्रयोगशाला में कतारों की लम्बाई कम करने के उद्देश्य से कम्प्यूटरों की संख्या चार से बढ़ाकर आठ कर दी गई है।

(2) जी, नहीं। अस्पताल कर्मियों को भी अपने परिवारिक सदस्यों व अन्य परिचितों की जांच कराने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(3) जी, नहीं। विभिन्न प्रकार की जांच कराने की व्यवस्था अलग-अलग काउण्टरों पर है। केन्द्रीय प्रयोगशाला में समय कम लगे इस हेतु कम्प्यूटरों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(4) जी, नहीं। विभिन्न जांचों के लिए जिस प्रकार अलग-अलग काउण्टरों की व्यवस्था है, उसी प्रकार जांच परिणाम देने हेतु भी उन्हीं काउण्टरों को प्रयोग में लाया जाता है।

(5) जी, हां। केन्द्रीय प्रयोगशाला का कार्य अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए कम्प्यूटरों की संख्या में चार की वृद्धि कर दी गई है।

इंदिरा गांधी नहर की वितरिका से टिब्रा व कलरा माइनर

564. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर की सादा वितरिका से टिब्रा व कलरा माइनर निकाली है और उसके आगे टुली तथा बी. के. एस. माइनर निकाली गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सिस्टम में दो हजार काश्तकारों को भूमि आबंटित हो चुकी है, जिन्हें आज तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है?

(3) क्या यह सही है कि क़लरा की 14 आर.डी. के आगे पानी का प्रवाह जाना असम्भव है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(4) क्या उक्त निर्माण कार्य त्रुटिपूर्ण है ? क्या उक्त में सरकार निर्माणकर्ता दोषी कर्मचारियों को बचाने का प्रयत्न कर रही है ?

(5) क्या सरकार उक्त सारे सिस्टम को दूसरी माइनर से जोड़ कर काश्तकारों को सिंचाई सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है।

(2) इस सिस्टम पर 2922 काश्तकारों को भूमि आबंटित हुई है। परन्तु इस सिस्टम पर जिन काश्तकारों को भूमि आबंटित हो चुकी है और आबाद है, उन सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है।

(3) जी, नहीं। कलरा माइनर की बुर्जी 14 एवं उससे आगे पानी का प्रवाह सम्भव है।

(4) कलरा माइनर का निर्माण कार्य एक स्थान पर त्रुटिपूर्ण है। इस नहर के निर्माण की विस्तृत जांच की जा चुकी है एवं जांचोपरांत मात्र एक स्थान पर ही त्रुटि पाई गई है। त्रुटि को ठीक करने की कार्यवाही प्रगति पर है। पाइ गई त्रुटि के लिए दोषी पाये जाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विभाग किसी दोषी कर्मचारी को बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है।

(5) जी, नहीं। इस सिस्टम को दूसरी माइनर से पानी देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य में रही त्रुटियों को ठीक कर वर्तमान प्रणाली से ही पानी दिया जाता रहेगा।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की विचाराधीन लघु सिंचाई योजनाएं

565. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

लघु सिंचाई योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र चौरासी के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं एवं अब तक इनके निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

लघु सिंचाई परियोजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अन्तर्गत अमरपुरा लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के लिये रुपये 1397.33 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर नाबार्ड V के पोषित कार्यक्रम के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

विद्यालय क्रमोन्नति में निर्धारित मानदण्डों की पालना

566. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में कुल कितनी प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में, उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया है ?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(2) क्या उक्त शालाओं को क्रमोन्नत करने में राज्य सरकार ने कोई मानदण्ड/आधार बनाये थे? यदि हां, तो ऐसे मानदण्ड/आधारों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में ऐसे कितने विधान सभा क्षेत्र हैं जहां उक्त वर्णित शालाओं में कोई भी शाला क्रमोन्नत नहीं की गई?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2000-2001 में 1000 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में तथा 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) विद्यालय क्रमोन्नत करते समय राज्य सरकार द्वारा ग्राम की जनसंख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, अंतिम कक्षा की विद्यार्थी संख्या, फीडर विद्यालय, क्षेत्र की आवश्यकता, जन प्रतिनिधियों की मांग एवं उपलब्ध बजट आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(3) प्रदेश में केवल दो विधान सभा क्षेत्र ऐसे है जहां एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र नैनवां के भू-संरक्षण कार्यों में अनियमितता की जांच

567. श्री प्रभुलाल (नैनवां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां के कितने ग्रामों में गत पांच वर्षों से भू-संरक्षण के कितने कार्य चल रहे हैं?

(2) उक्त गांवों में कितने कार्य हुए हैं एवं उसके लिये स्वीकृत राशि क्या थी और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं? क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां के 28 गांवों में गत 5 वर्षों में भू-संरक्षण के कुल 10 कार्य विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत हुए है, जिनमें से 3 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 7 कार्य प्रगति पर है। योजनावार व ग्रामवार कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त ग्रामों में भू-संरक्षण के कुल स्वीकृत 10 कार्यों हेतु रूपये 276.16 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसके विरुद्ध रुपये 143.90 लाख की राशि व्यय की गई है। कार्यवार व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नैनवां के उक्त भू-संरक्षण कार्यों में कथित अनियमितताओं के संबंध में कुल 12 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है, जिनमें 4 का निस्तारण हो चुका है। शेष 8 शिकायतों की जांच/तथ्यात्मक रिपोर्ट आना शेष है। रिपोर्ट आने पर यदि अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

क्रं. सं.	नाम जलग्रहण क्षेत्र	योजना का नाम	ग्राम का नाम	वर्ष	कार्य की स्थिति
1.	बम्बूली	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना	रजलावता, समरावता, कचरावता, भावपुरा, खासपुरा, अरणीया, गम्भीरी, बम्बूली	1991-92 से 1996-97	पूर्ण
2.	बामनगांव	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना	बामनगांव, लालगंज, भौमपुरा, बागेड़ा	1997-98 से 2000-2001	अपूर्ण
3.	फुलेता ए	सुनिश्चित रोजगार योजना	पाई, मैणा, मानपूरा	1996-97 से 2000-2001	अपूर्ण
4.	फुलेता बी	सुनिश्चित रोजगार योजना	फुलेता, दीपों का डेरा	1996-97 से 2000-2001	अपूर्ण
5.	फुलेता सी	सुनिश्चित रोजगार योजना	बालापुरा, तुलसीपुरा, भजमेरी, चिता की झौपड़िया	1996-97 से 2000-2001	अर्पूण
6.	फुलेता डी	सुनिश्चित रोजगार योजना	डौकुन, भजनेरी, जगमुंडा, चिता की झौपड़िया	1996-97से 2000-2001	अपूर्ण
7.	फुलेता ई	सुनिश्चित रोजगार योजना	नाथडी, गुरजणियां	1996-97 से 2000-2001	अपूर्ण
8.	चन्दनपुरा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना	चन्दनपुरा	1994-95	अपूर्ण
9.	अर्जनपुरा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना	अर्जुनपुरा	1994-95	पूर्ण
10.	कोलाहेड़ा एनीकट	जीवनधारा योजना	कोलाहेड़ा	1994-95	पूर्ण

परिशिष्ट "ब"

क्रं. सं.	नाम जलग्रहण क्षेत्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	ग्राम का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
1.	बम्बूली	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना	65.96	रजलावता	0.00
				समरावता	0.00
				कचरावता	0.00
				भावपुरा	0.04
				खासपुरा	0.00
				अरनिया	0.00
				गम्भीरी	0.00
				बम्बूली	0.00
2.	बामनगांव	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना	105.00	बामनगांव	12.00
				लालगंज	20.35
				भौमपुरा	8.00
				बागेडा	12.00
3.	फुलेता ए	सुनिश्चित रोजगार योजना	20.00	पाई	10.79
				मैंणा	6.00
				मानपूरा	1.00
4.	फुलेता बी	सुनिश्चित रोजगार योजना	14.36	फुलेता	6.00
				दीपों का डेरा	5.78
5.	फुलेता सी	सुनिश्चित रोजगार योजना	20.00	बालापुरा	6.00
				तुलसीपुरा	5.00
				भजनेरी	3.00
				चिता की झौपड़ियां	3.74
6.	फुलेता डी	सुनिश्चित रोजगार योजना	20.00	डौकुन	8.50
				भजनेरी	6.00
				चिता की झौपड़ियां	2.72
				जगमुंडा	1.00
7.	फुलेता ई	सुनिश्चित रोजगार योजना	20. 00	नाथड़ी	8.50
				गुरजणियां	6.14
8.	चन्दनपुरा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना	3.57	चन्दनपुरा	2.72
9.	अर्जुनपुरा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना	4.09	अर्जुनपुरा	5.00
10.	कोलाहेडा एनीकट	जीवनधारा योजना	3.18	कोलाहेड़ा	3.62
		कुल :	276.16		143.90

राज्य में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन

568. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने परिवार नियोजन के लिये अब तक क्या-क्या कदम प्रोत्साहन के उठाये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय सेवाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को न अपनाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कानून बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दस वर्षों में सरकार ने उक्त कार्यक्रम में कितनी सफलता प्राप्त की है ?

(4) क्या ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा उनसे संबंधित उक्त कानून का परिपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान परिवार नियोजन के कार्यक्रम भी प्रगति में देश के सभी प्रदेशों से पीछे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक उठाये गये कदमों का विवरण "परिशिष्ट-क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां, राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। अंतिम निर्णय लिया जाकर नियमों में संशोधन जारी किया जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा परिशिष्ट-"ख" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं।

परिशिष्ट "क"

राज्य सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक उठाये गये कदमों का विवरण

1. विभिन्न श्रेणी के राज्य कर्मियों, स्वैच्छिक, संस्थानों, सामाजिक संगठनों/समूहों को श्रेष्ठ उपलब्धि हेतु पुरस्कार राशि व योग्यता प्रमाण-पत्र राज्य/जिला स्तर पर प्रदान किये जाते हैं।
2. पंचायती राज संस्थाओं/नगरपालिकाओं में प्रतिनिधियों के दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव के लिए अयोग्यता का प्रावधान किया गया है।
3. राज्य सरकार दो संतानों के बाद नसबन्दी कराने पर जीवनकाल में पुत्र की मृत्यु के कारण अथवा दो लड़कियां होने की स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुविधा प्रदान कराने के लिए 150/- रुपये प्रतिमाह परिवार कल्याण पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
4. विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है।
5. 6 अक्टूबर, 2000 को विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित कर दो बच्चों की अवधारणा को लागू करने के निश्चय को दोहराया गया।

परिशिष्ट-ख

राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा

वर्ष	नसबन्दी	आईयूडी	निरोध उपयोगकर्ता	ओ. पी. उपयोगकर्ता
1991-92	173309	158648	375524	60225
1992-93	198152	178744	390887	47491
1993-94	203017	169577	512237	90335
1994-95	203118	156060	475272	92268
1995-96	168245	168239	519048	125230
1996-97	200711	204765	722682	204283
1997-98	224140	224100	869431	313664
1998-99	229019	234629	995378	374280
1999-2000	226272	238720	963802	426787
2000-2001	268396	240436	466714	395154

जिला धौलपुर की सुतुरखाना नजूल सम्पत्ति पर अतिक्रमण

569. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में कौन-कौन सी कहां-कहां नजूल सम्पतियां हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सुतुरखाना धौलपुर नजूल सम्पत्ति है ? यदि हां, तो उक्त पर किन-किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सुतुरखाना लाखों रु. की सम्पति है जिस पर कई व्यक्तियों ने दुकान बना कर किराये पर दे रखी है ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणियों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त सम्पति पर अतिक्रमण की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा सरकार को समय पर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां,तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में धौलपुर उप खण्ड में 53 नजूल सम्पतियां है तथा वाड़ी उप

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

खण्ड में 45 नजूल सम्पपियां हैं सूची संलग्न है।

(2) सूची में सुतुरखाना नजूल सम्पति का नाम नहीं है।

(3) सूची में सुतुरखाना नजूल सम्पति का नाम नहीं है।

(4) जी, नहीं। तथाकथित सम्पति सुतुरखाना के बारे में किसी प्रकार की अतिक्रमण संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सा. नि. वि. खण्ड धौलपुर नज़ूल सम्पति की सूची

1. पुराना शफाखाना पीर गली की सराय, धौलपुर।
2. कलार वाली हवेली कसाई पाड़ा, धौलपुर।
3. ताशवाली हवेली, कसाई पाड़ा, धौलपुर।
4. भतक्ष्यिार घर पुरानी सराय, धौलपुर।
5. बन्द गोख फूटा दरवाजा धौलपुर।
6. दुकान मय जीना कुम्हार पाड़ा, धौलपुर।
7. पठान वाली हवेली पटपरा धौलपुर।
8. पठान वाली हवेली पटपरा धौलपुर।
9. बाग राधा बिहारी जी मय कुआ राधा बिहारी धौलपुर।
10. राधा बिहारी कम्पाउन्ड राधा बिहारी धौलपुर (खेलने का मैदान)।
11. राधा बिहारी प्राइवेट आफिस राधा बिहारी धौलपुर।
12. पुरानी सराय पुरानी सराय धौलपुर।
13. पुराने महन्त साहब निहालगंज चौकी धौलपुर।
14. मकान कवीला अमरु खां, धौलपुर।
15. दुकान नायक वाली गैस अन्त चौकी के पास, धौलपुर।
16. सिकारवाग धौलपुर।
17. बाड़ा हैबर साहब धौलपुर।
18. बाग भवा साहब धौलपुर।
19. तवेला धौलपुर।
20. रथखाना धौलपुरा।
21. गडरपुरा, रोड, धौलपुर।
22. खज़ाने के पीछे, धौलपुर।
23. बाड़ा नबाब साहब धौलपुर (आवास, स्कूल)।

24. सन्तर रोड, धौलपुर (आवास)।
25. नरसिंह बाग, धौलपुर।
26. धूलकोट छापाखाना धौलपुर।
27. कचहरी आहता पुरानी कचहरी के पास, धौलपुर।
28. चौपड़ा जीटी रोड, धौलपुर।
29. मकान सरस्वती कला नानासाहब का बाड़ा, धौलपुर।
30. पुरानी तहसील बाग मोदी जी पुरानी तहसील, धौलपुर।
31. शेरगढ़ किला धौलपुर।
32. काजीवाली हवेली कच्ची कुई, धौलपुर।
33. मकान आबकारी शहर, धौलपुर।
34. संस्कृत विद्यालय, धौलपुर (विद्यालय, कार्यालय)।
35. कटघर, जुवली हाल के पास, धौलपुर।
36. राजधर की हवेली पुरानी छावनी धौलपुर।
37. कुत्ता खाना पुरानी छावनी धौलपुर।
38. रामसहाय की हवेली पुरानी छावनी धौलपुर।
39. अस्तबल, पुरानी छावनी धौलपुर।
40. डयोढी गंगाजी पुरानी छावनी धौलपुर।
41. बाड़ा लल्लू रामरतन पुरानी छावनी धौलपुर।
42. हवेली विजो किसान, पुरानी छावनी धौलपुर।
43. दरवाजा नोबत खाना, धौलपुर। पुरानी छावनी धौलपुर।
44. दरवाजा व जानिम पश्चिम पुरानी छावनी धौलपुर।
45. तिवरिया सैयद पुरानी छावनी धौलपुर।
46. दर पक्का चौपड़ा पुरानी छावनी धौलपुर।
47. मकान हज मुख्याम मनियां।
48. आराजी निजूल (जगह)।
49. चार दीवारी पुरानी तहसील मनियां (आवास)।
50. मकान टीकाराम मनियां (आवास)।
51. मकान मोतीराम भोई मनियां।
52. मकान खाम कृपा का पुरा धौलपुर।
53. मकान खास जाटोली।

ह०/-
अधिशासी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण खण्ड, धौलपुर

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड बाड़ी धौलपुर

नजूल सम्पत्ति की सूची

तहसील सम्पति बाड़ी

1. सहमत खां रहमत खां खण्डे की यथाई बाड़ी
2. भोले सामालिया समाधियां पाड़ा बाड़ी
3. हवेली छत्तर बिहारी बाड़ी
4. मुसम्मत हमातों मुलकपाड़ा बाड़ी
5. हाजी खां किरी बाड़ी
6. मंगल खां छीते वाला किरी बाड़ी
7. बावड़ी मौ. गुम्मट बाड़ी
8. तवाइफ वाला मलक पाड़ा बाड़ी
9. श्री वाली तिवारिया बाड़ी
10. श्री वक्शी व वक्फ कोट बाड़ी
11. फरसा अहिरान मौ. फरसा बाड़ी
12. छतरी हनुमान जी पचौरी पाड़ा बाड़ी
13. छतरी महादेव जी पचौरी पाड़ा बाड़ी
14. मंगल खां बाड़ी किरी बाड़ी
15. काजी मोहम्मद काज पाड़ा बाड़ी
16. खालसा सरकार बनिया पाड़ा बाड़ी
17. मोती चौधरी छपेटी पाड़ा बाड़ी
18. आतिश खां किरी बाड़ी
19. शमशेर खां आमद खां गुम्मट बाड़ी
20. वशीर महम्मद गुम्मट बाड़ी
21. हयाती पठानी गुम्मट बाड़ी
22. मंगल खां वाला गुम्मट बाड़ी
23. पुत्ती पठानी गुम्मट बाड़ी
24. महराव खां गुम्मट बाड़ी

तहसील बसेड़ी में नजूल सम्पत्ति की सूची

1. तहसील भवन बसेड़ी
2. फेमली क्वाटर संख्या-1
3. फेमली क्वाटर संख्या-2
4. फेमली क्वाटर संख्या-3
5. फेमली क्वाटर संख्या-4
6. फेमली क्वाटर संख्या-5
7. फ़ेमली क्वाटर संख्या-6
8. तहसीलदार निवास बसेड़ी
9. श्री रोशन सिंह सहायक कर्मचारी के कब्जे में कोठरी
10. श्री गोरे सिंह वाहन चालक पशु चिकित्सालय-2 कोठरी
11. श्री क्षत्रपाल सिंह कम्पाउण्डर दो. कठोरी
12. श्री नटवर सिंह वरिशष्ठ लिपिक 1 कोठरी
13. श्री जगदीश प्रसाद विद्युत विभागं 2 कोठारी
14. श्री व्रहतुराज कनिष्ठ लिपिक 4 कोठरी
15. श्री मुन्ना लाल जीवन बीमा 2 कोठारी
16. श्री रामस्वरूप स्टाम्प वैण्डर 2 कोठारी
17. श्री तुलसी राम सहा. कर्म 3 कोठारी
18. पुलिस स्टेशन बसेड़ी
19. पंचायत समिति कार्यालय बसेड़ी जीर्ण अवस्था
20. सानिवि. उप खण्ड बसेड़ी
21. पशु चिकित्सालय बसेड़ी

अधिशासी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड बाड़ी (धौलपुर)

ग्राम आसोप (भीलवाड़ा) के भू-आबंटन की जांच

570. ड़ा. किरोड़ीलाल मीणा (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा के ग्राम आसोप में जून, 2000 को आबंटन समिति द्वारा भू आबंटन में की गई अनियमितताओं की जांच किस अधिकारी द्वारा किसके आदेश से की गई? उक्त जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में किस-किस को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के ग्राम आसोप में जून, 2000 को आबंटन समिति द्वारा भू-आबंटन में की गई अनियमितताओं की जांच जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेशानुसार श्री मूलचन्द मीणा, अतिरिक्त कलक्टर (विकास), भीलवाड़ा द्वारा की गई।

(2) अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास) भीलवाड़ा द्वारा की गई जांच के आधार पर पटवारी को निलम्बित किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा आबंटन सलाहकार समिति के अन्य सदस्य अधिकारियों के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर के प्रधान द्वारा की गई अनियमितताएं

571. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधान पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर ने चैक संख्या ए/6-35 से 42 तक एवं ए/6/44 से 52 तक के चैकों पर अलग-अलग प्रकार के हस्ताक्षर किये हैं? क्या उक्त चैक फर्जी प्रतीत होते हैं? क्या सरकार उक्त चैकों की जांच किसी (फिंगर प्रिंट) विशेषज्ञ से कराकर करोड़ों रुपये की अनियमितताओं का पर्दाफाश करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त प्रधान द्वारा एक समय में निजी आय से कितना व्यय किया जा सकता है? उक्त पंचायत समिति में निजी आय से वर्ष 2000-2001 में कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रधान द्वारा अधिकारों से अधिक राशि के चैकों पर हस्ताक्षर कर व्यय किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कार्यालय टिप्पणी पर प्रधान द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। चैक संख्या-ए/6-35 से 42 तक एवं ए/6-44 से 52 तक के चैकों पर अलग-अलग हस्ताक्षर नहीं है तथा हस्ताक्षर फर्जी भी नहीं हैं। कोषागार एवं बैंक द्वारा हस्ताक्षर मिलान के उपरान्त ही भुगतान किया है। चूंकि चैकों पर हस्ताक्षर फर्जी नहीं है, अतः फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ से जांच वांछित नहीं हैं।

(2) नियमानुसार पंचायत समिति की स्थाई समिति के अनुमोदन पश्चात् ही निजी आय से व्यय किया जा सकता है। वर्ष 2000-2001 में पंचायत समिति, कठूमर द्वारा निजी आय से 3,52,631/-रुपये का व्यय किया गया हैं।

(3) जी, नहीं। भुगतान/व्यय उपलब्ध बजट प्रावधानों की सीमा तक ही किया गया है।

(4) जी, नहीं। कार्यालय टिप्पणी पर प्रधान द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

अनुबंध का उल्लंघन करने वाली दवा क़म्पनियों के विरुद्ध क़ार्यवाही

572. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की दवा निर्माता कम्पनी हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड एवं बंगाल केमीकल के विरुद्ध राज्य सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब व क्या-क्या तथा किस-किस के द्वारा प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कंम्पनियों से मिलीभगत करके बाजार भाव से अधिक रेट पर दवाईयों को क्रय कर करोड़ों रुपये कि अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी लिप्त पाया गया और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त कम्पनियों से वापस वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विभाग के साथ किये गये अनुबंध का उल्लघंन करने पर सरकार द्वारा दोषी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमीकल्स, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स, बंगाल केमीकल्स और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां मैसर्स पेरेन्टल ड्रग्स इण्डिया लिमिटेड के पत्र दिनांक 12.4.1999 के द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के विरुद्ध एवं श्री संयम लोढ़ा विधायक के पत्र दिनांक 1.5.2000 के द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड एवं मैसर्स बंगाल केमिकल्स के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें फाल क्लाज के उल्लंघन का आरोप है। पत्रों की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त कम्पनियों के पक्ष में राज्य सरकार की क्रय नीति दिनांक 10.3.1988 एवं 6.2.1997 के अनुशरण में राजकीय उपक्रमों से निविदाएं आमंत्रित कर दर अनुमोदित की गई है। इसमें किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की कोई मिलीभगत नहीं है एवं न ही कोई अनियमितता की गई है।

(3) मैसर्स बंगाल केमिकल्स के विरुद्ध औषधि नियंत्रक की रिपोर्ट दिनांक 24.10.1996 के आधार पर जांच कराये जाने पर उनके विरुद्ध फाल क्लाज के उल्लघंन का कोई प्रकरण नहीं बना, इसलिए उनसे कोई रिकवरी नहीं बनती। मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि. के विरुद्ध जांच कराये जाने पर दर संविदा 91-1993 एवं 96-1998 में उनके डिस्ट्रीब्यूटर को अनुमोदित दर से कम दर पर माल बेचा जाना पाया गया। प्रकरण में विधि विभाग से राय लेने पर विधि विभाग ने इस प्रकार के क्रय को फाल क्लाज के उल्लघंन की श्रेणी में बताया है। इस क्रय में मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. को पत्र क्रमांक 542 दिनांक 18.6.2001 के द्वारा फाल क्लाज के उल्लघंन के कारण रुपये 11,23,205.70 की राशि, राशि कोष में जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है। जिसके क्रम में फर्म ने उनके पत्र दिनांक 25.6.2001 के द्वारा उनके बकाया बिलों में से उक्त राशि की कटौती करने हेतु सहमति दे दी है। तदनुसार कटौती की जा रही है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(4) विभाग के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार सभी अनुमोदित फर्मों को क्रय आदेशों पर सप्लाई देनी होती है। किसी फर्म द्वारा सप्लाई नहीं देने पर निविदा शर्तों के अनुसार रिस्क परचेच करने का प्रावधान है। रिस्क परचेच से होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली संबंधित फर्म से क्रयकर्ता अधिकारियों द्वारा की जाती है। मैसर्स महाराष्ट्र एंटी बायोटिक्स लि. के विरुद्ध रिस्क परचेच की राशि रुपये 8.10 लाख के पेटे रुपये 7,17,550/- वसूल कर राज्य कोष में जमा कराये जा चुके हैं। शेष राशि फर्म के बकाया बिलों में से की जा रही है। मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. के विरुद्ध रुपये 11,23,205.70 की वसूली के आदेश जारी करने पर फर्म ने बकाया बिलों में से राशि रिकवर करने हेतु सहमति दी है, जिसके अनुशरण में फर्म को बकाया बिलों में से राशि रिकवर करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। मैसर्स उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि. एवं मैसर्स बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. के विरुद्ध उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई रिकवरी बकाया नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला करौली की तहसील हिण्डौन के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

573. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली की तहसील क्षेत्र हिण्डौन में गत पांच वर्षों में किस-किस ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु जन प्रतिनिधियों ने कब-कब प्रस्ताव भिजवाये? उक्त प्रस्तावों पर अब तक सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त प्रस्तावों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला करौली की तहसील क्षेत्र हिण्डौन में गत पांच वर्षों में श्री शिवदयाल मीणा, जिला प्रमुख करौली द्वारा दिनांक 19.4.1999 को तथा श्री भरौसी लाल विधायक द्वारा दिनांक 26.4.2000 को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव भिजवाए गये। प्राप्त प्रस्तावों में से मिल्कीपुरा, दसाने का नाला, चमरपुरा, बंध का पुरा, कोटापुरा एवं हरी रामपुरा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना दिनांक 28.4.2001 को जारी की गई है। शेष प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्डानुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु सभी जिलाधीशों के साथ जिला कलक्टर करौली को भी प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिये गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ऐसे सभी मजरे/ढाणियों को निर्धारित मापदण्डानुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित होने योग्य है, के प्रस्ताव जिला कलक्टर, करौली से राज्य सरकार को प्राप्त होने पर इन्हें नियमानुसार राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

जनप्रतिनिधि श्री भरोसी लाल, विधायक द्वारा प्रस्तावित तहसील हिण्डौन जिला करौली के 35 मजरें/ ढाणियों की सूची मय अनुमानित जनसंख्या

क्रं. सं.	नाम तहसील	मजरा/ढाणी का नाम	अनुमानित जनसंख्या
1.	हिण्डौन	कोटवास	825
2.	"	नथोले का पुरा	500
3.	"	खीप का पुरा	1560
4.	"	खातीपुरा	925
5.	"	बमनपुरा	900
6.	"	खाना का पुरा	600
7.	"	मुण्डा का पुरा	450
8.	"	बमनपुरा गुर्जर	511
9.	"	मिल्कीपुरा	750
10.	"	कसाने का नागला	630
11.	"	बाढ़	1200
12.	"	राजापुरा	400
13.	"	छजीपुरा	200
14.	"	दात का पुरा	1000
15.	"	फैली का पुरा	300
16.	"	हरिराम का पुरा	515
17.	"	कल्लू का पुरा	150
18.	"	नदी का पुरा	300
19.	"	बन्ध का नगला	500
20.	"	बड़ का पुरा	300
21.	"	हरिनगर वण्ड का पुरा	650
22.	"	गछीपड़ी लहचोडा	506
23.	"	आरोनिया का पुरा	500
24.	"	बेड़ा जाटव बस्ती	500
25.	"	जगनल्या का पुरा	491
26.	"	भट्ट का पुरा	150
27.	"	अन्दन का पुरा	350
28.	"	जगजीवनराम का पुरा	275
29.	"	मोरीलियान का पुरा	175
30.	"	बन्ध का पुरा	400
31.	"	बुरजावाला	260
32.	"	कल्याण का पुरा	500
33.	"	बेंदू पुरा	400
34.	"	लोगटीपुरा	435
35.	"	चमनपुरा	350

अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित तहसील हिण्डौन जिला करौली के मजरें/ढाणियों की सूची मय अनुमानित जनसंख्या

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	ढाणी	जनसंख्या
1.	खेड़ली गूजर	रामस्वरूप सरपंच का पुरा	250
2.	खेड़ली गूजर	फोले का पुरा	290
3.	खेड़ली गूजर	जाटव बस्ती अटकोली	220
4.	रेवई	कबीन नगर	285
5.	लहचोड़ा	जाटव बस्ती चंदोला	900
6.	लहचोड़ा	शंकर का पुरा	350
7.	पाली	खेडियान का पुरा	500
8.	बाई जट	घुरली का पुरा	500
9.	बाजना कलां	महमतपुरिया	470
10.	बाजना कलां	सूबेदार का पुरा	200
11.	बनकी	एकीलासी का पुरा	300
12.	जट नगला	लिवरिया का पुरा	600
13.	जट नगला	लोहरे का पुरा	400
14.	जट नगला	निकेतपुरा	200
15.	जट नगला	बन्ध बाड़ो	450
16.	सूरोठ	जोगी का नगला	250
17.	सूरोठ	जाटव बस्ती	1000
18.	जटवाडी	मेवलपुर	270
19.	खेडी हेवत	अख्य का पुरा जाटव बस्ती	200
20.	झारेड़ा	कन्धा बाड़ा का पुरा	250
21.	मण्डावरा	बन्दपुरा	255
22.	कटकड़	भागचन्द का पुरा	200
23.	कटकड़	कल्लू का पुरा	200
24.	कटकड़	नथूआ का पुरा	200
25.	करसोलो	रतन पुरा	300
26.	करसोलो	नागरियान का पुरा	220
27.	खरेटा	मोतीपुरा	250
28.	कोटरा	सिंधान मीनाजाटव बस्ती	250
29.	घोसला	हरभान की ढाणी	700
30.	घोसला	कल्यांणपुरा	270

राजस्थानी भाषा को पाठशाला एवं महाविद्यालय स्तर में ऐच्छिक विषय हेतु स्वीकृति

574. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन-कौनसी भाषाओं में विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर में पढ़ाई की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थानी भाषा को पाठशाला स्तर एवं महाविद्यालय स्तर में ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर पर निम्न भाषाओं में पढ़ाई कराई जाती है :—

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. संस्कृत, 4. उर्दू, 5. गुजराती, 6. पंजाबी, 7. सिन्धी, 8. मलयालम, 9. फारसी, 10. बंगाली, 11. तमिल एवं 12. राजस्थानी।

(2) पूर्व से ही राजस्थानी भाषा को पाठशाला व महाविद्यालय स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

(3) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रकरण विचाराधीन है।

जिला मुख्यालयों पर कनिष्ठ विशेषज्ञों के समाप्त पद

575. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में जिला मुख्यालयों पर स्थित हास्पिटलों के आई.सी.यू. में कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद समाप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इससे हास्पिटलों में चिकित्सा व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई ?

(2) क्या सरकार उक्त समाप्त किए गए कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद पुनः सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य के 8 प्रथम श्रेणी के जिला चिकित्सालयों पर स्थित गहन चिकित्सा इकाइयों में स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन के पदों को छोड़कर शेष 23 चिकित्सालयों में इन पदों की अनुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन के पद के अतिरिक्त वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन व कनिष्ठ

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

विशेषज्ञ मेडिसन के पद स्वीकृत होने के कारण समानीकरण योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन के पद समाप्त किये गये तथा इन चिकित्सालयों में वरिष्ठ विशेषज्ञ व कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन के पद स्वीकृत होने के कारण गहन चिकित्सा इकाई की चिकित्सा व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं हुआ।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

फर्जी रसीद से लिपिक द्वारा धन संग्रह

576. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1987 में शिक्षा विभाग के लिपिक द्वारा विभाग के नाम पर रसीद बुक छपवाकर धन संग्रह करने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन अधिकारियों से कब-कब उक्त प्रकरण की जांच कराई गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच प्रतिवेदनों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं और राज्य सरकार कब तक कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री नेमीचन्द गर्ग, वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा, अलवर के नाम से रसीद बुक छपवाकर धन संग्रह तथा माडा योजना की राशि के गबन की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच डी.आर.डी.ए. ने अपने लेखाधिकारी से तथा जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर ने प्रधानाचार्य, लक्ष्मणगढ़ से करवायी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" में रख दी गयी है।

(2) जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर श्री नेमीचन्द गर्ग, वरिष्ठ लिपिक को आदेश दिनांक 14.12.1999 को निलम्बित किया गया था तथा 14.12.1999 को सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के तहत ज्ञापन/आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र दिया गया है। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर द्वारा पुलिस थाना, अलवर में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

577. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में कितने उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं?

(3) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से रिक्त हैं?

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 2 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 45 उप केन्द्र हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त केन्द्र पर चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है।

(3) रिक्त पदों की सूची मय दिनांक के भाग दो की सूची दर्शाई गई है।

(4) पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पद राज्य सरकार के प्रतिबन्ध में शिथिलता प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थित चिकित्सा संस्थानों की सूची

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
1.	परतापुर	1.	कोहाला
2.	सरेड़ी बड़ी	2.	धलकिया
		3.	गढ़ी
		4.	पालोदा
		5.	भीमपुर
		6.	लोहारिया
		7.	आंजना
		8.	बोरी

उप केन्द्र

1.	आसोडा	2.	गोरडी
3.	कूपड़ा	4.	चिड़ियावाला
5.	लोधा	6.	खोड़
7.	मेतवाला	8.	डडूका
9.	बडगांव	10.	लोधाजांहगीर
11.	पीपलवा	12.	निचला घंटाला
13.	सेवना	14.	मोयावासा
15.	नाटावाड़ा	16.	बस्सी चंदन सिंह
17.	नडियादा बड़ा	18.	अखेपानजी का गढ़ा
19.	नवागांव	20.	लोड़दा
21.	बोदिया	22.	खेरन का पारड़ा
23.	खेड़ा	24.	बेड़वा
25.	भगोरा	26.	सुन्दनी
27.	राठियापाड़ा	28.	माखिया
29.	पाराहेड़ा	30.	कोटड़ा बड़ा
31.	ठिकरिया	32.	चोपासांग
33.	करणपुरा	34.	भीमसोर
35.	सागवाडिया	36.	वजाखरा
37.	रोहिड़ा	38.	पिछोडा बड़ा
39.	सुजाजी का गडा	40.	वाकावाड़ा
41.	उम्बाड़ा	42.	हिम्मत सिंह का गढ़ा
43.	रूझिया	44.	साजिया
45.	भटवाड़ा		

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में स्वीकृत उ. प्रा. स्वा. केन्द्र, प्रा. स्वा. केन्द्र उप केन्द्रों पर स्वीकृत पद तथा कब से रिक्त है की सूचना

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की दिनांक
1	2	3	4	5
सामुदायिक स्वा. केन्द्र, परतापुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	4	—	—
	व. चिकित्सा अधिकारी	2	2	1 पद केप्ट इन एबेन्स
	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स ग्रेड-प्रथम	2	—	—
	नर्स ग्रेड-द्वितीय	2	—	—
	स्टाफ नर्स	1	—	—
	रेडियोग्राफर	1	—	—
	व. लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	स्वा. निरीक्षक	1	—	—
	वा. चालक	1	—	—
	प्रसाविका	4	—	—
	म. स्वा. दर्शिका	3	—	—
	व. लि.	2	—	—
	क. लेखाकार	1	—	—
	नेत्र सहायक	1	1	30.6.1999
	च. श्रे. क.	7	—	—
	स्वीपर	3	—	—
सा. स्वा. केन्द्र, सेरेड़ी बड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	2	10.1.2001, 4.2.2001
	चिकि. अधिकारी	3	—	—
	नर्स ग्रेड-प्रथम	1	1	5.7.1998
	नर्स ग्रेड-द्वितीय	4	3	1 पद 23.12.1998 2 पद 17. 2. 2001

1	2	3	4	5
	प्रसाविका	1	—	—
	म. स्वा. दर्शिका	1	—	—
	लै. टैक्नीशियन	2	1	10.1.2000
	सहा. रेडियोग्राफर	1	1	-यथा-
	स्वा. निरीक्षक	1	—	—
	व. लि.	2	—	—
	क. लि.	2	—	—
	च. श्रे. क.	3	—	—
	स्वीपर	1	—	—
प्रा. स्वा. केन्द्र, कोहला	चिं. अ.	1	—	—
	नर्स ग्रेड-द्वितीय	2	—	—
	प्रसाविका	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	1	29.9.1998
	वार्डबाय	2	—	—
	स्वीपर	1	—	—
प्रा. स्वा. केन्द्र, धलकिया	चि. अ.	1	—	—
	नर्स-ग्रेड-II	1	—	—
	प्रसाविका	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	1	6.4.1998
	म. स्वा. द.	1—	—	
	स्वा. निरी.	1	—	—
	क.लि.	1	—	—
	च. श्रे. क.	2	—	—
	स्वीपर	1	—	—
प्रा. स्वा. केन्द्र, पालोदा	चि. अ.	1	—	—
	नर्स ग्रेड-II	2	1	3.10.1998

1	2	3	4	5
	प्रसाविका	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	च. श्रे. क.	3	—	—
प्रा. स्वा. केन्द्र, भीमपुर	चि. अ.	1	—	—
	नर्स ग्रेड-II	2	—	—
	म. स्वा. द.	1	—	—
	प्रसाविका	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	1	29.8.1998
	व. लि.	1	—	—
	क. लि.	1	—	—
	च. श्रे. क.	2	—	—
	स्वीपर	1	—	—
प्रा. स्वा. के. लोहारिया	चि. अ.	1	—	—
	नर्स ग्रेड-II	1	—	—
	प्रसाविका	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	क. लि.	1	—	—
	च. श्रे. क.	2	—	—
	स्वीपर	1	—	
प्रा. स्वा. केन्द्र, आंजना	चि. अ.	1	1	10.1.2001
	नर्स ग्रेड-II	2	—	—
	म. स्वा. द.	1	—	—
	प्रसाविका	1	1	27.9.1998
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	वार्ड बाय	1	—	—
	स्वीपर	1	—	—

1	2	3	4	5
प्रा. स्वा. केन्द्र, बोरी	चि. अ.	1	—	—
	नर्स ग्रेड-II	1	—	—
	प्रसाविका	1	1	10.5.1998
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	च. श्रे. क.	3	—	—
प्रा. स्वा. केन्द्र, गढी	चि. अ.	1	—	—
	नर्स ग्रेड-II	3	—	—
	प्रसाविका	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	स्वा. निरीक्षक	1	—	—
	क. लि.	1	—	—
	च. श्रे. क.	3	—	—
	स्वीपर	1	—	—
एम. सी. डब्ल्यू. सी. सेन्टर, गढी	चि. अ.	1	1	6.12.2000
	स्टाफ नर्स	1	—	—

पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान सरकार की सम्पत्ति का बेचान

578. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंग कैनाल बीकानेर के निर्माण के समय पंजाब व राजस्थान में बनाये गये विश्राम गृह आज भी बने हुए हैं ? यदि हां, तो इनकी कुल संख्या क्या है तथा प्रत्येक की वर्तमान में कीमत क्या है और रख-रखाव में कितना व्यय होता है ?

(2) उक्त विश्राम गृहों के अधीन कितनी कृषि भूमि है ? क्या उक्त कृषि भूमि में नहरी पानी स्वीकृत है ? यदि हां, तो इनकी वार्षिक आय कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंजाब क्षेत्र में बनी राज्य विश्राम गृहों की सम्पत्तियों को पंजाब सरकार द्वारा बिना राज्य सरकार की अनुमति के बेचान किया गया है ? यदि हां, तो कितने विश्राम गृह बेचे गये ?

(4) क्या राज्य सरकार ने उक्त सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गंग कैनाल बीकानेर नहर के निर्माण के समय पंजाब व राजस्थान में बनाये गये विश्राम गृह आज भी बने हुए हैं। पंजाब राज्य में 4 विश्राम गृह एवं राजस्थान राज्य में 21 विश्राम गृह हैं। पंजाब में स्थित विश्राम गृहों का रख-रखाव उनके द्वारा ही वहन किया जाता है। राज्य के विश्राम गृहों की वर्तमान में अनुमानित कीमत और रख-रखाव में व्यय बाबत तालिका परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त में से पंजाब राज्य में 4 विश्राम गृहों के अधीन 17.64 एकड़ कृषि भूमि एवं राजस्थान राज्य में 21 विश्राम गृहों के अधीन 72.41 एकड़ कृषि भूमि है। कृषि भूमि में नहरी पानी स्वीकृत है एवं वार्षिक आय 1.23 लाख है, जिसका विवरण परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। गंग कैनाल बीकानेर नहर के निर्माण के समय पंजाब में 4 विश्राम गृह बनाये गये थे, पंजाब सरकार द्वारा तीन विश्राम गृह (कानसिंहवाला, अकालगढ़ एवं आलमगढ़) के विश्राम गृह को राजस्थान सरकार की अनुमति के बिना बेचा गया है।

(4) जी, हां। चण्डीगढ़ में आयोजित एक बैठक में राजस्थान के शासन सचिव सिंचाई द्वारा पंजाब सरकार के प्रमुख शासन सचिव सिंचाई के साथ उक्त सम्बन्ध में दिनांक 15.2.2001 को चर्चा की है। बैठक में पंजाब सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा नहर विश्राम गृह या अन्य सम्पत्तियां जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार बीकानेर राज्य की सम्पत्तियां हैं, का विवरण राजस्थान सरकार को उनके विक्रय सम्बन्धित निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। दिनांक 15.2.2001 की बैठक के बिन्दू क्रमांक 13 का विवरण, प्रपत्र "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

गंग कैनाल बीकानेर के निर्माण के समय पंजाब व राजस्थान में बनाये गये विश्राम गृह

क्र. सं.	विश्राम गृह का नाम	स्थित राज्य	अनुमानित वर्तमान कीमत लाखों में	रख-रखाव में व्यय लाखों में	कृषि भूमि एकड़ में	वार्षिक आय
1.	गूजर (बूर्जी सं. 74 बीकानेर कैनाल)	पंजाब	10.50	—	4.5	—
2.	कानसिंह वाला (बुर्जी 131-132 बीकानेर कैनाल)	पंजाब	13.97	—	6.21	—
3.	अकालगढ़ (बुर्जी 189 बीकानेर कैनाल)	पंजाब	7.09	—	3.00	—
4.	असलामवाला (बुर्जी 272-273 बीकानेर कैनाल)	पंजाब	9.28	—	3.93	—
	कुल पंजाब राज्य		40.84		17.64	
5.	श्री करनपुर	राजस्थान	3.55	0.50	0.76	500
6.	बडिंगा	राजस्थान	2.06	0.03	0.78	40000
7.	पाबूसर	राजस्थान	3.19	0.03	7.03	25000
8.	केसरीसिंहपुर	राजस्थान	3.46	0.20	0.80	300
9.	श्री गंगानगर	राजस्थान	5.83	1.00	1.09	800
10.	शिवपुर	राजस्थान	3.74	0.25	0.78	200
11.	वाइफर केशन	राजस्थान	2.11	0.05	0.97	300
12.	हिन्दुमलकोट	राजस्थान	0.05	—	2.90	100
13.	पदमपुर	राजस्थान	3.63	0.25	1.03	100
14.	गजसिंहपुर	राजस्थान	2.40	0.15	1.01	200
15.	गुठूवाला	राजस्थान	0.20	—	14.25	43000
16.	चूनावढ़ कोठी	राजस्थान	4.00	0.15	0.60	11000
17.	नेतेवाली	राजस्थान	0.85	0.03	6.25	200
18.	सुलेमानकी	राजस्थान	1.10	0.03	4.44	—
19.	पकीरवाली	राजस्थान	1.10	0.06	6.88	360
20.	डाबला	राजस्थान	0.30	0.06	6.25	385
21.	जैतसर	राजस्थान	0.80	0.49	3.28	275
22.	विंजयनगर	राजस्थान	0.75	—	1.25	—
23.	रामसिंहपुर	राजस्थान	0.40	0.42	0.97	40
24.	चक नानू	राजस्थान	0.10	—	10.62	670
25.	रायसिंह नगर	राजस्थान	1.30	0.50	0.47	30
	कुल राजस्थान राज्य		40.92	4.20	72.41	123470
						1.23 लाख

परिशिष्ट "ब"

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
IRRIGATION DEPARTMENT

No. F.7(17)IMK/99 Jaipur, March 22 : 2001

The Principal Secretary,
Irrigation and Power Department
Government of Punjab,
CHANDIGARH.

Sub :— Minutes of the meeting held on 15.2.2001.

Sir,

I am directed to enclosed herewith a copy of the minutes of the meeting which was held in your chamber on 15.2.2001 with Secretary, Irrigation Govt. of Rajasthan and the officers of both the States.

Yours faithfully
Sd/-
(A.P. Sharda)
Officer on Special Duty

Encl :—as above

Copy alongwith copy of minutes forwarded to :

1. PS to Chairman IGN Board Rajasthan Jaipur.
2. Chief Engineer, Irrigation, Jaipur/ Chief Engineer, Irrigation, North Hanumangarh.

Sd/-
OFFICER ON SPECIAL DUTY

Details of point No.13

"The details of the canal rest house or other property, the owner ship of which lie with Bikaner State (as per revenue record) shall be sent to the Government of Rajasthan for taking a decision for sale of such property."

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

579. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की ग्राम पंचायत भलेर पंचायत समिति आनन्दपुरी में वर्ष 1994 से 2000 तक विभिन्न योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत में उक्त योजनाओं हेतु किस-किस कार्य के नाम कुल कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में श्रम एवं सामग्री पेटे कितनी राशि स्वीकृत थी और कौन-कौन से कार्य पर श्रमिकों की कितनी संख्या थी और प्रति मजदूर को प्रतिदिन का क्या भुगतान किया गया?

(4) सामग्री पेटे कौनसी सामग्री का किन-किन फर्म या ठेकेदार या व्यापारी के नाम कितनी राशि का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम पंचायत भलेर भोदर पंचायत समिति आनन्दपुरी (विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा) में वर्ष 1994 से 2000 तक विभिन्न योजनान्तर्गत 9 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"अ" पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य, कार्य के लिए स्वीकृत राशि एवं कार्य पर किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"अ" में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में श्रम एवं सामग्री के लिए स्वीकृत राशि, कार्यवार नियोजित श्रमिकों की संख्या तथा प्रति मजदूर प्रतिदिन भुगतान करने की राशि/दर का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"अ" में सम्बन्धित कार्य के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है।

(4) सामग्री पेटे फर्मों/ठेकेदारों/व्यापारियों को किये गये भुगतान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"ब" में सम्बन्धित फर्म/व्यापारी / ठेकेदार के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है।

परिशिष्ट "अ"

ग्राम पंचायत भलेर भोदर पंचायत समिति आनन्दपुरी में वर्ष 1994 से 2000 तक किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में) श्रम	स्वीकृत राशि (लाखों में) सामग्री	योग	व्यय राशि (लाखों में) श्रम	व्यय राशि (लाखों में) सामग्री	योग	कुल श्रमिक/कारीगर की संख्या	प्रतिदिन मजदूरी श्रमिक/कारीगर
अ.	जवाहर रोजगार योजना									
1.	प्रा. वि. खुटा नगारात	45/28.7.1995	0.456	0.304	0.76	0.271	0.489	0.760	श्रमिक-830 कारीगर-175	श्रमिक-20 कारीगर-60
2.	प्रा. वि. खुटा नगारात अति. कक्ष	84/15.1.1996	0.48	0.32	0.80	0.254	0.490	0.744	श्रमिक-745 कारीगर-175	श्रमिक-20 कारीगर-60
3.	प्रा. वि. भलेर डागोर	55/25.1.1997	0.54	0.36	0.90	0.338	0.532	0.87	श्रमिक-964 कारीगर-154	श्रमिक-25 कारीगर-60
4.	उ. प्रा. वि. भलेर भोदर अति. कक्ष	20/30.6.1997	0.60	0.40	1.00	0.594	0.41	1.004	श्रमिक-1472 कारीगर-170	श्रमिक-30-35 कारीगर-80
ब.	ई. ए. एस. योजना									
1.	सार्वजनिक कूप घटिया	80-96/24.9.1994	0.138	0.092	0.23	0.142	0.088	0.23	श्रमिक-460 कारीगर-68	श्रमिक-22 कारीगर-60
2.	एनीकट भलेर भोदर	4418-28/24.5.1997	3.00	2.00	5.00	2.995	2.602	5.597	श्रमिक-7503 कारीगर-1467	श्रमिक-22-38 कारीगर-60-100
3.	शि. क. वि. मालीपाडा	3782-3812/9.7.1998	1.20	0.80	2.00	1.195	0.805	2.00	श्रमिक-2441 कारीगर-408	श्रमिक-32-35 कारीगर-60-80
स.	टी. एफ. सी.									
1.	शिक्षाकर्मी प्रा. वि. घटिया	2-5/15.2.1999	0.66	0.44	1.10	0.66	0.44	1.10	श्रमिक-1365 कारीगर-216	श्रमिक-35-36 कारीगर-80-83
2.	राजीव गांधी पाठशाला उठीवेली खुटा नगारात	2079/15.5.1999	1.284	0.856	2.14	0.242	0.891	1.133	श्रमिक-470 कारीगर-35	श्रमिक-44 कारीगर-100 कार्य चालू है
			8.358	5.572	13.93	6.691	6.747	13.400		

वि.अ., पं. सं. आनन्दपुरी
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
जि. ग्रा. वि. अ., बांसवाड़ा

परिशिष्ट "ब"

ग्राम पंचायत भलेर भोदर पंचायत समिति आनन्दपुरी द्वारा वर्ष 1994-2000 तक कराये गये कार्यों पर लगी सामग्री का विवरण

क्र. सं.	बिल नम्बर/दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री	भुगतान राशि
1	2	3	4	5
1.	6/12.1.96	पंकज पेन्ट बागीदौरा	रेड आक्साइड	284.00
2.	10/12.1.95	पेसा/धुलिया टाडा	पत्थर	3300.00
3.	1/18.9.95	पेमा/धुलिया टाडा	रेती	4000.00
4.	2/18.5.95	राज एजेन्सी बांसवांड़ा	सीमेन्ट	22500.00
5.	3/18.9.95	हाजी हुसेनी भाई गुलाब हुसैन	गर्डर	4650.00
6.	6/18.5.95	हनुमान वेल्डिंग बागीदौरा	दरवाजे खिड़किया	5137.00
7.	7/12.1.96	जैन स्टोंन बांसवाड़ा	पट्टिया	9028.00
8.	11/29.1.96	पेना/धुलिया टाडा	पत्थर	820.00
9.	12/29.1.95	सौभागमल/नाथूलाल बागीदौरा	सीमेन्ट	9400.00
10.	13/29.1.96	दोसी सिमेंट, बागीदौरा	सीमेन्ट	9400.00
11.	14/29.1.96	हनुमान वेल्डिग वर्क बार्गीदौरा	दरवाजे खिड़कियां	5163.00
12.	8/15.3.97	हाजी हुसैनी भाई	गर्डर	5000.00
13.	32/7.1.97	मेवाड स्टोन बांसवाड़ा	पट्टियां	8244.00
14.	2/7.1.97	मेवाड़ स्टोन बांसवाड़ा	सीमेन्ट	6250.00
15.	5/7.1.97	अरविन्द कुमार/पेमा टाडा	रेती	6000.00
16.	6/7.2.97	अरविन्द कुमार/पेमा टाडा	पत्थर	820.00
17.	7/7.12.97	सुरजमल जैन चांदरवाड़ा	काथी	120.00
18.	11/15.3.97	अरविन्द कुमार/पेमाजी	रेती	3000.00
19.	9/15.3.97	मेवाड़ स्टोन बांसवाड़ा	सीमेन्ट	18750.00
20.	9ए-11/15.3.97	पेमा/धुलिया टाडा	रेती	2440.00
21.	13/15.3.97	पेमा/धुलिया	पत्थर	6742.00
22.	12/15.3.97	सुरजमल जयचंद चांदरवाड़ा	काथी	72.00
23.	1/14.6.97	एस. आर. बिल्डर बांसवाड़ा	पट्टिया	10337.00
24.	2/14.6.97	गुलाम हुसैन हाजी जाफर भाई	गर्डर	7152.00
25.	3/14.6.97	भारद्वाज इंजीनियरिंग बागीदौरा	दरवाजे खिड़कियां	4742.00

1	2	3	4	5
26.	18/30.3.98	दोसी सीमेन्ट वर्क्स, बागीदौरा	सीमेन्ट	2880.00
27.	17/27.3.99	पठान कृषि फार्म शेरगढ़	रेती	7200.00
28.	9/28.2.98	दोसी सिमेन्ट बागीदौरा	सीमेन्ट	10000.00
29.	10/27.2.98	भारद्वाज इंजीनियरिंग बागीदौरा	दरवाजे, खिड़कियां	4500.00
30.	11/27.3.98	हनुमान स्टोन, बांसवाड़ा	पट्टियां	8556.00
31.	12/27.3.98	गुलाम हुसैन जाफर अली, बांसवाड़ा	गर्डर	6292.00
32.	13/27.3.98	सेफी मोहम्मद ट्रक ड्राइवर	किराया	1200.00
33.	14/27.2.98	राम/देवा फेफर	मजदूरी	250.00
34.	15/27.3.98	दोसी सीमेन्ट बागीदौरा	चुना	96.00
35.	21/23.1.96	मेवाडा स्टोन, बांसवाड़ा	सीमेन्ट	8751.00
36.	1/5.6.97	सम्राट मार्बल, बांसवाड़ा	सीमेन्ट	25000.00
37.	3/5.6.97	सबलाल/रामजी, भलेर	रेती	6000.00
38.	2/5.6.97	सबलाल/रामजी, भलेर	गिट्टी	10000.00
39.	4/5.6.97	रतनलाल/भागीरथ भील	ब्लास्टिंग	9000.00
40.	5/26.6.97	सबलाल/रामजी, भलेर	पत्थर	18000.00
41.	6/26.6.97	सबलाल/रामजी भलेर	रेती	18000.00
42.	7/26.6.97	महावीर टेन्टर, बागीदौरा	सीमेन्ट	14000.00
43.	10/15.10.97	सुरेश कुमार/नन्दलाल	ईंटे	3000.00
44.	11/15.10.97	गोविन्द/रघुनाथ टाडा	गिट्टी	1400.00
45.	12/15.10.97	बदामीलाल/रतनलाल	सीमेन्ट	6500.00
46.	13/15.10.97	रमेश/वेस्ता चोरड़ी	पत्थर	5100.00
47.	19/2.12.97	दोसी सीमेन्ट, बागीदौरा	सीमेन्ट	13000.00
48.	20/2.12.97	सबलाल/रामजी, भलेर	पत्थर	4200.00
49.	1/30.4.98	पटेल कृषि फार्म थापड़ा	पत्थर रेती	33250.00
50.	2/30.4.98	महावीर ट्रेडर्स, बागीदौरा	सीमेन्ट	1750.00
51.	3/13.5.98	महावीर ट्रेडर्स, बागीदौरा	सीमेन्ट	10000.00
52.	19/6.2.99	पठान कृषि फार्म, शेरगढ़	रेती	9000.00
53.	20/6.2.99	पठान कृषि फार्म, शेरगढ़	पत्थर	6800.00
54.	24/31.3.99	हनुमान वेल्डिंग वर्क बागीदौरा	दरवाजा	19480.00
55.	25/31.3.99	महावीर टेण्डर बागीदौरा	सीमेन्ट	15000.00

1	2	3	4	5
56.	5/8.7.98	पठान कृषि फार्म, शेरगढ़	पत्थर	6900.00
57.	18/6.2.99	मैसर्स बदामीलाल, बागीदौरा	सीमेन्ट	24000.00
58.	26/31.3.99	मैसर्स पठान कृषि फार्म	पत्थर	800.00
59.	8/5.10.98	मैसर्स बदामीलाल, बागीदौरा	सीमेन्ट	12500.00
60.	9/5.10.98	पठान कृषि फार्म, शेरगढ़	रेती	2400.00
61.	11/27.10.98	पठान कृषि फार्म शेरगढ़	रेती	4800.00
62.	13/16.1.99	हनुमान स्टोन बांसवाड़ा	पट्टियां	15420.00
63.	14/30.1.99	गुलाम हुसैन हाली जाफर अली	गर्डर	8710.00
64.	20/20.7.99	जय अम्बिका आयरन वर्क्स, बागीदौरा	जाली दरवाजे	11137.00
65.	22/2.7.99	महावीर ट्रेडर्स, बागीदौरा	सीमेन्ट	15000.00
66.	23/2.7.99	पठान कृषि फार्म शेरगढ़	रेती	6000.00
67.	25/28.7.99	जय अम्बिका वेल्डिंग वर्क्स	दरवाजा	1500.00
68.	28/28.7.99	पठान कृषि फार्म शेरगढ़	क्रेशर गिट्टी	3000.00
69.	21/24.3.99	जय अम्बिका आयरन वर्क्स, बागीदौरा	जाली दरवाजा	5125.00
70.	3/5.5.99	मोहम्मद स्टोर, चांदरवाड़ा	सीमेन्ट	15625.00
71.	4/5.5.99	गुलाम हुसैन हाली जाफर अली	गर्डर	4875.00
72.	5/5.5.99	हनुमान स्टोन बांसवाड़ा	पट्टियां	8778.00
73.	7/12.5.99	हितेश कुमार/कान्तिलाल गमाना	रेती व गिट्टी	8400.00
74.	8/12.5.99	हितेश कुमार/कान्तिलाल गमाना	गिट्टी	1200.00
75.	13/8.6.99	महावीर ट्रेडर्स, बागीदौरा	सीमेन्ट	10000.00
76.	14/8.6.99	समीर पिकस सप्लायर्स, झालोड	ईंटे	45000.00
77.	15/8.6.99	पठान कृषि फार्म शेरगढ़	गिट्टी रेती	5000.00
78.	17/30.6.99	जय अम्बिका आयरन एवं वैल्डिंग, बागी	दरवाजे खिडकी	12637.00
79.	18/30.6.99	पठान कृषि फर्म, शेरगढ़	पत्थर	6000.00
80.	19/30.6.99	पठान कृषि फर्म, शेरगढ़	रेती	10500.00
			योग	674720.00

विकास अधिकारी
प. स. आनन्दपुरी

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
बांसवाड़ा (राजस्थान)

जिला धौलपुर के प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

580.श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की, कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में कितने चिकित्सकों के पद कब से कहां कहां रिक्त हैं ?

(2) वर्तमान में सरकार किन किन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रही है ? धौलपुर जिले में किन किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए किन किन स्थानों पर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में 11 पद चिकित्सकों के रिक्त है, जिनकी मय रिक्ति दिनांक चिकित्सा संस्थावार सूची "क" संलग्न है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2001-2002 की राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण नवीन चिकित्सा संस्थान खोला जाना सम्भव नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 में धौलपुर जिले में 11 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की थी जिनमें से 10 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा एक भवन निर्माणाधीन हैं जिनकी सूची "ख" मय स्थानों के संलग्न है ।

क्र.सं	संस्था का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	मय रिक्त होने की दिनांक से
1.	सामान्य चिकित्सालय धौलपुर	1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्ररोग)	1	15.12.2000
		2. उप नियंत्रक	1	7.12.2000
		3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	5.12.2000
		4. कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक)	1	22.7.2000
		5. चिकित्सा अधिकारी	1	15.3.2001
2.	जिला क्षय निवारण केन्द्र धौलपुर	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी.बी.)	1	1.4.2000
3.	सामुदायिक स्वा. के. बसेड़ी	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	13.6.99
		2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	5.12.2000
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजाखेड़ा	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	22.3.2001
		2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग)	1	5.12.2000
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरमथुरा (एम.सी.डब्ल्यू सेंटर)	1. चिकित्सा अधिकारी	1	22.3.2001

क्र.सं.	संस्थान का नाम	भवन की स्थिति
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसुपुरा	पूर्ण
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरैना	पूर्ण
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालपुरा	पूर्ण
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथवारी	पूर्ण
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झीरी	पूर्ण
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगाई	पूर्ण
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितोरा	पूर्ण
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अपचलपुर	पूर्ण
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कंचनपुर	पूर्ण
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर	पूर्ण
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेपऊ	अपूर्ण

ग्राम पंचायत थरोल जिला झालावाड़ का भू-आबंटन प्रकरण

581. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत थरोल जिला झालावाड़ में दिनांक 29.5.2000 को ग्राम थरोल की भूमि आबंटन में ग्राम थरोल के व्यक्तियान को भूमि आबंटित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं? उक्त ग्राम में किन कारणों से अन्य व्यक्तियों को भू-आबंटन किया गया है? आबंटियों के नाम एवं खसरा नं. सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम थरोल में समस्त आबंटी अन्य ग्रामों के रहने वाले हैं? यदि हां, तो इनके द्वारा किस प्रकार भूमि पर काश्त कराई जा रही है? उक्त समस्त आबंटियों में से कौन कहां-कहां पर व किस तहसील में निवास कर रहा है? सूची मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में आबंटित भूमि पर कौन-कौन काबिज है और मौके पर किसके द्वारा काश्त की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत थरोल में दिनांक 29.5.2000 को भू-आबंटन कैम्प थरोल में थरोल ग्राम के निवासियान द्वारा भूमि आबंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः कोई आबंटन नहीं हुआ।

थरोल ग्राम में अन्य व्यक्तियों को उनकी खातेदारी भूमि के निकट छोटी पट्टी होने के कारण राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 19 के तहत केवल चार व्यक्तियों को खातेदारी के आधार पर छोटी पट्टी का आबंटन किया गया :—

क्र. सं.	आबंटियों के नाम/निवासी	ख. न.	रकबा
1	2	3	4
1.	कुलेन्द्र कुमार आ. अम्बा लाल ब्रा. अकलेरा	585	1.02 बीघा
2.	मोहन लाल आ. धणी लाल नि. भोरेली ग्राम पंचायत थरोल तहसील अकलेरा	601	1.10 बीघा

1	2	3	4
3.	पानामल आ. भागचन्द मीणा नि. ब्रह्माखेडी तह. छीपाबड़ौद	601	0.13 बीघा
4.	ग्यारसीराम आ. जगन्नाथ सुनारनि. अकलेरा (पूर्व सैनिक)	604	0.10 बीघा

(2) जी, हां, उक्त आबंटीयान की खातेदारी की भूमि थरोल में है, किन्तु ये निवास हाल ग्राम अकलेरा, मोरेली, ब्रह्माखेड़ी कर रहे हैं। सूची प्रश्न बिन्दू 1 के अनुसार है।

(3) वर्तमान में आबंटित (छोटी पट्टी) भूमि पर सभी आबंटियों को कब्जा दे दिया गया है तथा मौके पर 15 बिस्वा को छोड़कर आबंटी ही काश्त कर रहे हैं। छोटी पट्टी आबंटन के तहत आबंटित भूमि में से आबंटी मोहनलाल आ. धूणीलाल द्वारा 15 बिस्वा अराजी का बेचान कर दिया है।

ग्राम थरोल तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ में दिनांक 29.5.2000 को किये गये आबंटन की सूची

क्र.सं.	नाम आबंटी मय पता	नाम ग्राम जहां की भूमि है	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा में
1	2	3	4	5
1.	श्री घनश्याम आ. कंवर लाल मीना नि. पोलाव	जामुनयाखुर्द	60	1.05
2.	श्री महावीर आ. कल्याण मीना नि. बैलवा	बैलवा	8	3.07
3.	श्री कन्हैया लाल आ. रामकरण मीना नि. पोलाव	पोलाव	8/131	5.00
4.	श्री पानाचंद-आ. केसरी लाल मीना नि. बैलवा	बैलवा	5	1.00
			6	0.06
5.	श्री पीताराम आ. रामकरण मीना नि. बैलवा	बैलवा	7	4.11
6.	श्री कंवर लाल आ. केसरी लाल मीना नि. बैलवा	बैलवा	6	1.07
7.	श्री धन्ना आ. ग्यारसीराम मीना जामुनियाकलां	जामुनिया	144	5.00
8.	श्री किशन लाल आ. केसरी लाल मीना नि. बैलवा	बैलवा	5	1.07
			9	1.00
			15	1.00
9.	श्री रंगलाल आ. कल्याण मीना नि. बैलवा	बैलवा	8	1.07
			9	1.00
10.	श्री बाबू आ. बिरधी लाल मीना नि. जामुनियाकलां	जामुनियाकलां	114	1.00

1	2	3	4	5
11.	श्री प्रेमचन्द आ. देवलाल मीना नि. पोलाव	जामुनिया खुर्द	60	1.05
12.	श्री रामनारायण आ. श्री किशन मीना जामुनयाखुर्द	जामुनिया खुर्द	90	2.00
13.	श्री कालू आ. मोती मीना नि. पालाव	जामुनिया खुर्द	60	1.05
14.	श्री रामलाल आ. फूलचन्द मीना नि. जामुनियाखुर्द	जामुनिया खुर्द	80	5:00
15.	श्री मोहन लाल आ. चन्द्रभान मीना नि. जामुनियाखुर्द	जामुनिया खुर्द	58	2.09
			59	1.00
16.	श्री गोपी आ. भैरू मीना नि. मोरेली	रीछेवा	542	6.00
17.	श्री पानाबाई पत्नि रुधनाथ मीना, जामुनियाखुर्द	जामुनियाखुर्द	60	1.00
18.	श्री कांतीबाई पत्नि कंवर लाल मीना नि. मोरेली	केंवचीकलां	344	1.05
19.	श्री राज आ. द्वारकालाल गाडरी नि. पाटनऊदा	कूकलवाड़ी	3	3.00
20.	श्री बाबेलाल आ. द्वारकालाल गाडरी नि. पाटनऊदा	कूकलवाड़ी	3	3.10
21.	श्री बिरेधी लाल आ. रतन लाल मीना जामुनियाकलां	जामुनियाकलां	8	2.03
22.	श्री जीवन आ. किशना मीना नि. पोलाव	पोलाव	52	0.15
23.	श्री धन्ना आ. बाला मीना नि. पोलाव	पोलाव	20	0.10
24.	श्री राधेश्याम आ. कजोडी लाल चमार जामुनिया	कूकलवाड़ी	3	2.10
25.	श्री गोपाल आ. मिनाराम चमार जामुनियांकलां	कूकलवाड़ी	3	1.05
26.	श्री दुलीचंद आ. गंगाराम चमार जामुनिया	कूकलवाड़ी	3	1.05
27.	श्री कालू आ. कन्हैया लाल मोना, पाटनखेमा	पाटनखेमा	242	3.10
28.	श्री कजोड़ आ. भैरू मीना नि. मोरेजी	रीछवा	542	6.00
29.	श्री बाबूलाल आ. गोमदा मीना नि.पाटनखेमा	पाटनखेमा	239	2.00
30.	श्री धन्नोलाल आ. भवाना मीना, मोरेली	मोरेली	20	2.10
31.	श्री बानमल आ. गोपाल मीना नि. मोरेली	मोरेली	42	2.00
32.	श्री बाबूलाल आ. अगर लाल मीना जामुनियां कलां	जामुनिया कलां	60	1.05
33.	श्री तूफान सिंह आ. मोरीलाल बंजारा पाटनखेमा	पाटनखेमा	294	3.09
34.	श्री प्रभू आ. धन्ना बंजारा पाटनखेमा	पाटनखेमा	289	3.10
35.	श्री मुन्ना आ. ....पाटनखेमा	पाटनखेमा	289	3.12
36.	श्री कुलेन्द्र कुमार आ. अम्बालाल ब्राह. अकलेरा	थरोल	585	1.02

1	2	3	4	5
37.	श्री मोहन लाल आ. धुल्लीलाल ब्रा. नि. मोरेली	मोरेली	601	1.10
38.	श्री मांगीलाल आ. कोलू मीना नि. मोरेली	मोरेली	383	1.00
39.	श्री पानमल आ. भागचंद मीना, नि. ब्रह्म्खेड़ी	थरोल	601	0.13
40.	श्री ग्यारसीराम आ. जगन्नाथ सुनार नि. अकलेरा	थरोल	604	0.10
41.	श्री रामचन्द्र आ. भंवर लाल मीना, मोरेली	मोरेली	61	0.04
			69	0.07
42.	श्री पप्पूलाल आ. दयाराम मीना नि. मोरेली	कोटड़ादयाल	187	2.14

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-940 की प्रति)

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

दिनांक : 23 दिसम्बर, 1997

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों के हितार्थ शासन की घोषणाएं

समझौता-पत्र

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड़) ने 11 सूत्रीय मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राज्य सरकार और महासंघ (राठौड़) के प्रतिनिधियों के मध्य अनेक दौर की वार्ताओं के पश्चात् आज दिनांक 23.12.1997 को निम्नानुसार मांगों पर समझौता हुआ :—

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान वर्ष 1988-89 से दिये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उनके कर्मचारियों को नये वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु श्री एन. एस. सिसोदिया, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था। राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से किये गये विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिये हैं :—

1. राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप नये वेतनमान स्वीकृत किये जायेंगे।
2. संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिये गये लाभ के अनुसार 40 प्रतिशत फिटमैंट बेनिफिट (Fitment Benefit) दिया जायेगा व इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 1996 को प्रभावी दरों के अनुसार महंगाई भत्ता व अंतरिम राहत की प्रथम दो किस्तों को जोड़ कर नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण किया जावेगा। वेतन श्रृंखलाओं में एफिसिएंसी बार (E.B.) नहीं होगी।
3. नए वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण दिनांक 1.9.1996 को किया जाएगा। 1.9.1996 से 31.12.1996 की अवधि के दौरान केवल काल्पनिक वेतन निर्धारण (notional pay fixation) किया जायेगा। दिनांक 1.1.1997 से दिनांक 31.12.1997 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमानों के फलस्वरूप मिलने वाली बढ़ी हुई राशि के एरियर राज्य कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खातों में

शासन द्वारा निश्चित की जाने वाली अवधि के लिये जमा करके (इम्पाउण्डेड) रखे जायेंगे।

4. राज्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के अनुसार बढ़े हुए वेतन का नकद भुगतान 1 जनवरी, 1998 से देय होगा।

5. राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों व तिथियों के अनुसार देय होगा।

6. मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वर्तमान में मिल रहे हैं राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की दरों के अनुरूप दिनांक 1.1.1998 से देय होंगे।

7. 1.9.1988 से राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने के परिणामस्वरूप जो कथित विसंगतियां चल रही हैं उन पर प्राप्त हुए ज्ञापनों पर सिसोदिया समिति आगामी तीन माह में, सुनवाई, परीक्षण व विचार कर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी तथा उसके पश्चात् राज्य सरकार उन्हें लागू करेगी।

8. राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में जारी आदेशों को लागू करने व राज्य सरकार के पेंशनर्स की पेंशन दरों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन दिनांक 1 जनवरी, 1997 से देय होगी।

9. बढ़ी हुई पेंशन के 1 जनवरी, 1997 से 31 दिसम्बर, 1997 तक की अवधि के एरियर की राशि के सम्बन्ध में पेंशनरों को यह विकल्प दिया जायेगा कि या तो वे अपने सामान्य प्रावधायी निधि के खाते पुनः खुलवा कर एरियर की सरकार द्वारा संधारित एक मुश्त राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए जमा करवा दें अथवा एरियर की राशि 60 बराबर की मासिक किस्तों में नई संशोधित पेंशन के साथ प्रत्येक माह प्राप्त कर लें।

10. परिहार्य व अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से एवं उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति में महासंघ (राठौड़) तथा उस विभाग के कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा, जिससे कि विभिन्न निर्णयों में कर्मचारियों की भी भागीदारी हो सके व व्यावहारिक निर्णय लिये जा सकें।

11. वर्क-चार्जड कर्मचारियों के नियमितीकरण से सम्बन्धित प्रश्नों जिसमें चयनित वेतनमान देने का प्रश्न सम्मिलित है, तथा कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्रीय मांग-पत्र को परीक्षणार्थ सिसोदिया कमेटी को संदर्भित किया जायेगा जिस पर

समुचित सुनवाई कर सिफारिशें की जायेंगी जो प्राप्त होने पर शासन समुचित निर्णय लेकर लागू करेगा।

12. उक्त निर्णय वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों, अर्द्ध शासकीय, निगमों, बोर्डों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरण तथा पंचायती राज संस्थाओं पर भी उन संस्थाओं विशेष के निर्णयों के अनुसार लागू होंगे।

महासंघ यह आश्वस्त करता है कि राज्य के समस्त कर्मचारीगण सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी उत्पादकता व कर्मठता में और बढ़ोतरी करके जन सेवा व राज्य के विकास हेतु समर्पित रहेंगे।

हस्ताक्षर

राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि	कर्मचारी महासंघ (राठौड़ गुट)
ह०/-	ह०/-
प्रमुख शासन सचिव	(उदय सिंह राठौड़)
वित्त विभाग	प्रान्तीय अध्यक्ष
	ह०/-
	(गिरीन्द्र मिश्र)
	महामंत्री

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-946 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

1. न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर के यहां वाद संख्या 422/83 रामराज वगैराह बनाम पांचू वगैराह प्रस्तुत हुआ। जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.5.1984 में उक्त ख. नं. की 25 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से एक बिस्वा में प्रतिवादी पांचू वगैराह को उक्त एक बिस्वा भूमि से बेदखल कर दिया गया।

2. प्रतिवादी पांचू वगैराह द्वारा वाद संख्या 232/86 में उक्त निर्णय एवं डिक्री को एक-तरफा बताते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर के यहां प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निर्णय दिनांक 15.5.1984 को खारिज करने की प्रार्थना की। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.9.1986 को प्रतिवादी पांचू वगैराह का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए, पूर्व आदेश व डिक्री दिनांक 15.5.1984 को निरस्त कर दिया।

3. उक्त के पश्चात् प्रतिवादी पांचू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी उक्त सहायक कलक्टर जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 15.5.1984 के पूर्व की स्थिति अनुसार भूमि का कब्जा वापस दिलाने की प्रार्थना की। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.5.1987 में प्रार्थी प्रतिवादी (पांचू) को दिनांक 15.5.1984 से पूर्व की स्थिति के अनुसार तहसीलदार जमवारामगढ़ को कब्जा दिलाने के आदेश दिये गये।

4. वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के न्यायालय में एक अपील संख्या 151/87 विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर, जयपुर के प्रस्तुत की। जो दिनांक 6.11.1989 को खारिज कर दी गई।

5. वादीगण द्वारा एक निगरानी संख्या 160/87 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 6.7.1993 द्वारा निरस्त कर दी गई।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-947 की सूची)

परिशिष्ट "क"

मुर्दे दफनाने वाले व्यक्तियों के अलावा निवास कर रहे व्यक्तियों की सूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचना

क्र.सं.	नाम जिला	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	कोटा	14
2.	झुंझुनूं	67
3.	सीकर	23
4.	राजसमन्द	शून्य
5.	भरतपुर	17
6.	डूंगरपुर	शून्य
7.	जैसलमेर	शून्य
8.	बून्दी	शून्य
9.	धौलपुर	शून्य
10.	जोधपुर	62
11.	सवाईमाधोपुर	24
12.	दौसा	शून्य
13.	बारां	63
14.	चूरू	शून्य
15.	सिरोही	शून्य
16.	अलवर	शून्य
17.	उदयपुर	07
18.	झालावाड़	शून्य
19.	टोंक	शून्य
20.	बाड़मेर	शून्य
21.	बांसवाड़ा	शून्य
22.	हनुमानगढ़	शून्य
23.	पाली	शून्य
24.	चित्तौड़गढ़	शून्य
25.	जालौर	शून्य
26.	बीकानेर	शून्य
27.	गंगानगर	शून्य
28.	अजमेर	शून्य
29.	नागौर	शून्य
30.	करौली	92
31.	भीलवाड़ा	शून्य
32.	जयपुर (शहर)	143
	योग	512

वक्फ कमेटियों से प्राप्त सूचना

क्र.सं.	नाम स्थान	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	बयाना जिला भरतपुर	20
2.	मथानिया जिला जोधपुर	30
3.	उदयपुर	01
4.	मांगरोल, अटरू, अन्ता जिला बारां	80
5.	निम्बाहेड़ा, बेगू, जिला-चित्तौड़गढ़	65
6.	सुजानगढ़ जिला चूरू	15
	योग	211

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-956 की प्रति)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.18(20)चिस्वा/2/95 जयपुर, दिनांक : 25.5.2000

परिपत्र

महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न चिकित्सालयों में राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.9.1995 के तहत छूट प्राप्त श्रेणियों जैसे गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों, विधवाओं, अनाथों, दुर्घटनाग्रस्त रोगियों, लावारिस, कैदी एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों के अतिरिक्त अन्य रोगियों को भी निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है, जो कि अनियमित है। इस पर महालेखाकार, राजस्थान द्वारा आक्षेप भी बनाये गये हैं।

अधिकतर प्राचार्यों, अधीक्षकों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अति-विशिष्ट व्यक्तियों जैसे मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व मंत्री, प्रेस के प्रतिनिधि, उच्च राजकीय अधिकारियों से शुल्क राशि मांगने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त स्थिति पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार कर निर्णय लिया है, कि राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.9.1995 में दी गयी श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी रोगियों से नियमानुसार मेडीकेयर रिलीफ सोसायटीज द्वारा शुल्क वसूल किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की रिहायत नहीं दी जावें।

आज्ञा से

ह०/-

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-960 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

संख्या सूची निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की

क्र.सं.	स्तर	मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक	80
2.	उच्च प्राथमिक	408
3.	माध्यमिक	63
4.	उच्च माध्यमिक	24
5.	संस्कृत	—
	योग	575

परिशिष्ट "ख"

श्रीगंगानगर जिले में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक स्कूलवार दिये अनुदान का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि
1	2	3
1.	श्री सनातन धर्म बा. उ. प्रा. वि., गंगानगर	15.44
2.	बेबी हैप्पी बा. उ. प्रा. वि., श्रीगंगानगर	18.22
3.	श्री गुरुनानक बा. उ. प्रा. वि., केसरीसिंहपुर	6.85
4.	गुप्ता बाल भारती बा. उ. प्रा. वि., गंगानगर	20.69
5.	गांधी बा. उ. प्रा. वि., गंगानगर	16.67
6.	खालसा पब्लिक बा. उ. प्रा. वि., पदमपुर	20.06
7.	बाल संसार बा. उ. प्रा. वि., गंगानगर	13.51
8.	काशी विद्यापीठ बा. उ. प्रा. वि., गंगानगर	13.61
9.	विकास पब्लिक बा. उ. प्रा. वि., मिर्जेवाला	6.81
10.	विद्या मंदिर बा. उ. प्रा. वि., श्रीगंगानगर	7.31
11.	ओगार बा. उ. प्रा. वि., श्रीगंगानगर	12.78

1	2	3
12.	शर्मा बाल मंदिर उ. प्रा. वि., सूरतगढ़	19.54
13.	देवेन्द्र बाल भारती बा. उ. प्रा. वि., विजयनगर	12.45
14.	दयानन्द पब्लिक बा. प्रा. वि., गंगानगर	6.43
15.	पं. दीनदयाल उपाध्याय बा. प्रा. वि., गंगानगर	6.43
16.	विद्या निकेतन बा. प्रा. वि., गंगानगर	5.47
17.	श्री गुरुनानक बा. प्रा. वि., गंगानगर	10.77
18.	बाल निकेतन बा. प्रा. वि., गंगानगर	19.17
19.	श्री बहादुर राम जाट, बा. प्रा. वि., गंगानगर	12.31
20.	श्री सावन मॉडल बा. प्रा. वि., गंगानगर	8.14
21.	अग्रवाल आदर्श बा. प्रा. वि. गंगानगर	8.61
22.	विश्व बाल भारती बा. प्रा. वि., गंगानगर	11.27
23.	आदर्श बा. प्रा. वि., गंगानगर	4.15
24.	रविन्द्र नाथ टैगोर बा. प्रा. वि., रतवाला	3.60
25.	ममता मॉडल बा. प्रा. वि., भीमबायला	3.93
26.	श्री गुरु जम्भेश्वर बा. प्रा. वि., सार्दुलशहर	3.66
27.	शारदा विद्या मंदिर बा. प्रा. वि., गंगानगर	3.88
28.	जमींदारा आदर्श बा. प्रा. वि. लालगढ़	8.96
29.	गांधी विद्या पीठ बा. प्रा. वि. गंगानगर	7.43
30.	श्रीकृष्ण विद्यालय उ. प्रा. वि., पदमपुर	12.40
31.	सनातन धर्म उ. प्रा. वि., पदमपुर	10.09
32.	दधिमति उ. प्रा. वि., गंगानगर	7.84
33.	जवाहर बाल मंदिर उ. प्रा. वि., गंगानगर	13.01
34.	राजेन्द्र उ. प्रा. वि. गंगानगर	28.34
35.	अरोड़वंश उ. प्रा. वि. गंगानगर	16.20
36.	शिशु शिक्षा सदन उ. प्रा. वि., गंगानगर	9.94
37.	श्री गुरुनानक उ. प्रा. वि., करणपुर	6.46
38.	ललिता शास्त्री उ. प्रा. वि., गंगानगर	7.27
39.	सरस्वती शिशु मंदिर उ. प्रा. वि., गंगानगर	1.69
40.	श्री दयानन्द उ. प्रा. वि., रायसिंहनगर	10.09

1	2	3
41.	जवाहर बाल मंदिर प्रा. वि., करणपुर	6.36
42.	मनोहर बाल मंदिर प्रा. वि., गंगानगर	8.11
43.	ज्ञानज्योति प्रा. वि., करणपुर	12.66
44.	नेहरू स्मारक प्रा. वि., गंगानगर	1.64
45.	आदर्श शिक्षा सदन प्रा. वि., गंगानगर	8.16
46.	भवानी बाल मंदिर, प्रा. वि., पदमपुर	3.23
47.	भोपालवाला आर्य प्रा. वि., गंगानगर	13.60
48.	श्री गुरुनानक खालसा प्रा. वि., गंगानगर	7.16
49.	गुरु तेगबहादुर प्रा. वि., गंगानगर	4.36
50.	श्री जगदम्बा मूक बधिर, प्रा. वि., गंगानगर	24.11
51.	श्री जगदम्बा अन्ध विद्यालय, गंगानगर	8.28
52.	तपोवन मनोविकास विद्यालय, गंगानगर	11.84
53.	भोपालवाला आर्य सी. मा. वि., गंगानगर	78.46
54.	गुरुनानक खालसा उ. मा. वि., गंगानगर	75.10
55.	सेठ जी.एल. बिहाणी सी. मा. वि., गंगानगर	99.10
56.	दयानन्द उ. मा. वि., रायसिंहनगर	29.16
57.	ज्ञान ज्योति करणपुर	51.31
58.	सनातन धर्म उ. मा. वि., गंगानगर	14.24
59.	गुरुनानक उ. मा. वि., करणपुर	15.19
60.	दधिमति उ. मा. वि., गंगानगर	10.92
61.	अरोड़ावंश उ. मा. वि., गंगानगर	7.34
62.	गुरुनानक बा. उ. मा. वि., गंगानगर	85.46
63.	सनातन धर्म बा. उ. मा. वि., गंगानगर	28.87
64.	गुरुनानक कन्या मा. वि., गंगानगर	11.67
65.	शर्मा बाल मंदिर, सूरतगढ़	8.75
	योग	1056.56

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-961 का विवरण) परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विषय	स्वीकृत पद			रिक्त पद			कब से रिक्त
			I	II	III	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राउमावि, मारवाड़ जं.	हिन्दी	2	—	—	—	—	—	
		अंग्रेजी	2	2	—	—	—	—	
		भौ. शा.	1	—	—	—	—	—	
		रसायन	1	—	—	—	—	—	
		गणित	1	1	—	—	—	—	
		जीववि.	1	—	—	—	—	—	
		वाणिज्य	3	—	—	—	—	—	
		भूगोल	1	—	—	1	—	—	4/99
		नागरिकशास्त्र	2	—	—	—	—	—	
		अर्थशास्त्र	1	—	—	—	—	—	
		राजस्थानी	1	—	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	2	—	—	—	—	
		सामान्य	—	3	6	—	—	2	5/2000, 1/01
2.	राउमावि, देवली आउ़वा	हिन्दी	2	—	—	—	—	—	
		अंग्रेजी	1	1	—	—	—	—	
		भौतिकशास्त्र	1	—	—	—	—	—	
		रसायनशास्त्र	1	—	—	—	—	—	
		जीवविज्ञान	1	—	—	1	—	—	7/98
		इतिहास	1	—	—	—	—	—	
		रा.शास्त्र	1	—	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	3	3	—	—	1	6/2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	राउमावि, खिवाड़	हिन्दी	2	—	—	—	—	—	
		अंग्रेजी	1	1	—	—	—	—	
		इतिहास	1	—	—	—	—	—	
		रा.शास्त्र	1	—	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	3	7	—	1	1	2/01, 3/01
4.	राउमावि, धनला	हिन्दी	2	—	—	—	—	—	
		अंग्रेजी	1	1	—	—	—	—	
		इतिहास	1	—	—	—	—	—	
		भूगोल	1	—	—	1	—	—	9/98
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	3	6	—	—	3	8/2के, 1/01, 3/01
5.	राबाउमावि., मारवाड़ जं.	हिन्दी	1	—	—	—	—	—	
		अंग्रेजी	01	01	—	01	—	—	8/98
		इतिहास	01	—	—	01	—	—	7/99
		रा.शास्त्र	01	—	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	01	—	—	—	—	
		गणित	—	01	—	—	—	—	
		सामान्य	—	02	04	—	—	03	1/2 के (तीनों पद)
6.	रामावि, आउवा	अंग्रेजी	—	01	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	01	—	—	—	—	
		गणित	—	01	—	—	—	—	
		सामान्य	—	03	03	—	—	1	6/2 के

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	रामावि, फूलदा	अंग्रेजी	—	01	–	–	–	–	
		विज्ञान	—	01	–	–	–	–	
		गणित	—	01	–	–	–	–	
		सामान्य	—	03	01	–	–	–	–
8.	रामावि, बांता	अंग्रेजी	—	01	–	–	–	–	
		विज्ञान	—	01	–	–	–	–	
		गणित	—	01	–	–	–	–	
		सामान्य	—	03	03	–	–	01	5/2 के
9.	रामावि, जोजावर	अंग्रेजी	—	01	–	–	–	–	
		विज्ञान	—	01	–	–	–	–	
		गणित	—	01	–	–	–	–	
		सामान्य	—	03	07	–	–	02	2/2 के, 1/01
10.	रामावि, सिरीयारी	अंग्रेजी	—	01	–	–	–	–	
		विज्ञान	—	01	–	–	–	–	
		गणित	—	01	–	–	–	–	
		सामान्य	—	03	02	–	–	–	
11.	राउमावि., पिलोनी	अंग्रेजी	—	1	–	–	–	–	
		विज्ञान	—	1	–	–	–	–	
		गणित	—	1	–	–	–	–	
		सामान्य	—	3	2	–	–	–	
12.	राउमावि, सारण	अंग्रेजी	—	1	–	–	–	–	
		विज्ञान	—	1	–	–	–	–	
		गणित	—	1	–	–	–	–	
		सामान्य	—	3	1	–	–	–	
13.	राउमावि, माण्ड	अंग्रेजी	—	1	–	–	–	–	
		विज्ञान	—	1	–	–	–	–	
		गणित	—	1	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सामान्य	—	3	2	—	—	—	
14.	राउमावि, पांचैटिया	अंग्रेजी	—	1	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	3	1	—	—	—	
15.	राउमावि, जाडन	अंग्रेजी	—	1	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	3	2	—	—	—	
16.	राउमावि, गादाना	अंग्रेजी	—	1	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	2	—	—	—	—	
17.	राउमावि, बागोल	अंग्रेजी	—	1	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	2	1	—	—	—	
18.	राउमावि, धामली	अंग्रेजी	—	1	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		गणित	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	2	1	—	—	—	
19.	राउमावि, घेनड़ी	अंग्रेजी	—	1	—	—	—	—	
		विज्ञान	—	1	—	—	—	—	
		सामान्य	—	—	3	—	—	2	3/2000 से

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-964 की प्रति)

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग **परिशिष्ट "क"**

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र संख्या शिविरा/संस्था/क-3/व/1245/स्पे/74 दिनांक 21.3.1975 द्वारा 1.11.1956 से 31.8.1961 तक के अनुदेशकों (द्वितीय श्रेणी अध्यापकों) की मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई थी। इस सूची के विरुद्ध आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 15.4.75 निर्धारित की गई थी। उस दिन तक प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् अब 1.11.1956 से 31.8.1961 तक के अनुदेशकों (द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों) की वरिष्ठता सूची संलग्न कर अन्तिम रूप से प्रसारित की जाती है।

ह०/-
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला के अध्यापकों (अनुदेशकों) की 31.8.1961 तक राज्य स्तर पर मिश्रित अन्तिम वरिष्ठता सूची (पुरुष)

क्र. सं.	मंडल का नाम	नाम अध्यापक	जन्म तिथि	वरिष्ठता आधार तिथि
1	2	3	4	5

वर्ग-1 शारीरिक शिक्षा के अध्यापक (क) प्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला (चयनित)

क्रम संख्या 1 से 10 तक के अध्यापकों के नाम 1.11.1956 पर संग्रथित सूची में लिये जा चुके हैं, जो राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या-एफ. 16 (17) एज्यू/ग्रुप-2/72 दिनांक 25.7.1972 तथा 28.1.1974 द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है।

11.	जेए	श्री सोहनलाल माथुर	29.8.1922	8/9.10.1957
12.	जेबी	श्री हनुमान सिंह	1.1.1919	8/9.10.1957
13.	जेए	श्री झब्बुलाल वर्मा	19.2.1922	8/9.10.1957
14.	जेबी	श्री जेठमल	7.5.1925	8/9.10.1957

1	2	3	4	5
15.	यूके	श्री रामनारायण विजय	17.9.1920	8/9.10.1957
16.	जेए	श्री किशोरीलाल सैनी	10.12.1919	8/9.10.1957
17.	यूके	श्री मदनमोहन शर्मा	20.10.1919	8/9.10.1957
18.	यूके	श्री गुलाब सिंह राठौड़	5.3.1924	8/9.10.1957
19.	जेए	श्री रामलाल व्यास	27.11.1932	8/9.10.1957
20.	जेए	श्री हरिकिशन शर्मा	22.12.1934	8/9.10.1957
21.	यूके	श्री रामकृष्ण वर्मा	1.2.1918	8/9.10.1957
22.	जेबी	श्री कितीलाल चड्ढा	6.9.1934	2.7.1958
23.	जेए	श्री महेशनारायण माथुर	18.1.1930	15.7.1959
24.	जेबी	श्री अब्दुल जब्बार	23.12.1928	15.7.1959
25.	जेए	श्री तख्तसिंह	8.7.1933	15.7.1959
26.	जेबी	श्री रघुनाथ सिंह	20.12.1929	1.7.1961
27.	जेए	श्री जसवंत सिंह धीमन	5.4.1935	31.8.1961
वर्ग-1 शारीरिक शिक्षक के अध्यापक (ख) अप्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला (चयनित)				
28.	जेए	श्री हरिहर शर्मा	2.12.1932	21.5.1957
29.	जेए	श्री हरनाम सिंह यादव	25.3.1924	1.7.1959 (अधि)
30.	यूके	श्री नाथूलाल मूंदड़ा	11.4.1929	29.4.1961
2859	जेए	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता	15.6.1938.	29.4.1961
2860	जेए	श्री मोहन लाल शर्मा	20.8.1938	29.4.1961
2861	जेबी	श्री अतुल कुमार	15.9.1938	29.4.1961
2862	यूके	श्री चैनसिंह राठौड़	3.12.1938	29.4.1961
2863	जेए	श्री दिनेश्वर नारायण मुथा	2.2.1939	29.4.1961
2864	यूके	श्री प्रेमशंकर झा	4.10.1939	29.4.1961
2865	जेबी	श्री बंशीलाल	14.2.1940	29.4.1961

1	2	3	4	5
2866	यूके	श्री नारायण प्रसाद (22)	21.12.1925	1.7.1961
2867	जेए	श्री जगदीश लाल गुप्ता	21.1.1933	1.7.1961
2868	जेबी	श्री चेतन दास	1.10.1926 अप्र. स्ना (व.)	1.7.1961
2869	जेबी	श्री शगन लाल	15.12.1936	1.7.1961
2870	जेए	श्री श्यामसुन्दर	19.1.1931	1.7.1961
2871	जेबी	श्री मदन सिंह	28.5.1933	1.7.1961
2872	जेबी	श्री रामदत्त	5.8.1933	1.7.1961
2873	जेबी	श्री सूरजभान	4.4.1934	1.7.1961
2874	जेबी	श्री राजकुमार	17.5.1934	1.7.1961
2875	जेबी	श्री लेखराम	23.7.1934	1.7.1961
2876	जेबी	श्री अब्दुल जलील खां	4.3.1935	1.7.1961
2877	यूके	श्री महेन्द्र प्रकाश शुक्ला	14.7.1935	1.7.1961
2878	जेए	श्री मुरारी लाल	16.1.1936	1.7.1961
2879	जेए	श्री प्रेमसिंह	16.3.1936	1.7.1961
2880	जेबी	श्री ओमप्रकाश	15.7.1925	1.7.1961
2881	जेबी	श्री बाबू सिंह	14.8.1936	1.7.1961
2882	जेबी	श्री मोहन सिंह	6.9.1936	1.7.1961
2883	जेए	श्री गोरीशंकर शर्मा	8.9.1936	1.7.1961
2884	जेए	श्री रामस्वरूप गुप्ता	9.10.36	1.7.1961
2885	जेए	श्री भंवर सिंह	30.12.36	1.7.1961
2886	जेए	श्री कैलाश नाथ व्यास	10.1.37	1.7.1961
2887	जेए	श्री चांदमल गढ़वाल	15.1.37	1.7.1961
2888	जेए	श्री धन्नीराम	27.1.37	1.7.1961

1	2	3	4	5
2889	जेए	श्री रूपसिंह कोठारी	5.2.1937	1.7.1961
2890	जेए	श्री माला प्रसाद उपाध्याय	7.3.1937	1.7.1961
2891	जेबी	श्री राजेन्द्र सिंह	4.4.1937	1.7.1961
2892	जेबी	श्री अर्जुन सिंह	6.6.1940	1.7.1961
2893	जेबी	श्री सोहन सिंह	20.12.1936	1.7.1961
2894	जेबी	श्री शांति लाल जैन	28.8.1939	1.7.1961
2895	जेबी	श्री रणधीर सिंह	5.1.1937	1.7.1961
2896	जेए	श्री मोहम्मद नसीम खां	3.10.1938	1.7.1961
2897	जेए	श्री चांद सिंह	12.9.1939	1.7.1961

ह० /-
निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-983 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त राशि तथा व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त राशि			व्यय राशि	रिमार्क
		केन्द्रीय अंश	राज्यांश	योग.		
1.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	4781.45	1593.81	6375.26	9945.71	—
2.	सुनिश्चित रोजगार योजना	3509.96	1108.08	4618.04	8512.45	—
3.	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3032.00	—	3032.00	3088.72	—
4.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	2594.50	864.83	3459.33	4460.72	—
5.	इंदिरा आवास योजना	3924.66	1287.19	5211.85	6396.64	—
6.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	723.00	—	723.00	636.28	—
7.	बायोगैस योजना	21.00	22.00	43.00	94.43	—
8	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8900.00	—	8900.00	11668.76	—
9.	सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	980.75	540.00	1520.75	988.28	चार वर्षीय योजना है।
10.	मरु विकास कार्यक्रम	7853.78	999.10	8858.88	9852.70	—
11.	सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)	2385.54	795.18	3180.72	5131.00	—

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-985 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

ग्राम पंचायत खूंता में आईआरडीपी के अन्तर्गत समूह में उपलब्ध कराये गये (एक) ट्रैक्टर लाभार्थियों की सूची

क्र.सं.	नाम मय पिता	निवासी
1.	श्री होमला/श्री हुरजी मीणा	निवासी खूंता
2.	श्री भीमा/श्री हुरजी मीणा	निवासी खूंता
3.	श्री रामला/श्री चोखा मेघवाल	निवासी खूंता
4.	श्री भंगजी/श्री पूनिया मीणा	निवासी खूंता
5.	श्री चुनीया/नारिया बलाई	निवासी खूंता

ग्राम पंचायत खूंता में गत पांच वर्षों में इंदिरा आवास योजना में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम लाभार्थी	स्वीकृत राशि	वर्ष
1	2	3	4
1.	श्रीमतीधापू/केशर/सुभाष दरोगा	10800/-	1996-97
2.	श्रीमती होमली/उदिया/देवजी मीणा	10800/-	1996-97
3.	श्रीमती लालकी/डाया/हाकीया मीणा	10800	1996-97
4.	श्रीमती भुलकी/हुरज/कीकीया मीणा	10800	1996-97
5.	श्रीरामू/भेरा/पेमा मेघवाल	10800/-	1996-97
6.	श्री कडुआ/बधिया/आलिया	18000/-	1996-97
7.	श्रीमती गेडी/अमरा/दलिया	18000/-	1996-97
8.	श्रीमती भेरकी/लालिया/खेमजी	18000/-	1996-97
9.	श्रीमती पार्वती/भाणा/भीम जी लबाना	18000/-	1997-98
10.	श्रीमती रूपली/वागला/हीरजी मीणा	18000/-	1998-99
11.	श्रीमती केशरी/धुलिया चमार	18000/-	1998-99
12.	श्रीमती मोती/सुआ/हाजिया मीणा	18000/-	1998-99

1	2	3	4
13.	श्रीमती कमली/पांचीया/पेमला मेघवाल	18000/-	1998-99
14.	श्रीमती कडुआ/पेमला/भेरा मीणा	18000/-	1998-99
15.	श्रीमती धुलकी/भगजी/पूलिया मीणा	18000/-	1998-99
16.	श्रीमती बालकी/रोडिया/देवजी मीणा	18000/-	1998-99
17.	श्रीमती कमला/पर्वत/अर्जुन सिंह	18000/-	1998-99
18.	श्रीमती जीवन/बंशीलाल/राधु दरोगा	18000/-	1998-99
19.	श्री गोतमा/हीरा मीणा	18000/-	1998-99
20.	श्रीमती केशर/शान्तिलाल/बगदीराम	18000/-	1999-2000
21.	श्रीमती रूपा/जगजीवन/थावरा	18000/-	1999-2000
22.	श्रीमती मंजूला/मांगूदास/रणछोडदास	18000/-	2000-01

ह० /-

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)

जि. ग्रा. वि. अभिकरण, उदयपुर

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-987 का विवरण)

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(3)सांख्यिकी/98 जयपुर, दिनांक : 10.10.1999

आज्ञा

कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा क्रमांक प4(8)कार्मिक/क-1/96 दिनांक 25.9.1996 द्वारा आयोजना डी. पी. आई. पी - पी.एम.यू. (विभाग शासन सचिवालय, जयपुर में विश्व बैंक की सहायता के प्रस्तावित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत निम्नांकित अस्थाई पद सृजित किये गये थे :—

1. उप निदेशक सांख्यिकी (10,000-325-15200) 1 पद
2. सांख्यिकी अधिकारी (6500-200-10500) 1 पद

अतः आयोजना (डी.पी.आई.पी.-पी.एम.यू.) विभाग में उपरोक्त पदों की अस्थाई वृहल करण अवधि में दिनांक 29.2.2000 तक वृद्धि किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त पदों का व्यय वित्तीय वर्ष 1999-2000 में निम्नांकित बजट मद में स्वीकृति प्रावधान से प्रभार्य होगा :—

बजट शीर्षक 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं
102-जिला एवं योजना मशीनरी
002-विश्व बैंक की सहायक से प्रस्तावित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) (आयोजना मद)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-III) विभाग की आई.डी.सं.-222/वित्त/व्यय-III/99 दिनांक 20.5.1999 के द्वारा प्राप्त सहमति से जारी की जाती है।

आज्ञा से,
ह०/-
(आर.के. शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-1) विभाग

क्रमांक : प.1011 कार्मिक/ख-1/90 जयपुर, दिनांक : 2.8.1998

वरिष्ठ लेखाधिकारी,

शासन सचिवालय, जयपुर

महोदय,

निर्देशानुसार इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 1.10.1997 के क्रम में आयोजना विभाग में विश्व बैंक की सहायता से राज्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट डी.पी.आई.पी. शासन सचिवालय, जयपुर में सृजित एक अस्थाई कनिष्ठ लिपिक कम कैशियर के पद की अवधि दिनांक 1.3.1998 से 28.2.1999 तक वृद्धि किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त पद का बजट शीर्षक 3451/सचिवालय आर्थिक सेवाएं 102(11) विश्व बैंक ऐसीटेड डी.पी.आई.पी./ आयोजना विभाग के अधीन प्रभार्य होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 929 एवं 1499 दिनांक 18.4.1998 एवं 22.6.1998 के द्वारा सहमति प्राप्त हुई है, जारी की जा रही है।

ह०/-

उप शासन सचिव